तृतीय माला, खण्ड १६—अंक ३२

सोमवार, १ अप्रैल, १९६३
११ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

(खण्ड १६ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ६६२, ६६३, ६६५, ६६४, ६६६, ६६८, ६६९, ६६९-क, ६७० से ६७३, ६७५ और ६७६ ३१४३--६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६६७, ६७४, ६७७ से ६७९ और ६८१ ३१६८--७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १३२३ से १३६३ ३१७१--८७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३१८८

भारतीय वायु सेना के एक जैट विमान की दुर्घटना ३१८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३१८८--८९

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति ३१८९

अनुदानों की माँगें ३१८९--३२४५

गृह-कार्य मन्त्रालय ३१८९--३२२०

श्री स० टो० सिंह ३१९१

श्री रा० स० तिवारी ३१९१--९३

श्री बालकृष्ण वासनिक ३१९३-९४

श्री दलजीत सिंह ३१९४--९६

श्री सोनावने ३१९६

श्री लाल बहादुर शास्त्री ३१९६-३२२०

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्रालय ३२२०--४५

डा० रानेन सेन ३२२१-२२

श्री शिव चरण गुप्त ३२२२-२३

श्री अ० प्र० जैन ३२२३-२४

श्री यशपाल सिंह ३२२४--२८

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

सोमवार, १ अप्रैल, १९६३

११ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गांवों में प्रति व्यक्ति आय

+

†*६६२. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री महेश्वर नायक :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि गांवों में निर्धन लोगों की प्रति व्यक्ति आय दूसरी योजना में रखे गये लक्ष्य से बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे०रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख). दूसरी योजना में गांवों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था और गांवों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय के विश्वनीय प्राक्कलन भी उपलब्ध नहीं हैं। सारे देश की प्रति व्यक्ति आय निर्धारित लक्ष्य से कम हो गई क्योंकि राष्ट्रीय आय कम हुई थी और जनसंख्या में वृद्धि पूर्वानुमान से अधिक हुई थी।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गांवों में कृषि उत्पादन में कमी हो रही है, क्या सरकार का यह विचार है कि वह गांवों में जाकर कृषकों की कठिनाइयों को जाने और उनके उपयुक्त हल खोज निकाले ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का प्रश्न निरन्तर ही योजना आयोग के सम्मुख रहा है और केवल बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा ही नहीं अपितु छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाओं, उर्वरक तथा ट्यूबवैल आदि की सुविधायें प्रदान करके भी कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है । यह सब कार्य किया जा रहा है । कुल मिला कर स्थिति अच्छी है यद्यपि गत वर्ष वह इतनी संतोषजनक नहीं थी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों के जंगलों में आदिम जातियों के कई लाख लोग रहते हैं जो कि आधुनिक सभ्यता के संपर्क में नहीं आये हैं और क्या इन लोगों की आय पर भी विचार किया गया है, और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उनकी अवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : सभी लोगों की आय पर विचार किया जाता है, चाहे वह जंगलों में रहने वाले आदिवासी हों अथवा आदिम जाति क्षेत्रों के निवासी हों । सच तो यह है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय कम है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में सरकार कितनी बार आंकड़े एकत्रित करती है और क्या नगर-वार तथा ग्राम-बार आंकड़े एकत्रित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : यह एक वास्तव में जटिल प्रश्न है क्योंकि उद्देश्य एक अधिक उत्पादनशील कृषि अर्थ व्यवस्था बनाने का है जिसमें कृषि से सम्बन्ध न रखने वाली व्यवसायिक संरचना के लिये पर्याप्त स्थान हो । इसलिये, ग्रामीण आय और ग्रामीण क्षेत्रों से अर्जित होने वाली आय का द्वि-विभाजन करना अत्यन्त कठिन है । फिर भी, जहां तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने का सम्बन्ध है इसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है । उदाहरणार्थ, जहां तक अन्न का सम्बन्ध है माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि इसका प्रति व्यक्ति उपभोग १९५१ के १३.५ औंस प्रतिदिन से बढ़कर १९६१ में १६.२ औंस प्रति व्यक्ति हो गया है । कपड़े का उपभोग ३८ प्रतिशत बढ़ गया है । १९५० के ९१ करोड़ १० लाख मीटर के उपभोग से बढ़ कर १९६१ में यह २ अरब ३६ करोड़ ८० लाख मीटर हो गया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : सरकारी आंकड़ों में यह दिखाया गया है कि जनसंख्या में इस वृद्धि के होते हुए भी, १९६१–६२ में कुल राष्ट्रीय आय में २.१ प्रतिशत वृद्धि हुई । परन्तु क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय आय में इस सर्वमुखी वृद्धि के होते हुए भी, उसी अवधि में कृषि उत्पाद का मूल्य लगभग तीस करोड़ रुपये गिर गया और इससे राष्ट्रीय आय में और जो वृद्धि होती वह रुक गई ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मेरे पास १९५५ से आगे के सब आंकड़े हैं । स्थिति यह है कि जब कि राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि होने की आशा थी, यह केवल २१.६ प्रतिशत ही हुई है । १९६१ में राष्ट्रीय आय १२,७५० करोड़ रुपये थी, जबकि योजना काल में प्रति

†मूल अंग्रेजी में

आय में केवल ९.५ प्रतिशत ही वृद्धि हुई हैं। यह स्थिति है। जहां तक कृषि से होने वाली आय का सम्बन्ध है हम सब आंकड़े एकत्रित करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु जहां तक उनका सम्बन्ध है मैं निश्चित नहीं हो सकता।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यद्यपि, जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी कहा है, ग्रामीणों के लिये कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, क्या यह सच नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय की सारी कमी में ग्रामीण लोगों पर ही सब से अधिक प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : इस में सन्देह नहीं कि यह सच है कि बहुत से ग्रामीणों को वास्तव में इतना रोजगार नहीं मिला हुआ है जितना कि उन्हें मिलना चाहिये। ऐसा नहीं है कि वह बेरोजगार हों। परन्तु छोटे पमाने के उद्योगों तथा ग्रामीण औद्योगिक ऐस्टेटों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के सभी प्रयत्न किये जा रहें हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है यह सब कार्य अभी तक किये जा रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या माननीय मंत्री जी और प्लानिंग कमीशन के ध्यान में यह बात आई है कि सारे देश की प्रति व्यक्ति की जो सालाना औसत आमदनी है उस में भी कई राज्य पीछे रह गये हैं, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश, तो ऐसे प्रान्तों के बारे में क्या कोई खास कदम उठाने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : दो बातें हैं, एक तो एग्रीकल्चरल के लिये जो आमदनी होती है उस में जिस रेट से उस की तरक्की होती है वह इंडस्ट्री के मुकाबले में कहीं कम होती है। इसलिये रूरल इनकम में अपेक्षाकृत कमी रहती है। जहां तक स्टेट्स का सवाल है वहां जरूर फ़र्क है। हर एक स्टेट एक लेविल पर नहीं है। जहां जो ज्यादा पीछे रह गयी हैं वहां सैंट्रल असिस्टैन्स ज्यादा दी जाती है ताकि वह ज्यादा जल्दी आगे बढ़ सकें।

†**श्री दाजी** : क्या यह सच है कि प्रति व्यक्ति आय में इस थोड़ी सी वृद्धि के होते हुए भी, कृषि श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय वास्तव में कम हो गई है ?

†**श्री नन्दा** : कृषि श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में, हमारे पास जो कुछ भी आंकड़े हैं उन पर ध्यान रखते हुए, मेरा विचार है कि कोई कमी नहीं हुई है परन्तु यह भी सच है कि इस में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है।

†**श्री महेश्वर नायक** : सांख्यिकीय प्रतिवेदनों में यह बताया गया है कि कृषि से होने वाली राष्ट्रीय आय ३० करोड़ रुपये कम हुई है। गांवों में कृषि से होने वाली आय को निर्धारित करने के हेतु व्यवस्थित सर्वेक्षण करने के लिये सरकार क्या साधन अपनाती है ?

†**श्री नन्दा** : एक वर्ष के समस्त द्रव्य उत्पादों का हिसाब लगा लिया जाता है और एक ओर कृषि के समस्त उत्पादों के तथा दूसरी ओर उद्योग के समस्त उत्पादों के कुल मूल्य की गणना कर ली जाती है। यह राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में चला जाता है। इस गणना का यह आधार है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : कुछ मामलों में उपभोग के आंकड़े लिये जाते हैं। कुछ स्थानों में उसकी गणना कर ली जाती है तथा आय निकाल ली जाती है। क्या मैं जान सकता हूं कि उपभोग के

---

†मूल अंग्रेजी में

आधार पर निकाली गई आय, उत्पादन के आधार पर निकाली गई प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का कहां तक समर्थन करती है ?

†**श्री नन्दा** : उत्पादन के आधार पर निकाले गये आंकड़ों के स्तर से उपभोग के आधार पर निकाले गये आंकड़ों का स्तर कुछ अधिक होता है। वह एक सांख्यिकीय भिन्नता हो सकती है।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार आय में वृद्धि के स्लैब-वार आंकड़े रख रही है और क्या सरकार के लिये राष्ट्रीय आय में वृद्धि के स्लैब-वार आंकड़े सभा-पटल पर रखना सम्भव होगा और क्या वह सदन को यह भी बता सकेगी किन किन स्लैबों वृद्धि अनुपात से अधिक हुई है ?

†**श्री नन्दा** : स्लैब-वार आंकड़े केवल कुछ भागों तक ही सीमित हैं; यह जनसंख्या के सब भागों के लिये नहीं है। वहां आय कर के आंकड़े दिये होते हैं तथा विभिन्न स्लैबों के लिए उपभोक्ता व्यय भी दिया होता है। यह सब सूचना महलोनोबीस समिति के प्रतिवेदन में दी हुई होगी जिसे मैं शीघ्र ही सभा के सम्मुख रखने की आशा करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री भक्त दर्शन** : प्रश्न संख्या ६६३ ।

†**श्री बासप्पा** : प्रश्न संख्या ६६५ भी इसी विषय से सम्बन्धित है, वे एक साथ ले लिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ६६३ तथा ६६५ का उत्तर साथ साथ दे दिया जाय ।

आयुध कारखानें[1]

†*६६३. †
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दाजी :
श्री बासप्पा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों के विस्तार का एक कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कारखानों में तीन पारियों के चलने की संभावना है ; और

(ग) क्या इस विस्तार का उद्देश्य परम्परागत आधुनिक शस्त्रों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है ?

ा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Ordance Factories

(ख) जी, हां। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जब कारखाने चलाये जाते हैं तो उस समय क्या दशायें चल रही होती हैं।

(ग) जी, हां। जो कार्यक्रम बनाया गया है वह इस दिशा की ओर एक कदम है।

आयुध कारखानों में उत्पादन

†६६५. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री बासप्पा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री हेम राज :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तैयार की गई वस्तुओं के मूल्य के रूप में आयुध कारखानों में उत्पादन कितना बढ़ा है ; और

(ख) प्रतिरक्षा उत्पादन के आयुध कारखानों के आधुनिकीकरण तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमता का अधिक उपयोग करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) गत कुछ वर्षों में आयुध कारखानों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। १९५७–५८ तथा १९६१–६२ के बीच इन कारखानों में उत्पादन १८ करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग ४१ करोड़ ४५ लाख रुपये के मूल्य का हुआ है। नवीनतम अनुमान यह है कि १९६२–६३ के दौरान ६५ करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन होगा।

(ख) गत तीन अथवा चार ५० वर्षों में आधुनिक कारखानों में विद्यमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण विस्तार के लिये २८ करोड़ लाख रुपये के मूल्य की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। उत्पादन के नये साधनों को स्थापित करने के लिये भी परियोजनायें प्रारम्भ कर दी गई हैं। जैसा कि विद्यमान आयुध कारखानों के उत्पादन के मूल्य में हुई वृद्धि से देखा जा सकता है, अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा रहा है।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसा कि वर्तमान संकेतों से पता लगता है नये कारखाने किस समय तक उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे ?

†**श्री रघुरामैया** : १९६५ तक।

†**श्री भक्त दर्शन** : नये कारखानों के स्थापित होने से पहले क्या माननीय मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन दे सकते हैं कि विद्यमान कारखानों में उनकी अधिकतम क्षमता तक कार्य किया जा रहा है और कहां किन्ही अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है ?

†**श्री रघुरामैया** : ये पहले ही बता चुका हूं कि उनकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और किसी अनावश्यक अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा रहा है जिसे कि प्रतिरक्षा कार्यों के उपयोग करना सम्भव नहीं होगा।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद**: क्या इन आयुध कारखानों का वर्तमान विस्तार तथा आधुनिकीकरण उस दल की नवीनतम सिफारिशों के अनुसार ही हो रहा है जिसने कि भारत का दौरा किया था और इन कारखानों में सुधार करने के सम्बन्ध में अपनी कुछ सिफारिशें की थीं ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं यह नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र किस दल का उल्लेख कर रहे हैं। एक से अधिक दल आये हैं। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यह प्रतिवेदन . . . .

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं उस दल का उल्लेख कर रहा हूं जिसने इस सम्बन्ध में सिफारिश की थी ।

†**श्री रघुरामैया** : यह कुछ समय से कसौटी पर रखे जा रहे हैं । हम स्वतंत्र रूप से इन पर विचार करते रहे हैं। यह हो सकता है कि इन दलों में से कुछ ने भी इसको विशेष महत्व दिया हो ।

†**श्री दाजी** : क्या सरकार हमें उन पुर्जों का कुल मूल्य बतायेगी जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र में हमारे आयुध कारखानों को निर्माण के लिये दिये गये हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : श्रीमन्, ऐसे ही तत्काल मैं नहीं बता सकता ।

†**श्री बासप्पा** : उन कारखानों में बिना उपयोग में लाई गई क्षमता कितनी थी जहां काफी तैयार करने की मशीनों (कॉफी परकोलेटर्स) तथा एयर कन्डिशनर्स का निर्माण किया जा रहा था और क्या उस बिना काम में लाई गई क्षमता का हमारी प्रतिरक्षा के हित के लिये पूर्ण उपयोग किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उत्तर दिया गया था ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में ट्रकों तथा ट्रैक्टरों का उत्पादन अभी तक कम हो रहा है, यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**श्री रघुरामैया** : श्रीमन्, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कदाचित नवीनतम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से उठाया गया है। आप शायद ब्योरों में जाना पसंद नहीं करेंगे परन्तु मैं इस समय यह बता दूं कि इस मामले की जांच में थोड़ा अन्तर रहा है, अर्थ यह है कि यह परियोजनायें निश्चित रूप से किस समय प्रारम्भ की गईं थीं। इस सम्बन्ध में, क्योंकि पहले तथा दूसरे वर्ष का उत्पादन इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कब प्रारम्भ की गईं थीं । एक प्रकार से इसे ऐसे देखा जा सकता है कि जिस दिन यह मंजूर की गई थी । दूसरी प्रकार से उस तिथि को लिया जा सकता है जिसको कि यंत्रादि उपलब्ध हुए थे । प्रतिकूल टिप्पणियों का आंशिक कारण यह भी है । दूसरी बात यह है कि, विदेशी सहयोगकर्ताओं तथा कभी कभी सेना के भी द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार इनकी किस्मों में परिवर्तन किये गये हैं । तीसरी बात यह है कि आपातकाल के कारण इनके सम्बन्ध में कुछ कार्य-भार असैनिक क्षेत्र को सौंप दिया गया था और जहां तक आयुध कारखानों का सम्बन्ध है उनमें अधिक अस्त्र-शस्त्रों का उत्पादन करने पर ध्यान अधिक केन्द्रित कर दिया गया था । सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ विलम्ब हुआ है । परन्तु मेरा विचार है कि इन परिस्थितियों में यह बिल्कुल न्याय्य है ।

श्री रा० स० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इन कारखानों में रात-दिन में तीन शिफ्ट्स में, तीन बार काम किया जायेगा, तो क्या उनमें इतने हथियार तैयार हो सकेंगे कि हमको बाहर से हथियार न मंगाने पड़ें

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : श्रीमन्, यह निर्माण कार्य वास्तव में उन्नतिशील है । फिर, जो कुछ हम उत्पादन करते हैं वह पर्याप्त है या नहीं यह आपातकाल में किसी वृद्धि के कारण होने वाली हमारी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह बताया जाता है कि पुराने आयुध कारखानों में से अधिकांश में—उदाहरणार्थ ईशापुर, काशीपुर, इत्यादि—मशीनरी बहुत प्राचीन है तथा पुराने ढंग की है । इन पुराने कारखानों की मशीनों का नवीकरण करने पर कितना व्यय करने का विचार है?

†**श्री रघुरामैया** : इसके लिये कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। ब्यौरे बताना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा । परन्तु मैं सदन को यह सूचित कर दूं कि जब कि इनमें से कुछ के लिये आधुनिकीकरण करने की दृष्टि से हम मशीनरी मंगा रहे हैं, आपातकाल के कारण हमारा पुरानी तथा नई दोनों ही मशीनों को प्रयोग करने का विचार है ?

†**श्री यशपाल सिंह** : कितने नये आयुध कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं?

†**श्री रघुरामैया** : छः ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : यह कारखाने जिन परम्परागत शस्त्रों तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं उनके निर्माण में हमें जिन धातुओं तथा पुर्जों की आवश्यकता होती है क्या हम उनमें आत्मनिर्भर हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : मिश्रित इस्पात और कुछ रसायनिक पदार्थों आदि के अतिरिक्त ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या यह सच है कि कम से कम २०० वायुयान, अधिकांशतः 'टेम्पेस्ट', बड़ी पूरी मरम्मत के लिये गत तीन अथवा चार वर्षों से पड़े हैं जब कि कानपुर का कारखाना 'एवरोस' पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है, यदि नहीं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन वायुयानों की बड़ी पूरी मरम्मत के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री रघुरामैया** : मेरा विचार है कि कानपुर में 'एवरोस' का निर्माण करने से हमारे वायुयानों की पूरी मरम्मत करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । प्रतिरक्षा मंत्री महोदय तथा मैं अभी हाल में कानपुर के दौरे पर गये थे और हमने यह जाना कि ऐसा कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है मोटे रूप से, इन वायुयानों की पूरी मरम्मत करने के कार्य में ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या २०० वायुयान गत तीन अथवा चार वर्षों से पूरी तरह मरम्मत किये जाने के लिये पड़े हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं ऐसे ही तो संख्या नहीं बता सकता परन्तु ऐसा हो सकता है; जब कि वायुसेना एक बहुत पड़ी संख्या में वायुयानों को पूरी मरम्मत के लिये भेज देते है तो स्वाभाविक ही उन सब की पूरी मरम्मत करने म समय लगता ही है । यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा ।

बर्मा में भारतीय

†***६६४. श्री डी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा में भारतीय उद्भव के अनेक व्यक्तियों के पास नागरिकता सम्बन्धी कागजात नहीं हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन्हें बर्मा की नागरिकता प्राप्त कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां। रंगून स्थित भारतीय दूतावास समय समय पर बर्मा के विदेशी कार्यालय से अभ्यावेदन करता रहा है और उनसे इस विषय सम्बन्धी नियमों को उदार बनाने की प्रार्थना करता रहा है ताकि भारतीय उद्भव के जो व्यक्ति बर्मा की नागरिक्ता प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्र देना चाहते हैं वे ऐसा कर सकें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार को वहां रहने वाले भारतीयों की संख्या ज्ञात है और भारतीय उद्भव के उन व्यक्तियों की भी संख्या ज्ञात है जिन्होंने कि बर्मा की नागरिकता प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्र दिए हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : वहां भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग १ लाख ८० हज़ार है। सरसरी तौर पर, ३५ हज़ार भारतीयों ने बर्मा की नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र दिए हैं। भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या साढ़े पांच लाख है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उन साढ़े पांच लाख में से जिन व्यक्तियों ने बर्मा की नागरिक्ता के अधिकार प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्र नहीं दिये हैं उनकी क्या दशा है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जैसा कि मैंने पहले बताया था उनमें से कुछ ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र दिए थे और उन्हें वह दे दी गई है। जिन्होंने या तो भारतीय नागरिकता अथवा बर्मा की नागरिकता किसी को भी प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र नहीं दिए हैं वह, इस समय, कुछ कम या अधिक राज्यहीन व्यक्ति हैं ?

श्री रघुनाथ सिंह : वहां के हिन्दुस्तानियों ने १९५१ में प्रार्थनापत्र दिए थे, जिन की तादाद तीस, चालीस, पचास हज़ार होगी, कि हम को बर्मा की सिटिज़ेनशिप दी जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक इस बारे में कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : इस सम्बन्ध में कई बार यहां ज़िक्र आ चुका है कि वहां पर इस बारे में बहुत देरी हो रही है और हम इस बात की कोशिश करते हैं कि बर्मा सरकार इस बारे में जल्दी ही फैसला कर के उन लोगों को सिटिज़ेनशिप दे दे।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूं कि बर्मा में नौकरी और व्यापार करने वाले भारतीयों को भारत को रुपया भेजने की सुविधा है या नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे ख़याल में वे बीस रुपये तो हर महीने बिना किसी स्पेशल परमिट के भेज सकते हैं। उस के अलावा जिस को रुपये भेजने हैं, वह वहां के फ़ारेन एक्सचेंज कंट्रोल से इजाज़त मांगते हैं।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बीच में बर्मा सरकार ने भारतीय नागरिकों के भारत को पैसा भेजने पर जो रोक टोक लगा दी थी, उस का क्या कारण था ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

"विविध भारती"

+

*६६६. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में "विविध भारती" कार्यक्रम के लिये जिन ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर्स) के लाइसेंस दिये गये हैं उनके मासिक शुल्कों से सरकार को कुल कितनी आय होती है ;

(ख) क्या सरकार ने स्वयं इस योजना पर कोई रकम खर्च की है ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अधीन प्रसारित पक्के रागों के बारे में सरकार को कुछ आवेदन पत्र मिले हैं कि ये राग जनसाधारण को रुचिकर नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): (क) विविध भारती प्रोग्राम सुनने के लिये लाउड स्पीकरों को कोई लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं। हां, लोदी कालोनी और उसके साथ लगे क्षेत्रों के लिए एक तार वायर ब्राडकास्टिंग सर्विस तजुर्बे के तौर पर जनवरी, १९६१ में शुरू की गई थी। लाउड स्पीकरों को अलग से लाइसेंस इसी योजना के लिये दिये जाते हैं। इस वक्त इनसे लगभग ५,००० रूपये महीने की आमदनी होती है।

(ख) कैपिटल आउट ले २,८०,५०० रूपये खर्च हुआ है और मेनटेनेंस और स्टाफ पर तकरीबन ४,००० रूपये प्रति मास खर्च होता है।

(ग) जी, नहीं

(घ) सवाल नहीं उठता।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस तजुर्बे से क्या यह पता चल गया है कि यह योजना सफल हुई है और यदि हां तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में सारे दिल्ली भर में कितने और इस तरह के यंत्र लगाये जाने की व्यवस्था की जानी है ?

श्री शामनाथ : इसमें कोई सुबहा नहीं है कि यह योजना कामयाब हुई है। जिन इलाकों में इसको शुरू किया गया था, वहां के लोगों ने इसको पसन्द किया है। लेकिन जो हमारा तीसरा प्लान है, उसमें इसके लिये कोई प्राविजन नहीं है, इसलिये इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस योजना से अभी सरकार को लाभ नहीं है, क्या सरकार विचार कर रही है कि किसी प्रकार के कमर्शियल तरीके से कोई काम आकाशवाणी में किया जाये, यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ?

श्री शामनाथ : ऐसी कोई तजवीज नहीं है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** जब कि यह प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है तो सरकार अन्य किसी साधन से धन लेने तथा उसे इस विभाग को देने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है ? ऐसा न करने का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाम नाथ** : जैसा कि मैंने अभी बताया है इस योजना को आगे बढ़ाने के लिये कोई उपबंध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह सुझाव दे रही हैं कि अन्य किसी शीर्ष से धन का विनियोग कर लिया जाय ।

†**श्री शाम नाथ** : यह एक अलग बात है। परन्तु माननीय सदस्या के सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि तार प्रसारण सेवा को राज्य सरकारों, रेलवेज तथा स्थानीय निकायों द्वारा और आगे बढ़ाने का विचार है और इस प्रयोजन के लिए आदर्श योजनायें तैयार की जा रही हैं ?

†**श्री स० चं० सामन्त** : लोदी कालोनी ही इस प्रयोजन के लिये क्यों चुनी गई थी और क्या प्रयोग अन्य किसी स्थान पर भी किया गया था ?

†**श्री शामनाथ** : यह एक सघन क्षेत्र है और वहां अधिक मितव्ययता पूर्वक सेवा की व्यवस्था करना सम्भव था, इसीलिए वह स्थान चुना गया था।

श्री राम सहाय पांडेय : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सीलोन रेडियो से, उसके कमशियल ब्राडकास्ट में हमारे देश के बहुत से लोग एडवरटाइजमेंट्स भेजते हैं और उससे उसको बड़ी आमदनी होती है ? क्या आप भी कोई कमर्शियल ब्राडकास्ट की व्यवस्था करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् लोदी कालोनी में जो वायर ब्राडकास्टिंग सर्विस शुरू की गई है वह बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि रुपये कि कमी के कारण से उसे रोका जा रहा है या इसका कोई और कारण है ? क्या इसका और विस्तार किया जायेगा खास तौर पर नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में जहां एम० पीज० रहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दे चुके हैं।

सीमा पर जवानों का मनोरंजन

\+

*६६८. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री ओंकार लाल बेरवा : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलाकारों का एक दल हाल ही में जवानों का मनोरंजन करने के लिये उत्तर पूर्वी सीमांत एजेन्सी (नेफा) भेजा गया था ;

(ख) उन्होंने किन किन स्थानों पर अपनी कला का प्रदर्शन करके जवानों का मनोरंजन किया ;

(ग) कलाकार दल की उस यात्रा पर कितना धन व्यय हुआ ; और

(घ) इसी प्रकार के दल लद्दाख, उत्तरी-सीमा के मध्यवर्ती क्षेत्र में भेजने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) तेजपुर तथा सीलीगुरी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर कुल ४० प्रदर्शन किये गये थे।

(ग) नागरिक केन्द्रीय परिषद द्वारा जेब खर्च निमित्त उन्हें कुल ३०१२ रुपये अदा किये गये थे।

(घ) अग्रिम क्षेत्रों में सैनिक टुकड़ियों के मनोरंजन के लिये, और मंडलियां भेजने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस कार्य के लिये जिन जिन स्थानों को छांटा गया है और जिन कलाकारों को चुना है, उसका आधार क्या था ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : उस क्षेत्र के लोगों से और अन्य लोगों से भी मांग थी, परन्तु जल-वायु संबंधी करणों से वहां केवल दल ही भेजना संभव था। दूसरे पंजाब सरकार ने इन दलों की सिफारिश की थी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात पर विचार किया है कि हमारे सिपाहियों को उन इलाकों में बड़ी कठिन और नीरस परिस्थितियों में रहना पड़ता है और यदि थोड़ी देर के लिये उनके जीवन में सरसता ला दी जाये तो उसके बाद हो सकता है कि उनकी वासनाओं में कोई जागृति आ जाये और इसस उनको कोई नुकसान हो सकता है।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : श्रीमन्, मैं ऐसा नहीं समझता।

श्री भागवत झा आजाद : मनोरंजन की जो पार्टियां अभी तक भेजी गई है क्या अब तक यह पता लगाना संभव हो सका है कि नेफा के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : जेब खर्च निमित्त उन्हें इतना थोड़ा धन क्यों दिया गया था ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : क्योंकि वह पर्याप्त था।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : मनोरंजन कर्ताओं के इस दल में मुख्य रूप से पंजाब के कलाकार थे। क्या हमारे पंजाब सूबे के न रहने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों के हित के लिये देश के अन्य भागों से भी इस प्रकार के दल भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : प्रस्ताव विचाराधीन है।

हवाई आक्रमण से रक्षा संबंधी आवश्यकतायें

†

†*६६९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

---

†अन अंग्रेजी में

श्री महेश्वर नायक :
श्री बसुमतारी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई आक्रमण से रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की जांच करने वाले विदेशी शिष्टमंडलों ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और यदि हां, तो वे किन निष्कर्षों पर पहुंचे हैं ; और

(ख) इस मामले में अमरीकी तथा राष्ट्रमंडलीय देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां। संयुक्त अमरीकी/राष्ट्रमंडलीय वायु प्रविधिक दल ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है। दल के सदस्य अपनी अपनी सरकारों को प्रतिवेदन देंगे। प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अभी तक हमें उपलब्ध नहीं की गई है।

(ख) इस बारे में अभी हम उन सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : श्रीमान्, न केवल विदेशी समाचार पत्रों में ही अपितु अपने समाचार-पत्रों में भी हम इस के बारे में बहुत कुछ पढ़ते रहे हैं -- परसों भी और आज फिर। क्या हम जान सकते हैं कि क्या संसद् को यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है कि क्या माननीय मंत्री ने श्री पटनायक से , जो कि वहां से लौटे हैं, कोई बात की है और क्या उन्होंने इस बात का कोई संकेत दिया है कि भविष्य के लिये हमारा कार्यक्रम क्या होगा तथा इसकी मोटी रूपरेखा क्या है ? गोपीनीय भाग और ब्यौरे को छोड़ कर क्या हम जान सकते हैं कि उन्होंने मोटी रूपरेखा क्या दी है और इस मामले में हमारा आगे का कार्यक्रम क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : विदेशी शिष्टमंडलों के प्रतिवेदनों के अतिरिक्त? प्रश्न यहां आगे आने वाले विदेशी शिष्टमंडलों और उनके प्रतिवेदनों के बारे में था। उत्तर यह है कि प्रतिवेदन तत्संबंधी सरकारों को दिये जायेंगे और सरकार उसकी प्रतिलिपि की प्रतीक्षा कर रही है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : श्रीमान्, आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि अमरी की राष्ट्रपति तक ने प्रतिवेदनों पर अपने विचारों के बारे में संकेत दिया है। हमने समाचार पत्रों में यह भी पढ़ा है कि श्री पटनायक ने वायु आक्रमण से रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की इसी विशेष बात पर श्री ति० त० कृष्णमाचारी से चर्चा की थी और जो प्रगति की गई है उसकी स्थूल रूप रेखा बताई थी। यह समाचार पत्रों में छपा है। मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या हमें समाचार पत्रों की इन अनधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करना होगा अथवा इस विशेष मामले के बारे में संसद को कुछ जानने का अधिकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री पटनायक के वहां जाने का भी इससे कोई संबंध है, क्या वहां उन्होंने कोई बातचीत की थी और क्या उन्होंने उन प्रतिवेदनों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया अथवा कुछ जानकारी सरकार की दी है ।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जहां तक यहां संसद् में हमारा संबंध है, जब तक दलों के अधिकृत प्रतिवेदन हमें न मिल जायें इस बारे में कोई वक्तव्य देना मेरे लिये बहुत कठिन है।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: इस संबंध में, शिष्टमंडलों या दलों द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों के बारे में क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री को अमरीका भेजने का सरकार का निर्णय इस बात से प्रभावित या सुदृढ़ हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

था कि अमरीका के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने यहां देहली में एक **मूर्ख सम्मेलन** की अध्यक्षता की थी ? **(अन्तर्बाधायें)** ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । क्या उस सम्मेलन की कुछ झलकियां यहां भी दिखाई जायेंगी ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग था । आप इसका अनुसरण कैसे करना चाहते हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि अमरीका के कुछ महान् व्यक्तियों के यहां आने की आशा की जाती है, क्या इस मामले पर और आगे चर्चा करने का अवसर आयेगा तथा क्या सरकार ने इस बात पर और आगे बातचीत के लिए कोई कार्यक्रम तैयार कर लिया है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : क्या मैं कह सकता हूं कि अब जब हम इन प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सामान्यतः यह आशा नहीं की जाती

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक मन-गढ़न्त प्रश्न है । यदि माननीय मंत्री उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं अन्यथा .

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इसलिये कि मैं कम जानकारी नहीं देना चाहता । मैं यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी देना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह ऐसा ही चाहते हैं तो जितनी जानकारी संभव हो दे सकते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हम जानना चाहते हैं कि क्या अमरीका से कुछ बड़े लोग यहां आ रहे हैं । हम ने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि श्री डीन रस्क यहां आ रहे हैं, उनका दल आ रहा है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं । यह मन-गढ़न्त प्रश्न कैसे है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री डीन रस्क आ रहे हैं या नहीं, यह तो बिल्कुल ही अलग प्रश्न है । यहां यह प्रश्न नहीं है कि क्या श्री डीन रस्क आ रहे हैं और वह इस पर चर्चा करेंगे अथवा नहीं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मेरे विचार में श्री रस्क मई के शुरू में यहां आ रहे हैं । लेकिन उसका इससे कोई सम्बंध नहीं है । वह तो कई जगहों पर जाते हुए देहली से गुजर रहे हैं और स्वाभाविक है कि सामान्य समस्याओं पर चर्चा कर के हम उन के यहां आने से फायदा उठायेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रूस द्वारा भारत को धरती से वायुमंडल में जाने वाले अस्त्रों (missiles) के दिये जाने के बारे में बातचीत हो रही है ? यदि हां, तो उनमें कहां तक सफलता हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकती हूं कि जब अमरीकी और राष्ट्रमंडलीय शिष्टमंडल यहां थे तो क्या उन शर्तों के बारे में कोई चर्चा की गई थी जिनके अधीन वायु आक्रमण से रक्षा संबंधी ये आवश्यकतायें पूरी की जायेंगी ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : चर्चा का मूल विषय वायु सेना की आवश्यकतायें थीं और उनके साथ साथ प्रासंगिक समस्याओं पर भी बातचीत की गई थी ।

†**श्री त्यागी** : क्या माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने इन दलों के साथ कोई चर्चा की थी ? जहां तक वायु आक्रमण से बचाव का संबंध है क्या वायु सेना मुख्यालय अथवा सेना मुख्यालय अपनी प्रतिरक्षा

---

†मूल अंग्रेजी में

संबंधी आवश्यकताओं के बारे में किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे थे और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने अपना निर्णय उन शिष्टमंडलों को बताया है या नहीं ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : हां, निस्सन्देह, हमारे प्रविधिज्ञ निश्चय कर चुके थे और वे अपने निष्कर्षों पर पहुंच चुके थे तथा उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने उनके साथ चर्चा की थी। निश्चय ही वे आय और मुझ से भी मिले परन्तु स्पष्ट है कि प्रविधिज्ञ मामलों पर मैंने चर्चा नहीं करनी थी।

†**श्री हेम बरूआ** : यह देखते हुए कि श्री कनेडी ने हाल ही में कहा है कि उन्हें अभी तक अमरीकी-राष्ट्रमंडलीय वायु दल का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्र में उदीयमान होने वाले इस तारे, श्री पटनायक ने किस आधार पर हमारी वायु सेना संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अमरीकी विशेषज्ञों या अधिकारियों से बातचीत की थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय संदस्य का सवाल मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमने रिपोर्ट पर, जैसी कि वह दी गई है, बातचीत नहीं की है .

†**श्री हेम बरूआ** : मैंने 'रिपोर्ट' नहीं कहा था।

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : लेकिन शायद अपनी जरूरतों पर की है।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं जानना चाहता था कि हम ने किस आधार पर अपनी वायु सेना संबंधी आवश्यकताओं पर बातचीत की है। श्री पटनायक ने किस आधार पर आवश्यकताओं पर बातचीत की है क्योंकि कोई आधार तो था नहीं और न ही उनके सामने और न ही श्री केनेडी के सामने कोई प्रतिवेदन था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारे विशेषज्ञों द्वारा सोची गई आवश्यकताओं के आधार पर न कि यहां आने वाले विदेशी दलों द्वारा बनाये गये आधार पर ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है, जैसी कि वे हमारे विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित की गई और बनाई गई हैं, क्या उनमें मुख्यत: हमारी अपनी स्वतंत्र वायु सेना को सुदृढ़ बनाने का ध्यान रखा गया है अथवा हमारी वायु सेना के साथ विदेशी मित्र वायु सेनाओं के सहयोग को ध्यान में रखा गया है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : मुख्य उद्देश्य हमारी अपनी ही स्वतंत्र वायु सेना को संगठित करना था।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: एक औचित्य प्रश्न पर, क्योंकि श्री पटनायक की अमरीका यात्रा का यहां इस संबंध में उल्लेख किया गया है, क्या म आपका ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूं कि उड़ीसा के उप-मुख्य मंत्री ने उड़ीसा विधान सभा में यह कह कर आप पर और माननीय प्रधान मंत्री पर भी आक्षप किया है कि जो कोई यह कहता है कि अमरीका में श्री पटनायक ने जो कुछ किया या कहा उससे मुझे परेशानी हुई है वह ईर्ष्यावश ऐसा कहता है। यह बहुत बुरी बात है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो माननीय सदस्य के पास मेरी और अपनी भी रक्षा के लिये कई इलाज हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप का अपमान हम कैसे सहन कर सकते हैं, श्रीमान् ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने तो उन्हें यही सुझाव दिया है कि वह मुझे तथा अपने आप को बचाने के इलाज जानते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : तथा सदन के नेता प्रधान मंत्री का भी । प्रधान मंत्री को तो इस से और भी अधिक परेशानी होनी चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ** : जब मैंने समाचार पढ़ा तो मुझे भी यह बात अखरी क्योंकि वह कहते हैं कि केन्द्र के क्षितिज पर एक नया तारा चमका है और जो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते वे उन से ईर्ष्या करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति, मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं । उसी दल के एक अन्य सदस्य ने यही बात उठाई थी और मैंने उसका उत्तर दे दिया है । अब एक दूसरे सदस्य उसी बात को दुहराते हैं । यह अच्छा नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह दुहराना नहीं है । यह किसी दल का मामला नहीं है, श्रीमान् . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सदस्यों को बहुत ही परेशानी हुई हो तो बहुत से प्रक्रियायें और औपचारिकतायें हैं जिन के अधीन हम इस मामले को ले सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : तो फिर हम एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लायेंगे ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : यह किसी दल की बात का प्रश्न नहीं है । प्रत्येक सदस्य को यह प्रश्न उठाने का अधिकार है और इस का निर्णय करना आप का काम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक सदस्य को अधिकार है परन्तु वह दूसरे माननीय सदस्य के पास बैठते हैं और वह पहले ही इस बात को सुन चुके हैं .

†**श्री हेम बरुआ** : हम एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लायेंगे तथा मुझे आशा है कि आप उसे अस्वीकृत नहीं करेंगे ।

'लिंक' पत्रिका को अखबारी कागज का आवंटन

६६९-क. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'लिंक' को दूसरा समाचारपत्र निकालने के लिए अखबारी कागज का विशेष कोटा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा में ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) 'लिंक' को, जिसके मालिक यूनाइटेड इंडिया पीरआडिकल्ज़ प्राइवेट लिमिटेड हैं, अख़बारी कागज़ का कोई विशेष कोटा नहीं दिया गया है । हां, रायसीना पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड को "पेट्रिआट" पत्र निकालने के लिए अख़बारी कागज़ का एक विशेष कोटा दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २५,००० सर्कुलेशन और ८.५७ पृष्ठ प्रति कापी के आधार पर तीन महीने के लिए १३९.६२ मीटरी टन ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या यह सच है कि इस अखबार के प्रकाशकों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इस की कीमत ८ नये पैसे होगी और इस में २५ प्रतिशत से अधिक विज्ञापन के लिये नहीं होगा ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : सामान्यतः ऐसा ही है ।

†**श्री त्यागी** : क्या इस आशय का कोई स्थायी आदेश या अधिसूचना थी कि किसी भी समाचारपत्र को १०,००० प्रतियों से अधिक कोटा नहीं दिया जायेगा । यदि हां, तो क्या इस अखबार को यह अतिरिक्त कोटा देने से पहले उसे संशोधित किया गया है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : रजिस्ट्रार के सामान्य पथ प्रदर्शन के लिए एक विशेष निदेश है । परन्तु बहुत से ऐसे मामले हैं जिन में प्रत्येक मामले के गुण दोषों के आधार पर इस के अनुसार नहीं चला गया है ।

†**श्री त्यागी** : मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता था कि क्या इस आशय का कोई स्थायी आदेश या अधिसूचना थी जिसे जनता जानती थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन का कहना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है ; यह केवल पथप्रदर्शन है ।

†**श्री त्यागी** : गलतफहमी दूर हो गई है ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या कोटा देने से पहले अखबार के मालिकों से अखबार की कीमत निर्धारित करने का आश्वासन लेना सरकार के लिए आवश्यक है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : नहीं । साधारणतः यदि वे १०,००० की सीमा के अन्दर रहे, तो फिर शायद हमें कुछ नहीं करना होता । परन्तु अब हम जानना चाहते थे कि वे परिस्थितियां ठीक ठीक क्या हैं जिन में हम सामान्य नियम से अलग हो जायें । इसलिए, हम ने पूछा कि कीमत क्या होगी, कितने पृष्ठ होंगे तथा ऐसी ही बातें ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : पिछले वर्ष अन्य कितने मामलों में इस विशेष नियम का त्याग किया गया है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं ऐसे कुछ मामले जानता हूं जहां हम सामान्य नियम से परे हट गये ।

†**श्री रंगा** : वे क्या हैं ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं उन मामलों की संख्या और उन के नाम जानना चाहता था ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : संख्या तो मेरे पास नहीं है परन्तु मैं कुछ ऐसे उदाहरण जानता हूं जहां हम ने कुछ अखबारों की सहायता की है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या २५ प्रतिशत विज्ञापन का यह प्रतिबन्ध 'पेट्रिआट' प्रकाशन ने अपने आप ही दिया था अथवा कोटे के दिये जाने से पहले सरकार ने लिया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : उन्हों ने स्वयं ही इस के लिए कहा था ।

†**श्री रंगा** : क्या ऐसा ही अपवाद या विशेषाधिकार **टाइम्स आफ इंडिया** समवाय द्वारा प्रकाशित **मराठी** नामक अखबार को भी दिया गया था ? ऐसे अपवादों के किये जाने का क्या कारण है ?

†**श्री त्यागी** : एक औचित्य प्रश्न पर । जब मंत्री महोदय पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई अधिसूचना नहीं थी तो कोई अपवादात्मक बर्ताव नहीं किया गया है । यह उपाक्षेप है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि इस पर कोई निश्चित नियम नहीं है परन्तु पथ प्रदर्शन के लिए कुछ निदेश दिया गया है ।

†**श्री रंगा** : क्या मैं समझूं कि **टाइम्स आफ इंडिया** समवाय द्वारा प्रकाशित उस अखबार को भी यही विशेषाधिकार या अवसर दिया गया था ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या वही विशेषाधिकार—मैं 'अपवाद' शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता—या वैसा ही बर्ताव अन्य किसी भी समवाय को, जोकि एक दैनिक समाचार पत्र छापना चाहता हो, प्रकाशन आरम्भ होने के बहुत पहले ही दिया जायेगा ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : निश्चय ही, उस के गुणदोषों के अनुसार उस पर विचार किया जायेगा । प्रत्येक मामले पर उस के गुणदोषों के अनुसार विचार किया जाता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इस अखबार ने सरकार को बताया था कि क्योंकि इसे राजधानी के समाचारपत्र एकाधिकारों का मुकाबला करना है .

†**श्री रंगा** : यह स्वयं एकाधिकार है ।

श्री हेम बरुआ : उधर भी मैं आऊंगा । क्या इस ने यह कहा था कि इसी कारण इसे सरकार से विशेष बर्ताव चाहिये ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : मंत्री महोदय ने यही कहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें वह पूछना चाहिए जोकि मंत्री महोदय ने नहीं बताया है ।

†**श्री रंगा** : यह कांग्रेस और कम्यूनिस्टों का मिला-जुला अखबार है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इस अखबार ने सरकार को कहा था कि क्योंकि इसे राजधानी के समाचारपत्र एकाधिकारों का मुकाबला करना है इसलिए इस का विशेष लिहाज किया जाये ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विशेष लिहाज करने से पहले सरकार ने इस उपक्रम के राजनीति और एकाधिकारी स्वरूप की जांच की थी ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या माननीय सदस्य इन अनुपूरक प्रश्नों को कंठस्थ कर के आये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शायद उन की स्मरण शक्ति बड़ी तीक्ष्ण है ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं अनुपूरक प्रश्न को समझ नहीं सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह रियायत इस अखबार को इस अभिकथन पर दी गई थी कि वह राजधानी के एकाधिकारी अखबारों का मुकाबला करेगा तथा यदि हां, तो क्या सरकार ने यह जानने के लिये कोई जांच की है कि यह अखबार स्वयं भी एक एकाधिकार उत्पन्न तो नहीं कर रहा है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : यह अकेला ही अखबार है। किसी एकाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : यह अखबार किस आधार पर सरकार को यह बता सका था कि इस का न्यूनतम परिचलन २५,००० होगा ?

†**डा० ब० गोपाल रेड्डी** : मूल प्रार्थना-पत्र में उन्होंने कहा था कि उन्हें २५,००० के लिए चाहिए परन्तु बाद में उन्हों ने विभिन्न प्रान्तीय प्रतिनिधियों के व्यादेश हमें दिखाये जिन से यह पता चलता था कि उन के परिचलन के लगभग ४०,००० होने की संभावना थी।

नेफा की सैनिक असफलतायें

+

†*६७०. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १६ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा को सैनिक असफलताओं के बारे में का जा रही जांच के निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ख) जांच के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) और (ख). सेनाध्यक्ष ने मेरी स्वीकृति के साथ विशेषत: नेफा के कामेंग सेक्टर में हमारी असफलताओं की जांच करने का आदेश दिया है। जांच का काम सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है। जांच के निर्देश-पद इस बात की गहन जांच करना है कि :—

(क) हमारे प्रशिक्षण,
(ख) समारे साज-सामान,
(ग) हमारी कमांड प्रणाली,
(घ) सैनिकों की शारीरिक समर्थता, और
(ङ) अपने अधीन व्यक्ति पर सभी स्तरों पर प्रभाव डालने की हमारे कांमडरों की क्षमता

में क्या त्रुटि थी। इस जांच का आधारभूत उद्देश्य सेना सम्बवधी पाठ सीखना है। जांच इस समय हो रही है और इस के पूरा होने में छ: से आठ सप्ताह और लग जायेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह जांच चीनी आक्रमण का सामना करने के लिये सेना के तैयार न होने की स्थिति की उस जांच के समरूप है जिसका कि गत नवम्बर में प्रधान मंत्री ने संसद् में वचन दिया था और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय निश्चित रूप से सदन को बता सकते हैं कि उस अवधि से सम्बन्धित सभी आलेख और दस्तावेज़ ठीक-ठाक हैं तथा कुछ गुम नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : प्रश्न के भाग होते हैं। भाग (क) यह है कि क्या यह उसी प्रकार की जांच है जिसका कि प्रधान मंत्री को विचार था। मैं ने प्रधान मंत्री से परामर्श कर लिया है। मुझे बताया गया है कि यह वैसी ही जांच है। भाग (ख) सभी दस्तावेज सुरक्षित हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने का भी ध्यान रखा है कि उन सभी गवाहों को, जो इस जांच समिति या आयोग के सामने गवाही देने आयें, उलटी गवाही देने पर भविष्य में उत्पीड़ित किये जाने से बचाव का आश्वासन दिया जाये?

†**श्री यशवन्तराव चव्हान** : निस्सन्देह।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि जो विदेशी हथियार नवम्बर के पहले सप्ताह में ही भारत पहुंच गये थे वे युद्धविराम होने के बाद तक भी युद्धरेखा पर सेनाओं तक नहीं पहुंचे? क्या यह सच है?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसके लिये जांच की जानी है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह जांच इसकी भी छानबीन करेगी कि हमारे सेना के गुप्तचर विभाग में क्या त्रुटि थी?

†**अध्यक्ष महोदय** : निर्देश-पद बता दिए गए हैं। सवाल विवेचन का है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वह हमें बता सकते हैं कि यह भी उसमें आ जाता है कि नहीं?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मेरा विचार है कि यह निर्देश-पदों में आ जायेगा।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जनरल कौल पर कोई विशेष उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इन इन्क्वायरी करने वाले अफसरों को जो हिदायतें दी गई हैं उनमें अन्तिम हिदायत का अर्थ मैं यह समझता हूं कि कुछ अफसरों ने अपने कर्त्तव्य का पालन पूरी तरह से नहीं किया। इसका मतलब है कि सरकार के पास किन्हीं अफसरों के खिलाफ कोई शिकायतें आई हैं। यदि शिकायतें हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाई की गई है या की जा रही है?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यदि जांच के दौरान और प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध कुछ आरोप सिद्ध हो गये तो सरकार निश्चय ही उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे निर्देश-पद जो कि मंत्री महोदय ने सदन को बताने की कृपा की है विभिन्न अधिकारियों द्वारा विभिन्न यूनिटों के फैलाव का उपयोग करने में सैन्य संभार-तंत्र[1] की दुर्बलताओं को अपने अन्तर्गत ले लेने के लिये पर्याप्त हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Army logisties,

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं समझता हूं कि ऐसा ही होगा।

†**श्री दाजी** : क्या सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ समाचार-पत्र यह कहानी प्रकाशित करते रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कागज और दस्तावेज गुम हैं और यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में हमें कोई उत्तर दे सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह दिया जा चुका है।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जानना चाहता हूं कि क्या नेफा की तरह लद्दाख की असफलता की भी जांच की जा रही है ? और यह जो सुना जा रहा है कि चीनियों के आदमी हमारे अफसर बन कर जहां हमावर जवान लड़ने वाले थे वहां गए और उनसे कहा कि हथियार रख दो चीनी आ गए हैं, क्या यह सच है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो इसमें से नहीं उठता।

श्री रामेश्वरानन्द : तो पहले का ही जवाब दिलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल सिर्फ नेफा के मुताल्लिक था।

श्री रामेश्वरानन्द : तो मैं नेफा के सम्बन्ध में पूछे लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब तो वक्त चला गया।

श्री रामेश्वरानन्द : और लोग आपके आर्डर आर्डर कहने पर भी खड़े हो जाते हैं और उनको मौका मिल जाता है, क्या हम भी वह रास्ता अपनावें ?

अयक्ष महोदय : अगर आप वही रास्ता अपनाएंगे तो जो उनके साथ होता है वही आपके साथ भी होगा। आर्डर आर्डर। आप अब बैठ जाएं।

नौसेना अभ्यास

†*६७१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही हिन्द महासागर में हुए राष्ट्रमंडल नौसेना अभ्यासों में भारतीय नौसेना के जहाजों ने भाग लिया था ;

(ख) चीन तथा पाकिस्तान की सीमाओं पर हमारी प्रतिरक्षा में सुधार करने में इन अभ्यासों से किस प्रकार सहायता मिलेगी ; और

(ग) अभ्यासों पर भारत द्वारा अनुमानतः कितना व्यय किया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) ये अभ्यास प्रतिवर्ष होते हैं तथा इस से जहाजों और विमानों को युद्ध का अभ्यास हो जाता है और इस प्रकार भारतीय बेड़ा समुद्री आक्रमण होने पर प्रतिरक्षा के अपनी उच्च प्रतिष्ठा बनाये रख सकता है।

(ग) ये अभ्यास भारतीय बेड़े का अभ्यास कार्यक्रम है और प्रत्येक अभ्यास में व्यय अलग अलग नहीं रखे जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हिन्द महासागर में हुए हाल के अभ्यासों में किन किन देशों के कितने कितने जहाजों ने भाग लिया तथा उनमें भारतीय युद्धपोत कितने हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इसमें लगभग छः भारतीय जहाजों ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त रायल आस्ट्रेलियन नेवी, रायल मलायन नेवी, रायल सीलोन नेवी तथा ब्रिटिश नेवी ने भाग लिया था।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वह संख्या बता सकते हैं।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जी नहीं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या अभी भी संयुक्त राष्ट्रमंडलीय अभ्यासों में अनिश्चित काल तक भाग लेना जारी रखना हमारे बेड़े की चालन क्षमता बनाये रखने के लिए आवश्यक है ? क्या हम अपने अभ्यास स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इन मामलों में ये संयुक्त अभ्यास लाभदायक समझे जाते हैं। अन्यथा हमारे अभ्यास लगातार होते रहते हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : हाल में हुए अभ्यासों में लगभग कितना समय लगेगा ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मेरे पास यह सब जानकारी नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या इन अभ्यासों में पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल किया गया था तथा यदि हां, तो क्या हमारी नौसेना के अधिकारियों ने पनडुब्बियों के कार्यों की भी जानकारी हासिल की थी ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जी हां। इन अभ्यासों में पनडुब्बियां भी भाग लेती हैं।

†**श्री त्यागी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन अभ्यासों में कुछ विदेशी पनडुब्बियों ने भी भाग लिया था तथा हमारे अधिकारियों को उनका अभ्यास कराया गया था ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैंने बताया जी हां।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या सरकार का विचार राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ मिल कर अभ्यासों का विशेष लाभ उठाना है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जी हां।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जानना चाहूंगा कि जो भारतीय सैनिक इस चीनी युद्ध में मारे गये हैं उनकी पेंशन और जो सैनिक शांति के दिनों में मर जाते हैं उन दोनों की पेंशन क्या एक समान होती हैं या उनमें कोई फर्क होता है ?

अध्यक्ष महोदय : वह सवाल तो खत्म हो चुका है। हम आगे बढ गय हैं।

†**श्री दाजी** : क्या पाकिस्तान सरकार की नौसेना के जहाजों ने भी इन अभ्यासों में भाग लिया था ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इस वर्ष पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधवाओं को पेंशन

†*६७२. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन देने में अत्यधिक विलम्ब होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इन पेंशनों की स्वीकृति होने तक इन विधवाओं को क्या सहायता दी जाती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) कोई अधिक विलम्ब नहीं हुआ है । सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन आदि देने में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। लड़ाई में मारे गये कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन अथवा अस्थायी पेंशन उनकी मृत्यु का निश्चित पता लगने पर एक अथवा दो दिन में स्वीकार कर दी जाती है । यदि यह पता लगे कि मृत्यु सैनिक सेवा में नहीं हुई है तथा यदि सैनिक ने उतनी सेवा नहीं की है जिससे वह साधारण परिवार पेंशन का अधिकारी न हुआ हो तो स्वीकृति देने से पहले जांच करना आवश्यक होता है । ऐसे मामलों में कुछ विलम्ब हो जाता है जिसको कम नहीं किया जा सकता ।

(ख) पेंशन ग्राह्य होने पर उसको अस्थायी तौर पर स्वीकृत कर दिया जाता है । इसके अतिरिक्त युद्ध में मरे लोगों को विशेष परिवार उपदान सरकारी कोष से दिया जाता है । युद्ध में मरे हुओं के आश्रितों को राष्ट्रीय रक्षा कोष से अंशदान निम्न के अतिरिक्त दिया जाता है ;

अधिकारी	. दो महीनों तक ५०० रुपये मासिक ।
जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी	. चार महीनों तक ७५ रुपये मासिक
अन्य सैनिक तथा नान कोम्बेटेंट (सूची०)	चार महीनों तक ५० रुपये मासिक

इसके अतिरिक्त युद्ध में मरे अथवा खोये हुए कर्मचारियों को जब तक पेंशन स्वीकृत न हों चार महीने तक परिवार पेंशन के बारे में विशेष परिवार भत्ता दिया जाता है ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : मैं जानना चाहती हूं कि जब मृत्यु युद्धस्थला में न हो तो अधिकारियों की विधवाओं को जीवन पर्यन्त पेंशन मिलती है तथा सैनिकों की विधवाओं को केवल पांच वर्ष तक पेंशन क्यों मिलती है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : ये सामान्य नियम हैं । मैं माननीय सदस्या को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि मैं मामले पर विचार कर रहा हूं ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : ये नियम अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं । मैं जानना चाहती हूं कि इनमें संशोधन करने में कितना समय लगेगा ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यथा सम्भव शीघ्र कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : अधिकारियों तथा सैनिकों में अन्तर क्यों रखा गया है। अधिकारियों की विधवाओं को चार महीने तक ७५ रुपये मिलते हैं जबकि नान काम्बटैंटों तथा अन्य सैनिकों को चार महीनों तक ५० रुपये मिलते हैं। क्या माननीय मन्त्री बेचारी विधवाओं के लिए यह थोड़ी सी राशि पर्याप्त समझते हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : सामान्यतः पेंशन वेतनक्रम आदि के आधार पर निश्चित की जाती है। सम्भवतया यह बहुत पहले निश्चित कर दिया गया था।

†**श्री जोकीम आल्वा** : विवरण से मालूम नहीं होता है कि जवानों तथा अधिकारियों, जो कर्तव्यपालन में मर गये, के बच्चों को कोई सहायता दी जाती है। जब पांच से छः बच्चे होते हैं तो जो राशि उनको दी जाती है वह बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के आदेश दिए गए हैं कि अन्य किसी कोष में उनको इतना धन दिया जाये। जिसमें बच्चों को पर्याप्त शिक्षा मिल सके।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : राज्य सरकारों ने आश्वासन दिया है कि वह मामले पर विचार करेंगी। वह ऐसा कर रही है।

श्री कछवाय : विधवाओं को जो पेंशन दी जाती है क्या उनके मरने के बाद जो उनके नाबालिग बच्चे होते हैं उन को भी इसे देने की व्यवस्था है।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता हूं। परन्तु शिक्षा भत्ता जब मिलना शुरू हो जाता है तो बेगम की मृत्यु तक मिलता रहता है।

लड़ाकू विमानों का निर्माण

\+

†*६७३. **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बृजराज सिंह कोटा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर द्वारा बनाये गये एच० एफ–२४, एम० के–१ लड़ाकू विमान के दो 'प्रोटोटाइप्स' (आद्यरूप) की सभी परीक्षण उड़ानें सन्तोषजनक रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन विमानों के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) एच एफ–२४, एम० के० १ विमान के आद्यरूप द्वारा विस्तृत विकास परीक्षण उड़ाने की जा रही हैं।

(ख) विमान के विकास के साथ-साथ विमान का उत्पादन करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० चं० शर्मा** : ये परीक्षण उड़ानें कब से हो रही हैं तथा कब तक होती रहेंगी ?

†**श्री रघुरामैया** : पहले आद्यरूप के मामले में आठ महीने; दूसरे के मामले में चार महीने। जब तक विमान को पूरी तरह ठीक नहीं पाया जायेगा तब तक उड़ानें होती रहेंगी।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : क्या ये आद्यरूप लड़ाकू विमान हम अपने साधनों से बना रहे हैं अथवा हम कुछ अन्य विदेशों से भी सलाह ले रहे हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : अपने साधनों से। सभा को याद होगा कि आरम्भ में हमने डा० कुर्ट टन्क के नेतृत्व में जर्मन विमान विशेषज्ञों के दल की सहायता ली थी।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहूंगा कि यह जो फाइटर प्लेस बनाये गये हैं इनमें लगने वाले सभी पार्ट्स यहां हिन्दुस्तान के अन्दर मैनुफैक्चर किए गए या बाहर से भी कुछ पार्ट्स इनके लिए मंगाये गये थे ?

†**श्री रघुरामैया** : केवल उन पुर्जों जिनका आयात करना आवश्यक है के अतिरिक्त अन्य सभी पुर्जों का निर्माण यहां होता है।

श्री बृजराज सिंह कोटा : क्या यह सच है कि ब्रिस्टलस ने ७०४ आरफिक्स—७०४ जैट इंजन देने का अपना प्रस्ताव पुनः भेजा है जिससे हमारे एच एफ–२४ मार्क २ के विमानों की रफतार माल २ के समान हो जायेगी और यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

†**श्री रघुरामैया** : इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए।

ए० सी० सी० तथा एन० सी० सी०

+

†*६७५. { **श्री दाजी** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूल के बच्चों के लिये ए० सी० सी० (सहायक सेनाछात्र दल) तथा एन० सी० सी० (राष्ट्रीय सेनाछात्र दल) जूनियर राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय के अधीन आने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसका वर्तमान आपात के लिये प्रशिक्षण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी नहीं। परन्तु शिक्षा मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा है।

(ख) और (ग). अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री दाजी** : मामले पर निर्णय लेने से पहले क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना विद्यार्थियों को राइफल चलाना नहीं सिखायेंगी और वर्तमान योजना इस योजना की तुलना में उत्तम है इसलिए इसी को चलाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैंने भी यही उत्तर दिया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में कुछ दिनों पहले शिक्षा मन्त्रालय और प्रतिरक्षा मन्त्रालय के प्रतिनिधियों में बातचीत हुई थी और शिक्षा मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दे दिया गया था, तो इस पर अब दुबारा विचार करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, क्या इस पर प्रकाश डाला जायगा ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : जहां तक अन्तर्विभागीय स्थिति का सम्बन्ध है, यदि कुछ प्रस्ताव दिए गए थे उस पर विचार करने में कोई इंकार नहीं करेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने एक आश्वासन दिया था और इस लिए अब अग्रेतर विचार की आवश्यकता का है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैं उस आश्वासन को पुनः दोहरा रहा हूं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्योंकि ए सी सी तथा एन सी सी की तुलना में राष्ट्रीय अनुशासन को कम खर्च वाली माना गया है तो इसको उनके स्थान पर लागू करने के में क्या कठिनाई है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण**: दोनों में अन्तर हैं। राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अपने गुणावगुण हैं तथा स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों पर वैकल्पिक योजना के रूप में इसको लिया जा सकता है मैं नहीं समझता कि दोनों योजनायें एक दूसरे की प्रतिद्वन्द्वी हैं।

तीस्ता नदी (सिक्किम) में बाढ़

***६७६. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री ४ सितम्बर, १९६२ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में तीस्ता नदी की बाढ़ से जो पुल बह गये थे तथा जन धन की हानि हुई थी, क्या उनके ठीक-ठीक कारणों का पता इस बीच लगाया जा चुका है ;

(ख) क्या बाढ़ के कारणों तथा परिस्थितियों और जन-धन की हानि दिखाने वाला एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) उस दुर्घटना के लिये अथवा लापरवाही के लिये यदि कोई अधिकारी दोषी पाये गये हैं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने तथा सहायता देने में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) बाढ़ के कारण हुई क्षति तथा नुकसान को आंकने के लिये आयोजित अधिकारियों के बोर्ड ने समर्थन किया है कि इसका कारण उत्तर-पश्चिम सिक्किम में जेमू स्थान पर एक हेम नदी का फूट पड़ना था।

(ख) जानो-माल की क्षति दर्शाने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जानो-माल की क्षति दैव आपत्ति के कारण हुई। इसलिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(घ) पोलीटिकल आफिसर सिक्किम द्वारा कार्मिक तथा मरने वालों के कुटुम्बों को वस्त्र तथा खाना पकाने के बरतन इत्यादि के रूप में प्रधान मन्त्री की सहायता निधि से १३२३० रुपये की लागत की तुरन्त सहायता दी गई थी। वर्कमेन्ज कम्पेन्सेशन एक्ट की शर्तों की समानता पर पोलीटि-

---

†मूल अंग्रेजी में

कल आफिसर की सलाह से, चीफ इंजीनियर द्वारा, मरने वाले कैजुअल कार्मिकों के कुटुम्बों को प्रतिकर देने के प्रश्न पर कार्यवाही की जा रही है। जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स अथवा सेना सैविवर्ग में से कोई जन हानि नहीं हुई। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–१०५१/६३]**

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण में एक लम्बी सूची दी गई है कि कितने सामान का नुकसान हुआ है। लेकिन क्या यह बतलाने की कृपा की जायगी कि इस बाढ़ के फलस्वरूप कुल नुकसान कितना हुआ था ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : रकम बताना बड़ा कठिन है क्योंकि अधिकांशतः सामान था। मुझे पूरी रकम की जानकारी नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : परन्तु विवरण में विभिन्न मदों के ब्यौरे हैं। माननीय सदस्य कुल नुकसान जानना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने उत्तर दे दिया है कि यह सामान था।

श्री भक्त दर्शन : कम से कम मोटा अन्दाजा लगाया जा सकता है।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मोटा अन्दाजा तो है, परन्तु हमारे पास इस समय नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, चूंकि इस सीमा सड़क संगठन के लोगों को कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, इसलिए क्या उनकी और उनके साथ कार्य करने वाले श्रमिकों के जीवन की रक्षा के लिए आगे से कोई सतर्कता बरती जा रही है और इस सम्बन्ध में कोई अच्छी व्यवस्था की जा रही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार का नुकसान न होने पाए ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : इसका ध्यान रखा जाता है कि जब कैम्प बनाये जायें तब उनको बाढ़ की रेखा से ऊंचाई पर बनाया जाना चाहिए ? परन्तु यह बाढ़ अचानक आ गई थी। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि धन जन की रक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है तथा की जा रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्मचारी भविष्य निधि में से धन निकालना

†*६६७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सदस्यों के लिए ऐसा उपबन्ध है कि वे किराया-खरीद आधार पर मकान खरीदने के लिये निधि में से धन निकाल सकते हैं ;

(ख) क्या कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखे बिना कि वे मकान एकमुश्त कीमत अदा करके खरीदते हैं या किराया-खरीद आधार पर, उपरोक्त निधि में से पेशगी रकम मिल सकती है ; और

(ग) मकान खरीदने वाले को प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किश्तों के रूप में प्रति वर्ष दिये जाने वाले धन की अधिकतम राशि कितनी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख) जी हां ।

(ग) किराया खरीद-करार के आधार पर कोई सीमा नहीं है क्योंकि प्रत्येक मामले में किस्त की राशि अलग-अलग होगी । परन्तु कुल धन वापस लेने की सीमा है अर्थात् एक सदस्य बारह महीने की मजूरी तथा मंहगाई भत्ता ले सकता है अथवा भविष्य निधि का सूद समेत आधा भाग ले सकता है । परन्तु दोनों में जो कम हो वह मिलेगा ।

आकाशवाणी में देशभक्ति गान

†*६७४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती जमुना देवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा विभिन्न राज्यों से कितने देशभक्तिपूर्ण गाने तथा तर्जे इकट्ठी की गई हैं जो राष्ट्र की वर्तमान भावना अभिव्यक्त करती हैं ;

(ख) क्या ये विभिन्न भाषाओं के विख्यात कवियों तथा लेखकों की रचनायें हैं ; और

(ग) क्या विशेष रूप से नियुक्त किये गये एक विशेषज्ञ मंडल ने इन रचनाओं को आकाशवाणी द्वारा प्रयोग किये जाने के लिये अंतिम रूप से चुन लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी) : (क) १२१० :

(ख) गान, प्रसिद्ध तथा कम प्रसिद्ध कवियों तथा लेखकों के थे ।

(ग) संगीत की विभिन्न भावों का मूल्यांकन करने के लिये विभागीय समिति की सिफारिशों पर सभी केन्द्रों द्वारा प्रसारण के लिये ६८७ गान स्वीकार किये गये । शेष गीतों का निर्माण करने वाले केन्द्रों ने उपयोग कर लिया ।

पाकिस्तानी डकैतों द्वारा छापे

†*६७७. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्रिय गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीमगंज (आसाम) के निकट कुछ गांवों में हाल में ही पाकिस्तान से डकैतों ने छापे मारे थे तथा उन्होने भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति लूटी थी ;

(ख) यदि हां, तो इन छापों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख) जी हां । २/३ मार्च, १९६३ को रात्रि में २०/२५ डकैतों के दल ने थाना करीमगंज, गांव बाहुबल में एक मकान पर छापा मारा । ये सभी बंदूक, लाठी आदि से लैस थे। डकैत १००० रुपये के मूल्य के नकदी तथा कपड़े और कुछ दस्तावेज ले गये तथा निवासियों को भी उन्होंने मारा पीटा । पाकिस्तान की ओर लौटते हुए डकैतों ने बन्दूक चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति घायल हुआ ।

(ग) आसाम सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजा है जिन्होंने मामले की जांच करने को तथा अपराधियों को पकड़ने को और चोरी गई सम्पत्ति को भारतीय मालिक को दिलाने को कहा है ।

राज्य सरकार ने आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा को डकैत विरोधी कार्य बढ़ाने के लिये दस्ते भेजे हैं । गस्त लगाने के लिये विभिन्न गांव प्रतिरक्षा दल भी इकट्ठा की जा रही है ।

सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड

†*६७८. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड के पास बहुत धन है ;

(ख) इस धन को किस प्रकार जमा किया गया है ; और

(ग) इस धन को किन विशिष्ट कार्यों के लिये व्यय किया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) भारतीय सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड के नियंत्रण में भारतीय सैनिक नाविक तथा वैमानिक बोर्ड कोष की आस्तियां फरवरी १९६३ के अन्त तक १५,४५,०६४ रुपये ५४ नये पसे हैं ।

(ख) और (ग) समस्त देश में जिला सनिक, नाविक, तथा वैमानिक बोर्ड के सम्भरण संबंधी व्यय को पूरा करने के लिये तथा अंधे सैनिकों को विशिष्ट पेंशन देने के लिये इम्पोरियल इंडियन रिलीफ फंड से दिये गये १० लाख रुपयों से भारतीय सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड कोष बनाया गया था । बोर्ड का प्रबन्ध व्यय केन्द्र तथा संबंधित राज्यों के बीच बराबर बंट जाता है तथा कोष का उपयोग प्रति व्यक्ति १० रुपये की दर से अंधे सैनिकों, नाविकों तथा वैमानिकों को पेंशन देने के लिये होता है । इस कोष के लिये धन इकट्ठा नहीं किया जाता है ।

कानपुर की कपड़ा मिलों में एक पारी

†*६७९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री कछवाय :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अधिक उत्पादन के लिये घोषणा की जाने के बाद कानपुर की कुछ कपड़ा मिलों ने एक पारी बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो आपात काल में किन मिलों ने एक पारी बन्द कर दी है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) और (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है। मामला राज्य के अधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र महा-सभा

†*६८१. **श्री हरि विष्णु कामत :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन कब होना निश्चित हुआ है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस अधिवेशन में प्रतिनिधिमंडल भेजने का है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को अंतिम रूप से चुन लिया गया है ; और

(घ) प्रतिनिधिमंडल का नेता कौन होगा ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) १८ मई, १९६३।

(ख) से (घ). संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि श्री बी० एन० चक्रवर्ती शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। शिष्टमंडल न्यूयार्क में स्थायी शिष्टमंडल के अधिकारियों में से चुना जायेगा।

पलाना कोयला क्षेत्र में कल्याण केन्द्र

†१३२३. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाना कोयला क्षेत्र (राजस्थान) में कल्याण केन्द्र के एक भवन के निर्माण के लिये योजना क्रियान्वित की जा चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं :

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) अभी तक नहीं।

(ख) कल्याण केन्द्र के निर्माण के लिये चुनी गई भूमि, जो कि ग्राम पंचायत, पलाना की है, अभी तक कोयला खान कल्याण संगठन को हस्तांतरित नही की गई है।

आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों पर वृत्त चित्र

†१३२४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३–६४ में आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों तथा कला पर एक वृत्त चित्र तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

जन संचार के माध्यम का अध्ययन

†१३२५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अनुसंधान तथा निर्देश विभाग ने जन संचार के माध्यम का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस विषय का अध्ययन किया जा रहा है ; और

(ग) क्या यह पूरा हो गया है और यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ):** (क) से (ग). जी नहीं। समय समय पर विभाग ने कुछ विशेष क्षेत्रों में सर्वेक्षण किये हैं परन्तु इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त कर्मचारियों की कमी के कारण निष्कर्ष बहुत स्पष्ट नहीं रहे हैं। इस विभाग का मुख्य कार्य प्रचार प्रयोजनों के लिये सरकार को निर्देश सामग्री का देना है।

इंगलैंड में एक भारतीय छात्र की मृत्यु

†१३२६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या प्रधान मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलैंड में लीड्स में २७ फरवरी, १९६३ को एक भारतीय छात्र एक दुर्घटना में मारा गया ;

(ख) क्या मृत्यु का समाचार दिल्ली में प्राप्त होने के पश्चात् भी मृतक के रिश्तेदारों को बहुत विलम्ब के पश्चात् दिया गया और यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अपराधी को दण्ड देने के लिये तथा प्रतिकर का दावा करने के लिये कानूनी कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां।

(ख) मृत्यु का समाचार २८ फरवरी को भारतीय उच्चायोग, लन्दन ने मृतक के भाई को तार द्वारा दिया था जो कि उसे मिल चुका है।

(ग) बीमा कम्पनी से, जिसने कि दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त मोटर गाड़ी का परिनियत तृतीय दल जोखिम[1] के विरुद्ध बीमा किया था, प्रतिकर मांगने की सम्भावनाओं को आंकने के लिये पहले से ही कार्यवाही की जा रही है। अपमृत्यु-विचारक के अन्वीक्षण[2] में दिये गये साक्ष्य की भी जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के लिये तृतीय योजना के लक्ष्य

†१३२७. **श्री सरजू पांडेय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुनरीक्षित कर दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Statutory third party risk.

[2] Coroner's inquest

(ख) क्या योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता देने का प्रस्ताव किया है ताकि योजना के निर्धारित लक्ष्यों पर टिका जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) : जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सम्बलपुर में रेडियो ट्रांसमिटर

†१३२८. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि सम्बलपुर (उड़ीसा) में शीघ्र ही एक नया ट्रांसमिटर लगाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्षमता तथा ब्योरे क्या हैं ;

(ग) इस पर कुल कितनी धन राशि व्यय की जायगी ; और

(घ) कार्य के कब प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी, हां ।

(ख) ट्रांसमिटर की क्षमता २० किलोवाट मीडियम वेव है। यह ८६० किलोसाइकल्स की आवृत्ति[1] पर कार्य करेगा और आकाशवाणी के कटक केन्द्र के व्याप्ति-क्षेत्र[2] का विस्तार करने के लिये उसके कार्यक्रमों को पुनः प्रसारित[3] करेगा ।

(ग) लगभग १३ लाख रुपये ।

(घ) शीघ्र ही ।

जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड

१३२९. **श्री रणंजय सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड, जो जिलों में कई शताब्दियों से नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं और अभी तक अस्थायी ही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन बोर्डों को स्थायी करने का विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां, अधिकतर राज्यों में ऐसी ही स्थिति है ।

(ख) बोर्डों को संबंधित राज्यों के अधीन स्थायी बनाने का सुझाव उन्हें भेजा गया है । अभी तक तीन राज्यों ने इस सुझाव को स्वीकार किया है और अन्य राज्यों की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Freqency.

[2] Coverage.

[3] Relay.

उड़ीसा के कामदिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध की गईं स्त्रियां

†१३३०. **श्री उलाका** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ के दौरान अब तक उड़ीसा के अनेक कामदिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत की गईं स्त्रियों (स्नातिकाओं तथा गैर-स्नातिकाओं दोनों ही) की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसी अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें उसी अवधि में रोजगार सम्बन्धी सहायता दी गई थी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) और (ख) .

प्रार्थियों का प्रवर्ग	अप्रैल–दिसम्बर, १९६२* के दौरान पंजीबद्ध की गई स्त्रियों की संख्या	अप्रैल–दिसम्बर, १९६२* के दौरान रोजगार में लगाई गई स्त्रियों की संख्या
(१)	(२)	(३)
स्नातिकायें . .	५९	२
मैट्रिक पास तथा इंटरमीडियेट पास	२०१	४६
मैट्रिक के स्तर से नीचे वाली (निरक्षरों को मिलाकर) . .	३,६२०	६७१
योग . .	३,८८०	७१९

*क्योंकि यह जानकारी अर्ध-वार्षिक आधार पर एकत्रित की जाती है, अतः केवल दिसम्बर, १९६२ तक के ही आँकड़े उपलब्ध हैं।

तेजपुर में धनराशि का लापता होना

†१३३१. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीस हज़ार रुपये एक थैले में से गायब पाये गये थे जो कि बामडिला के पालिटिकल आफिसर के प्रभार में था;

(ख) यदि हाँ, तो वह किस प्रकार खोया गया; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच पड़ताल की गई थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हाँ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक वैभागिक जाँच की जा रही है । उस के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है । तेजपुर पुलिस को भी रिपोर्ट की गई थी जो कि जाँच पड़ताल कर रही है ।

विश्व पुलिस बल[1]

†१३३२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण के अधीन एक दृढ़ विश्व पुलिस बल बनाने की आवश्यकता तथा वाँछनीयता पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के प्रतिनिधि द्वारा उल्लिखित ऐसे एक प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार का यह विश्वास है कि एक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन यथासम्भव शीघ्र सामान्य तथा पूर्ण निःशस्त्रीकरण होना चाहिये तथा निरस्त्रीकृत विश्व में शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के लिये एक संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति सेना होनी चाहिये । संयुक्त राष्ट्र संघ महा सभा के पिछले सत्र के दौरान अमेरिका के प्रतिनिधि ने इस समस्या का उल्लेख किया था और यह भी कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति सेना से सम्बन्धित अनेक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्नों को जेनेवा में निरस्त्रीकरण समिति की बैठकों में चलाई जा रही समझौता वार्ताओं के संदर्भ में हल करने की आवश्यकता है । इस समिति में भारत का प्रतिनिधित्व है ।

आदिम जातियों की भाषाओं में प्रसारण

†१३३३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के उन केन्द्रों की संख्या कितनी है जहाँ स आदिम जातियों की भाषाओं मे समाचार, गीत आदि प्रसारित किये जाते हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिये आदिम जातियों की किन किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और किन किन केन्द्रों से; और

(क) क्या कलकत्ता तथा राँची जैसे केन्द्रों से सन्थाल भाषा में प्रसारण करने की कोई व्यवस्था है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]World. Police Force.

विवरण

क्रम संख्या	केन्द्र (स्टेशन)	आदिम जाति की भाषायें
१	गौहाटी	धेमा नागा, आओ नागा, अंगमी नागा, लोथा नागा, शेरदुकपेन, आदि, खम्पती, अपातनी, दफला, मिशमी, नोक्टे, वान्चू, टंगसा, मोंपा, मिकिर, डिमासा, कचारी, गारो, खासी, जयन्तिया, लुशाई, काबुई नागा, गंगटे, तंखुल नागा, पायटे, हनर, थदाऊ, कुकी, इमोल कोम नागा, वायफेई, इओयु, बोडो, राभा तथा नेफा आसामी ।
२	कलकत्ता	त्रिपुरी
३	राँची	सन्थाली, मुन्डारी, ओराओं, नागपुरिया, खारिया, कुरमली, बिरहोर तथा असुर ।
४	कोहिमा	आओ नागा, अंगमी नागा, सेमा नागा, लोथा नागा, जेमा, केरयोक, फोम, संगतम नागा, आसामी तथा चाँग ।
५	कुरस्योंग	लेप्चा
६	कटक	पारोजा, गडोबा, कोयी, बोन्डो, कोल, सन्थाली, मुन्दराई, ओरओं, कीसान, काँधी, जुआन्जा, कलंगी तथा करामी ।
७	इंदौर–भोपाल	गोंडी, भीली, हाल्बी और मुंडी
८	नागपुर	बंजारी
९	जयपुर	बागड़ी
१०	बंगलौर	हक्की पिक्की, जेनु कुरबा, बेट्टा कुरबा'ज़, पाँजे येरावास, सोलीगार्स, कोरागास तथा लम्बानी ।
११	शिमला	किन्नेरी

(ग) राँची और कटक केन्द्रों से सन्थाली भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं ।

दिल्ली छावनी में निर्जलीकरण संयंत्र[1]

†१३३४. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी में खोले जाने वाले निर्जलीकरण कारखाने की क्षमता कितनी है; और

(ख) इस के कब चालू किये जाने की सम्भावना है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Dehydration Plant

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). दिल्ली छावनी में निर्जलीकरण कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तदपि, सशस्त्र सेनाओं द्वारा उपयोग किये जाने वाले जमा कर शुष्क किये हुए उत्पादों की उपयुक्तता की जाँच करने के लिये एक त्वरित हिमायन शुष्कीकरण अग्रिम प्रतिमान संयंत्र[1] दिल्ली छावनी में स्थापित कर दिया गया है । प्रयोग और परीक्षण किये जा रहे हैं ।

चालू वित्तीय वर्ष में पूंजी-निर्माण

†१३३५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में पूंजी-निर्माण में कोई गिरावट आई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष के लिये पूंजी-निर्माण के कोई प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं ।

टाटा कोयला खानों के प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना

†१३३६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों के टाटा समूह ने श्रमिकों तथा प्रबन्धकों का एक संघ बना लिया है जिसका प्रबन्ध केन्द्र प्रशासित एक दस सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा जिस में कि श्रमिकों तथा प्रबन्धकों का अनुपाती प्रतिनिधित्व होगा; और

(ख) यदि हाँ, तो संघ द्वारा किन किन विषयों के सम्बन्ध में कार्य किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) 'टिस्को' कोयला खानों द्वारा एक बीस-सदस्यीय केन्द्रीय समिति स्थापित कर दी गई है जिस में प्रबन्धकर्ताओं तथा श्रमिकों प्रत्येक के दस-दस प्रतिनिधि हैं ।

(ख) प्रारम्भ में समिति उत्पादन, सुरक्षा तथा कल्याण सम्बन्धी मामलों में कार्य करेगी । जैसे जैसे इसे अनुभव होता जायेगा यह अन्य मामलों में भी कार्य करेगी ।

उपभोक्ता सहकारी संस्थायें

†१३३७. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री बासप्पा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक कर्मकारों के बीच उपभोक्ता सहकारी संस्थायें बनाने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन सहकारी संस्थाओं के प्रबन्ध में नियोजक स्वयं कहां तक सहयोग दे रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Accelerated Freeze Drying Pilot Model Plant.

(ग) इन सहकारी संस्थाओं की उत्पत्ति तथा विकास में कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि का किस सीमा तक उपयोग किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) अधिकांश राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिये नये उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की व्यवस्था करने के लिये और विद्यमान भण्डारों को पुनः सबल बनाने के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम बना लिये हैं। अन्य राज्य सरकारें ऐसा कर रही हैं।

(ख) नियोजकों के केन्द्रीय संगठनों ने इस योजना का भारी प्रचार किया है और अपने सदस्यों से इसे क्रियान्वित करने के लिये कहा है राज्य सरकारें भी इस मामले में नियोजकों से आग्रह करती रही हैं और प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक रही है सहकारी संस्थाओं की प्रबन्धक समिति में नियोजकों के प्रतिनिधित्व के लिये भी इस योजना में उपबन्ध किया गया है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधिसे क्रमशः ३० तथा २० रुपये की अ-प्रतिदेय पेशगी[1] ले सकने की अनुमति दे दी गई है जिससे कि कर्मचारी सहकारी संस्थाओं के अंश (शेयर्स) खरीद सकें। सहकारी संस्थाओं की कर्मवाहक पूंजी को बढ़ाने के हेतु इन संस्थाओं में विनियोजन करने के लिये कोयला खान तथा कर्मचारी भविष्य निधि से अ-प्रतिदेय पेशगी लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारत में चीनी

†**१३३८. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विदेशों से आये हुए बहुत से चीनियों ने हांगकांग स्थित पुर्तगाली प्राधिकारियों के द्वारा मकाओ में बसने के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीय चीनियों ने ऐसी प्रार्थना की है ; और

(ग) इस पर सरकार की यदि कोई प्रक्रिया है तो वह क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) . हांग कांग स्थित पुर्तगाली वाणिज्य दूत द्वारा दिये गये इस वक्तव्य के समाचार हमारे ध्यान में आये हैं कि भारत में विदेशों से आये हुए लगभग पच्चास चीनियों ने मकाओ में बसने के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं।

(ग) ऐसे चीनी लोगों को भारत छोड़ कर जाने में सरकार ने कोई अड़चन नहीं लगाई है। उनके पुनः भारत में आने के लिये सुविधायें नहीं दी गई हैं।

आकाशवाणी से समाचार प्रसारण

†१३३९. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री उटिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस प्रकार की कोई शिकायतें मिली हैं कि आकाशवाणी द्वारा महत्वपूर्ण समाचारों को प्रायः अंग्रेजी में तो दिया जाता है, परन्तु राष्ट्रभाषा तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में नहीं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Non-refundable advances.

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के भेद-भाव की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

भारतीय युद्धबन्दियों के लिये खाद्य पदार्थों के पार्सल

†१३४०. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९ दिसम्बर, १९६२ को दारंग जोंग में पहली खेप के दिये जाने के पश्चात् चीनियों के कब्जे में भारतीय युद्ध बन्दियों को खाद्यपदार्थों के पार्सल भेजने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यदि और कोई पार्सल नहीं भेजे गये हैं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) अन्तिम खेप के लिये किसने व्यय किया था और क्या सरकार ने उनकी प्रतिपूर्ति कर दी है ; और

(घ) चीनियों के हाथ में जो भारतीय बन्दी हैं उन्हें क्या खाद्य पदार्थ दिये जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख) पन्द्रह पन्द्रह दिन के पश्चात् खाद्य पदार्थों के और पार्सल भेजने की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है। भारतीय रैड क्रास सोसाइटी, जो कि इस कार्य को कर रही है, इन पार्सलों के भेजे जाने के लिये मार्ग तथा अन्य ब्यौरों के सम्बन्ध में चीनी रैड क्रास सोसाइटी के साथ परामर्श कर रही है।

(ग) पहले पहले भारतीय रैड क्रास सोसाइटी ने व्यय किया था और अब उस धन राशि की राष्ट्रीय रक्षा कोष से धन लेकर उन को प्रतिपूर्ति कर दी गई है ।

(घ) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है ।

सैनिक ट्रक दुर्घटना

१३४१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९६३ के मध्य में एक सैनिक ट्रक, जो जोशीमठ से रुड़की की ओर जा रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दुर्घटना के कारणों, परिस्थितियों, स्थान, मृत व्यक्तियों के नामों आदि पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) मृत व्यक्तियों के परिवारों को किस रूप में प्रतिकर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) जी हां । १७ जनवरी, १९६३ को ।

(ख) दुर्घटना हरिद्वार-देवप्रयाग मार्ग पर ५२.४ मील पर हुई, और परिणामस्वरूप दो व्यक्ति, चालक आर० वलायुधन नायर और अग्रिम चालक ए० अलबर मर गए । दुर्घटना के

†मूल अंग्रेजी में

कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिये एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आयोजित की गई है, परन्तु उसकी कार्यवाही अभी सम्पूर्ण नहीं हुई ।

(ग) कोर्ट आफ इन्क्वायरी की कार्यवाही सम्पूर्ण होने के शीघ्र ही पश्चात् मृतकों के कुटुम्बों की क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर कार्यवाही की जायेगी ।

परभनी में प्रसारण यंत्र

†१३४२. **श्री लोनीकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यद्यपि परमनी (महाराष्ट्र) में गोदाम तथा सामग्री भाण्डागार के लिए उपयुक्त भूमि अर्जित कर ली गई है, फिर भी परभनी में प्रसारण केन्द्र की स्थापना होने में देर होने के क्या कारण हैं; और

(ख) यह अब किस अवस्था में पहुंचा है और कब पूरा होगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख). प्रसारण भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त ठेकेदार प्राप्त करने में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की असमर्थता ही अधिष्ठापन परियोजना में विलम्ब होने का मुख्य कारण है । अब कार्य महाराष्ट्र राज्य के लोकनिर्माण विभाग को सौंपा जा रहा है जो उसे करने के लिए सहमत हो गया है । आशा है कि परियोजना १९६४–६५ के मध्य तक पूरी हो जायेगी ।

हेलीकोप्टर उड़ाने का प्रशिक्षण

१३४३. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ विमान चालकों को हेलीकोप्टर उड़ाने का प्रशिक्षण लेने के लिये विदेश भेजा है;

(ख) यदि हां, तो कितने विमान-चालक भेजे गये हैं;

(ग) उन पर कितनी विदेशी और भारतीय मुद्रा खर्च होने की संभावना है; और

(घ) यह प्रशिक्षण कितने समय का होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) से (ग). सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

आस्ट्रलिया से सैनिक सहायता

†१३४४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम हरख यादव:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने भारत की प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक सहायता देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जायेगी; और

(ग) इस का प्रयोग कैसे किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हान)** : (क) से (ग). आस्ट्रेलिया सरकार ने उपहारस्वरूप २२ लाख आस्ट्रेलियाई पौंड के मूल्य के अस्त्र, गोला बारूद, आदि, और ऊनी वस्त्र देना स्वीकार कर लिया है।

केरल, लक्कदीव और अन्दमान में प्रदर्शनी यूनिट

†१३४५. **श्री कोया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में तीसरी पंचवर्षीय योजना का अधिक प्रचार करने के लिए प्रदर्शनी यूनिट का विस्तार करने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार लक्कदीव तथा अन्दमान में विशेष प्रदर्शनी यूनिट खोलने का है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी नहीं।

(ख) 'विशेष प्रदर्शनी' अभिव्यक्ति समझ में नहीं आई। फिर भी, १९६१–६२ में दो प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं और इस वर्ष एक प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी। आजकल लक्कदीव द्वीपसमूह में प्रदर्शनी आयोजित करने का विचार नहीं है।

हिन्दी की फिल्मों को हिन्दी में प्रमाण पत्र

१३४६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १२ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी चलचित्रों को हिन्दी में प्रमाणपत्र देने के जिस सुझाव पर विचार किया जा रहा था, उस के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : फिलहाल यथापूर्व स्थिति कायम रखने का निश्चय किया गया है।

चंडीगढ़ में प्रसारण यंत्र

†१३४७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में एक प्रसारण यंत्र लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी हां।

(ख) सामान के लिए क्रयादेश (आर्डर) दे दिया गया है और आशा है कि वह १९६३–६४ के उत्तरार्द्ध में प्राप्त होगा।

आकाशवाणी के केन्द्र

†१३४८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ के बाद भारत में आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र में गीतों, नाटकों और संवादों पर कुल कितना व्यय हुआ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसी काल में भाग लेने वालों को महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता के रूप में कुल कितना धन दिया गया; और

(ग) प्रत्येक आकाशवाणी केन्द्र में वर्तमान सूची में कितने कलाकार हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र पटल पर रख दी जायेगी ।

जम्मू तथा काश्मीर में बनिहाल कार्ट रोड (गाड़ी सड़क) पर रज्जु पथ

†१३४९. **(श्री अब्दुल गनी गौनी :**
(श्री गोपाल दत्त मेंगी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार जम्मू तथा काश्मीर में बनिहाल कार्ट सड़क पर रज्जु पथ बनाने की जिस योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही थी, उसके निर्माण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : बनिहाल कार्ट सड़क से माननीय सदस्य का अभिप्राय कदाचित जम्मू-श्रीनगर सड़क अर्थात् राष्ट्रीय राजपथ संख्या १-क से है । यदि हां, तो बनिहाल पर रज्जु पथ बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

जम्मू तथा काश्मीर में बनिहाल कार्ट रोड (गाड़ी सड़क) पर यातायात

†१३५०. **श्री अब्दुल गनी गौनी :**
श्री गोपाल दत्त मेंगी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा श्रीनगर को मिलाने वाली बनिहाल कार्ट सड़क पर बहुत यातायात होता है और इस पर बहुत सी दुर्घटनायें होती हैं; और

(ख) इसमें सुधार करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) कदाचिप्, माननीय सदस्य जम्मू-श्रीनगर सड़क, अर्थात् राष्ट्रीय राजपथ संख्या १क का उल्लेख कर रहे हैं । यदि हां, तो इस सड़क पर यातायात बहुत होता है । इस सड़क पर समय-समय पर दुर्घटनायें भी होती हैं । सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) इस राष्ट्रीय राजपथ में तीन वर्ष में सुधार करने का प्रोग्राम बनाया गया है और उस पर कार्य हो रहा है । इन कार्यों में सड़क को चौड़ा करना, उसकी सतह को दृढ़ बनाना, पुलों के स्थान पर नये पुल बनाना और पुनर्निर्माण करना, जल निष्कासन में सुधार करना और पहाड़ी दिशाओं को स्थिर बनाना शामिल है ।

राइफल

१३५१. **श्री कछवाय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ३०३ राइफलों के स्थान पर किसी अन्य प्रकार की राइफलें प्रयोग में लाने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कब ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) देशीय निर्माण तथा मित्र विदेशों से आयात के आधार पर, ऐसा प्रगतिशीलता से किया जाएगा ।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक उपक्रम

†१३५२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :**
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ औद्योगिक उपाक्रम की प्रतिरक्षा उत्पादन करने के लिए कोई नामावली दी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई निश्चय कर लिया है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार को निश्चय की सूचना दे दी गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां । राज्य में छोटे और औसत पैमाने के उद्योगों के सर्वेक्षण के उद्धरण जिनमें प्रतिरक्षा प्रयास के लिए उपयोगी कुछ वस्तुओं का उल्लेख है, मध्य प्रदेश सरकार से मिले हैं ।

(ख) जी हां । इन सुझावों पर विचार किया गया है ।

(ग) आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं और सुझाव दिया है कि फर्में सुनिश्चित वस्तुओं के लिए संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक के पास अपने नाम रजिस्टर करा लें । मध्य प्रदेश सरकार को यह भी सूचना दी गई थी उस राज्य में उपलब्ध साधनों का प्रयोग उस समय किया जायेगा जब कि कुछ असाधारण अपेक्षित वस्तुओं संबंधी अधिक क्षमता के प्रयोग करने की आवश्यकता होगी ।

सैनिक पदाधिकारियों द्वारा मादक वस्तुओं का प्रयोग

१३५३. **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक अधिकारियों में मादक वस्तुओं के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसको रोकने का कोई प्रयत्न कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) तथा (ख). प्राप्य सूचना से यह सिद्ध नहीं होता कि सैनिक अधिकारियों में नशीले पदार्थों का उपयोग बढ़ चला है ।

विदेशों में भारतीय चलचित्रों की लोकप्रियता

†१३५४. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल, श्री लंका, बर्मा, और मध्य पूर्व के देशों में भी भारतीय चलचित्र बहुत लोकप्रिय हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९६१, १९६२ और १९६३ में अब तक प्रदर्शनार्थ कितने चलचित्र उन देशों को भेजे गये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी हां ।

(ख) विदेशों को चलचित्रों के निर्यात आंकड़े भारत से निर्यात किये गये चलचित्रों की संख्या के अनुसार नहीं रखे जाते । फिर निर्यात किये गये चलचित्रों की लम्बाई और मूल्य वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यिकी विभाग, कलकत्ता द्वारा अपने "भारत का विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े" नामक रचना में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं ।

टोकियो में भारतीय 'चांसरी' की इमारत

†**१३५५. श्री नि० रं० भास्कर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टोकियों में 'चांसरी' की इमारत और कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण समाप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :

(क) 'चांसरी' की इमारत जनवरी, १९६२ में पूरी हो गई थी । कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण जुलाई, १९६२ में आरम्भ हुआ था और प्रायः पूरा हो गया था ।

(ख) 'चांसरी' की इमारत पर कुल ११,७८,५४३ रु० व्यय हुए । १२ कर्मचारियों के क्वार्टरों पर ५,९०,००० रु० व्यय होने का अनुमान है ।

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

†**१३५६. श्री अ० व० राघवन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक राज्य युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि समितियों के पास कितना धन उपलब्ध है ;

(ख) निधि समिति के साधन बढाने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ;

(ग) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि से कोई राशि देने का विचार है ; और

(घ) पिछले पांच वर्षों में विभिन्न राज्य समितियों ने क्या सहायता दी और कितने धन की सहायता दी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) विभिन्न राज्य युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधियों ने ३१ दिसम्बर, १९६२ को उपलब्ध राशियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—१०५३/६३]**

(ख) राज्यों से निवेदन किया गया है कि वे निम्न कार्यवाही करके निधियां बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करें :—

(१) निधि से यथासंभव कम व्यय किया जाना ;

(२) उपयुक्त विनियोग करना ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) जनता से उपदान प्राप्त करना ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) विभिन्न राज्यों को युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधियों से दी गई सहायता में प्रायः निम्न श्रेणियों में आती हैं :—

(१) भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को शिक्षा संबंधी रियायतें

(एक) स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां ।

(दो) टेक्निकल तथा व्यावसायिक छात्रवृत्तियां ।

(२) क्वीन मेरीज़ टेक्निकल स्कूल, पूना में अपाहिज भूतपूर्व सैनिकों का भरणपोष व्यय ।

(३) क्षय रोग/कुष्ठ, रोग से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सहायता ।

(४) पुस्तकालयों सहित विश्रामगृहों का निर्माण तथा रख रखाव ।

फ्रांस द्वारा अणु बम का विस्फोट

†१३५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने सहारा में अणु बम का विस्फोट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) फ्रांस ने १८ मार्च, १९६३ को अल्जीरिया के सहारा में एकेर में भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था ।

(ख) सरकार किसी का वातावरण में किसी भी देश द्वारा किसी भी समय विस्फोट किये जाने के विरुद्ध है । प्रधान मंत्री जी २५ मार्च, १९६३ को लोक-सभा में, फ्रांस द्वारा सहारा में हाल में किये गये परीक्षण के बारे में एक वक्तव्य पहिले ही दे चुके हैं ।

उड़ीसा राज्य में पंचायत उद्योग

†१३५८. **श्री उलाका**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **योजना** मंत्री १६ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में पंचायत उद्योगों की स्थापना के बारे में उड़ीसा सरकार से प्राप्त ए प्रस्तावों पर योजना आयोग ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम रहा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) और (ख). पंचायत समिति उद्योगों की स्थापना के बारे में उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्तावों को योजना आयोग ने १९६२-६३ और १९६३-६४ के लिए स्वीकार कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महानदी पर टिकेरापाड़ा के में बांध

†१३५९. **श्री उलाका :**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **योजना** मंत्री २ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पड़ताल पूरी हो गई है और महानदी पर टिकेरापाड़ा (उड़ीसा) में बान्ध के निर्माण के लिए परियोजना रिपोर्ट योजना आयोग को मिल गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) महानदी पर टिकेरापाड़ा परियोजना की जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है। योजना आयोग को अभी राज्य सरकार से योजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डकौटा विमान दुर्घटना

१३६०. **श्री प्र० चं० बरुआ**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना का एक डकौटा विमान जलन्धर के पास २० मार्च, १९६३ को या उसके आस पास गिर गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मरे ; और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) २० मार्च, १९६३ को जलन्धर के पास एक वैम्पायर विमान गिर गया था।

(ख) एक।

(ग) नियमों के अनुसार जांच न्यायालय से दुर्घटना के कारणों की जांच करने को कहा गया है। जांच न्यायालय की कार्यवाही समाप्त होने पर पूर्ण ब्यौरा विदित होगा।

खान मजदूरों के क्वार्टर

†१३६१. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी कोयला क्षेत्रों में कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा बनाये जाने वाले खान मजदूरों के प्रत्येक क्वार्टर की लागत बढ़ाने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ; और

(ख) इसके कब तक निश्चित होने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) आवास विशेषज्ञ समिति ने अपनी १९-२-१९६३ की बैठक में लागत की उच्चतम सीमा में कुछ वृद्धि करने की सिफारिश की है और इसकी जांच की जा रही है।

(ख) शीघ्र।

रामगुण्डम में प्रादेशिक अस्पताल

†१३६२. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान कल्याण निधि का विचार रामगुण्डम में प्रादेशिक अस्पताल का निर्माण कब आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिए १९६३-६४ के बजट में कोई उपबन्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो राशि कितनी है और अस्पताल रोगियों को दाखिल करने के लिए कब खुलेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) हाल में निर्माण कार्य के लिए टेंडर मांगे जायेंगे। टेण्डर स्वीकार होते ही निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ हो जायेगा।

(ख) हां।

(ग) १,५०,००० रु० निर्माण कार्य आरम्भ होने से १८ मास बाद।

कोठागुडम में कोयला खानों के कर्मचारियों के क्वार्टर

†१३६३. **श्री ईश्वर रेड्डी**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठागुडम, आन्ध्र प्रदेश में कोयला खान कल्याण संगठन के कर्मचारियों के लिए रहने के क्वार्टरों का निर्माण अनिश्चित रूप से विलम्बित कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो निर्माण शीघ्र करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) प्रस्तावित क्वार्टरों के निर्माण पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) नहीं। प्रस्ताव अप्रैल, १९६२ में प्राप्त हुआ था और प्राक्कलनों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्राधिकारियों के परामर्श से विचार करता है।

(ख) इसके बीच व्यय स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) २,११,८५५ रु०।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारतीय वायु सेना के एक जेट विमान की दुर्घटना

†**श्री प० वेंकटासुब्बया** : मैं माननीय प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"२९ मार्च, १९६३ को नई दिल्ली में हुई भारतीय वायु सेना के एक जेट विमान की कथित दुर्घटना जिसके फलस्वरूप विमान-चालक की मत्यु हो गई।"

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : सभा को यह सूचित करते हुये मुझे खेद होता है कि २९-३-१९६३ को २.५८ म० प० बजे दिल्ली छावनी के रेलवे स्टेशन के निकट उड़ते हुए एक वेम्पायर विमान की दुर्घटना हो गई। यह विमान कानपुर से पूना जा रहा था। इस विमान में केवल उसका चालक था जिसकी दुर्भाग्यवश मत्यु हो गई है। उसके नज़दीकी रिश्तेदारों को सूचना दे दी गई है। विमान इतना नष्ट हो गया है कि उसकी मरम्मत करने का कोई लाभ नहीं रहा। चालक को कुल ३५० घंटे की उड़ान का अनुभव प्राप्त था जिसमें से १२५ घंटे का वेम्पायर विमान का अनुभव था।

वायु सेना के नियमों के अनुसार जांच न्यायालय की स्थापना का आदेश दे दिया गया है। जांच न्यायालय की कार्यवाही मिलने पर दुर्घटना के कारण आदि के ब्यौरे का पता लगेगा। इस दुर्घटना के फलस्वरूप किसी असैनिक व्यक्ति की जान हानि नहीं हुई। कुछ रेलवे सम्पत्ति और लाइन के किनारे टेलीफोन लाइनों को कुछ क्षति पहुंची है। जांच न्यायालय इस पहलू की भी जांच करेगा।

कुल कितनी क्षति हुई है इसकी जांच जांच न्यायालय करेगा। दुर्घटना ग्रस्त विमान का मूल्य लगभग चार लाख रुपया था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

चीन का टिप्पण और उस पर भारत सरकार का उत्तर

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) चीन सरकार का दिनांक २४ मार्च, १९६३ का नोट।

(दो) भारत सरकार का दिनांक २९ मार्च, १९६३ का उत्तर।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१०४९/६३।]

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं सूचना के लिए यह पूछना चाहता हूं कि आज के पत्रों के अनुसार सरकार ने चीन के कार्यदूत को जो टिप्पण दिया है वह सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया। सरकार चीनियों की गतिविधि के सम्बन्ध में संसद् को क्यों नहीं बताना चाहती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वास्तव में जो टिप्पण दिया गया है वह समाचारपत्रों में आ जायेगा। किन्तु सामान्य प्रथा यही है कि टिप्पण के दिये जाने के कुछ दिन बाद उसे समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है अथवा सभा पटल पर रखा जाता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप कृपया यह विनिर्णय देंगे कि जब अधिवेशन हो रहा हो तो समाचारपत्रों से पहिले ऐसी सूचना संसद् को दी जानी चाहिये।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : प्रथा तो प्रधान मंत्री ने स्वयं डाली है। प्रथा की आड़ में सभा के प्रति उपेक्षाभाव नहीं दिखाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई सूचना प्रेस को गैर-सरकारी साधन से मिल जाये और प्रकाशित हो जाय तो उस बारे में मैं नहीं कहता किन्तु अन्यथा सरकार को चाहिये कि इस सभा को पहले सूचना दी जाय।

तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के अनुपूरक के उत्तर को शुद्ध करने के लिये वक्तव्य

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : श्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से मैं आसाम में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ३४ पर श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा २० फरवरी, १९६३ को पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

२० फरवरी, १९६३ को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ३४ पर श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था, कि पिछले दो मास के दौरान में अवैध रूप से बसे हुए लगभग १२,००० पाकिस्तानी असम छोड़ कर चले गये। सही स्थिति यह है, कि यह संख्या जनवरी से दिसम्बर, १९६२ के बारह मास के दौरान में गए व्यक्तियों की है।

जमुना कोयला-खान में हुई घातक दुर्घटना के बारे में प्रतिवेदन

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: मैं १५ फरवरी, १९६३ को मध्य प्रदेश की जमुना कोयल-खान में हुई घातक दुर्घटना के बारे में मुख्य खान निरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रंखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १०५१/६३।]

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री मुरारका** (झुंझनू): मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की चालू अधिवेशन में हुई दूसरी बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

अनुदानों की मांगें--जारी

गृह-कार्य मंत्रालय---जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा के लिए बढ़ाया गया १२ घंटे ३५ मिनट का समय भी बीत चुका है किन्तु मैं कुछ समय श्री स० टो० सिंह को देना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : संविधान के अनुच्छेद १००(४) में स्पष्ट उपबंध है कि गणपूर्ति न होने पर सभापति सभा को स्थगित कर सकता है। अतः हम जिस प्रथा को अपना रहे हैं वह संविधान के विरुद्ध होगी। इस सम्बन्ध में मैं आप से पथ प्रदर्शन चाहता हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : जहां तक मुझे स्मरण है १९५५ में मेरे द्वारा गणपूर्ति का प्रश्न उठाये जाने पर श्री मावलंकर तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सरकार को संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान का इस सम्बन्ध में स्पष्ट उपबन्ध है और गणपूर्ति के बिना सभा की बैठक आरम्भ ही नहीं हो सकती और फिर किसी सदस्य द्वारा सूचित किये जाने पर और यह सिद्ध होने पर कि गणपूर्ति नहीं है सभा स्थगित कर दी जाती है।

अब हम ने यह प्रथा परस्पर सहमति से स्वीकार करली है कि १ से २.३० बजे के बीच गणपूर्ति सम्बन्धी आपत्ति नहीं उठाई जाती और इस बीच महत्वपूर्ण बात पर मतदान नहीं किया जाता।

इसी प्रकार यह प्रथा स्वीकार कर ली गई है कि यदि बैठक का समय बढ़ा दिया जाये तो गणपूर्ति सम्बन्धी आपत्ति नहीं उठाई जाती।

श्री कामत की इस बात से मैं सहमत हूं कि भूतकाल में यह प्रश्न उठाया गया था और सरकार को एक विधेयक लाना था।

वर्तमान प्रश्न के सम्बन्ध में चूंकि सभा की गणपूर्ति की गणना नहीं की गई थी अतः कहा नहीं जा सकता कि गणपूर्ति थी अथवा नहीं। किन्तु मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे उस विधेयक को जो उनके पास तैयार पड़ा है अवश्य प्रस्तुत करें।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : १ और २.३० म० प० के बीच प्रायः सभी प्रेस प्रतिनिधि चले जाते हैं और वह कार्यवाही समाचारपत्रों में नहीं आती।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका भी ध्यान रखा जाता है। जब दलों के नेता भोजन की अवधि में नहीं बोलना चाहते तो उन्हें और समय दिया जाता है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : हम आपका इस सम्बन्ध में विनिर्णय चाहते हैं कि जब कोई सदस्य गणपूर्ति के बारे में आपत्ति करे तो गणना अवश्य होनी चाहिए।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की प्रथा को अपनाना भी संविधान के विरुद्ध है।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : लंच के समय कोरम का प्रश्न नहीं उठेगा या जब हाउस समय के बाद बैठेगा तब यह प्रश्न नही उठेगा, स्थिति यह है। लेकिन अगर यह प्रश्न उठ जाता है तो संविधान में इस के लिए निश्चित व्यवस्था है। इसके सम्बन्ध में मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैं ने कहा है कि जो मेम्बर यह चाहते हैं कि वे और मैं इकट्ठा हो कर बात कर लें और कोई फैसला कर लें कि क्या करना चाहिये। उसी के मुताबिक काम किया जाना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत : इसके लिए बिल लाना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा गृह कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करेगी ।

†**श्री स० टो० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के हम लोग इन मांगों का स्वागत करते हैं क्योंकि इनमें काफी धन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित है किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार धन निर्धारित करने तक ही अपना दायित्व समझती है और यह नहीं देखती कि धन का उपयुक्त उपयोग हुआ है अथवा नहीं और उसका क्या परिणाम निकला है ।

केन्द्र के प्रत्यक्ष प्रशासन में मेरे राज्य मनीपुर में योग्य प्रशासक नियुक्त है जो वहां काम करने में बहुत प्रसन्न भी है किन्तु वहां का प्रशासन सर्वथा असफल है । शान्ति तथा व्यवस्था देश भर के किसी भी क्षेत्र से बुरी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री से निवेदन करता हूं कि वे १ बजे वाद-विवाद का उत्तर दें ।

†**श्री स० टो० सिंह** : विकास कार्यों का यह हाल है कि स्वतंत्रता के उपरान्त वहां पीने का एक गैलन अतिरिक्त पानी पैदा नहीं किया गया । प्रति व्यक्ति बिजली का संभरण दशमांश यूनिट से भी कम है । केसमपट के पुल के निर्माण में ४ वर्ष से भी अधिक लग गये हैं । अस्पताल में दाखिल रोगियों को बाजार से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं ।

पिछले १५ वर्ष से हमारे प्रदेश की यही हालत है । जो अधिकारी वहां जाते हैं वे प्रशासक से जानकारी पाकर संतुष्ट हो रहते हैं कि वहां का प्रशासन अच्छा है और इस प्रकार मंत्रालय वहां का प्रशासन चला रहा है । मेरा निवेदन है कि मंत्रालय को इस सम्बन्ध में अधिक सतर्क होना चाहिए ।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया । आज कई दिनों से गृह मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा चल रही है और बहुत से व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने अपने कर्मठ और सुयोग्य नेतृत्व में इस मंत्रालय के खर्च में ४ करोड़ की कटौती करके दिखलाया है, ताकि इससे दूसरे मंत्रालय भी प्रेरणा लें और वे भी अपने यहां के व्यय में कटौती करें ।

लड़ाई की स्थिति के कारण भी देश में अव्यवस्था हो सकती थी, लेकिन उस का भी प्रबन्ध उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से किया और देश में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो पाई । यह भी उनकी कार्यकुशलता का परिचायक है । किन्तु अभी भी उनको अनेकों कार्य करने हैं । राज्य में जो त्रुटियां हैं, जिनको दूर करने में यह मंत्रालय पन्द्रह साल होने के पश्चात् भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, उसको दूर करना है । अगर उन्होंने कुशलतापूर्वक उनको दूर कर लिया तो मैं कहता हूं कि इतिहास में उनका नाम अमर हो जायेगा ।

मैं उनका थोड़ा सा ध्यान स्थायी सिविल सर्विस के बारे में दिलाना चाहता हूं । आज पन्द्रह साल हो चुके हमारी स्वतंत्रता के लेकिन उसमें भावनात्मक प्रेरणा, कुछ प्रजातांत्रिक ढंग की प्रेरणा आज तक नहीं आई है । यही एक कारण है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार का रूप बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनका जन्म एक ऐसे काल में हुआ था जबकि यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था । उस समय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रा० स० तिवारी]

इस स्थायी सिविल सर्विस को इस उद्देश्य से नियुक्त किया गया था कि वह जनता को गुलाम और अपने को मालिक समझते रहे। इस सिविल सर्विस में यही भावना थी और इसी भावना से वह आज भी काम कर रही है। अभी वह यह नहीं समझती कि हमारे मंत्री आदि जो हैं वे पब्लिक से चुन कर आते हैं। वे लोग अभी अपने को राजा के स्थान पर मानते हैं और शासन में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। प्रजा का काम भी वे प्रेम से नहीं करना चाहते हैं। मेरा तो विचार यह है कि यह सर्विस पहले से ही खत्म हो जानी चाहिए थी, प्रजातंत्र होने के पूर्व ही, लेकिन आज पन्द्रह वर्ष हो गए हैं फिर भी उनमें कोई परिवर्तन हम नहीं पाते हैं। उनका जन्म ही ऐसे समय में हुआ था जब कि परिवर्तन नहीं हो सकता था। हालांकि अमरीका में यह बात थी लेकिन उन्होंने उसको बदल कर प्रजातांत्रिक प्रणाली वहां पर चलाई। उन्होंने वहां की सिविल सर्विस को बदल कर उनको राजनीतिक पदों में परिवर्तित कर दिया है और इतिहास ने इसको सिद्ध कर दिया कि यह ठीक है। अगर यहां पर सुधार नहीं हुआ है तो गृह मंत्री जी को इसकी ओर ध्यान देना होगा कि किस ढंग से वे इस तरह की व्यवस्था को यहां पर चलाय।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस राष्ट्र में गृह मंत्रालय अपनी शक्ति के साथ काम करता है वह राष्ट्र बहुत दिन तक सुख और शांति के साथ चल सकता है, लेकिन जहां पर यह कमी रह जाती है वह राष्ट्र नीचे फिसलता ही चला जाता है और भ्रष्टाचार आदि के परिणाम सामने देखने में आते हैं। मेरा यह निवेदन है कि हमारे गृह मंत्री जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं और योग्य भी हैं। उन की कार्यकुशलता को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि वे जरूर इस ओर ध्यान देंगे और नौकरशाही से सारी प्रजा को राहत दिलाने के लिये प्रयत्न करेंगे।

श्रीमन्, करप्शन के विषय में आपने एक "सामाजिक सुरक्षा" के नाम से अखबार निकालने का तै किया था। पता नहीं कि उसका क्या हुआ। अभी वह देखने को तो मिला नहीं है। एक साल से ज्यादा हो गया कि आपने यह इच्छा व्यक्त की थी कि "सामाजिक सुरक्षा" नाम की एक पत्रिका निकालेंगे और तमाम देश में जो जो काम सुरक्षा के सम्बन्ध में हो रहा है वह उस में प्रकाशित किया जायेगा। वह पत्रिका अभी तक नहीं निकल सकी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उस पत्रिका को जल्द निकालने की कोशिश की जाय।

एक सबसे बड़ी बात जो मुझे मध्य प्रदेश के बारे में कहनी है वह डकैती समस्या की है। वहां डकैती की समस्या बहुत बढ़ रही है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने कुछ नहीं किया। बहुत से डाकू मारे गए हैं। मैं समझता हूं कि ६ या सात सौ डाकू मारे भी गए होंगे। लेकिन आज भी वहां नागरिक सुरक्षित नहीं हैं। अगर किसी का बच्चा बाहर जाता है तो डाकू उसको उठा ले जाते हैं। अब आप सोचें कि उसके माता पिता पर क्या गुजरती होगी। उनको किसी ढंग से उनके लिए पैसा भरना पड़ता है। और पुलिस डाकुओं का पता लगाने में तो असमर्थ रहती ही है। पर अगर कोई अपना बच्चा डाकुओं को रुपया देकर ले आता है तो उससे पुलिस वाले कहते हैं कि तुम कैसे इसको ले आए रुपया देकर। क्यों न तुम्हारे खिलाफ दफा २१६ में कार्रवाई की जाए। तो इस ओर आप अवश्य ध्यान दें ताकि जनता का डर दूर हो सके।

दूसरे पुलिस का काम इन्तिजाम करना तो है ही। लेकिन पुलिस का काम प्रजातन्त्र को चलाने में सहयोग देना भी है। लेकिन प्रजातान्त्रिक प्रणाली को चलाने में पुलिस का कोई सहयोग नहीं दिखायी देता। उसके वही पुराने कायदे कानून हैं, वही रवैया है और वही रिवाज है। इससे वे अच्छे आदमियों को बुरी जगह पर पहुंचा लेते हैं और बुरे आदमियों को अच्छी जगह पर ला देते हैं। जो लोग पुलिस की खुशामद कर लेते हैं उनको तो हथियारों का लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन जो लोग अपनी आत्म रक्षा के लिए लाइसेंस चाहते हैं उनको नहीं दिए जाते। मैं चाहता हूं कि इस ओर आप ध्यान दें।

आजकल कुछ ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं कि चार पांच गुण्डे मिल कर बड़े बड़े गांवों को दबाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। ज्यादातर लोगों का यह ख्याल हो गया है कि उन गुण्डों को पुलिस अपने हाथ में रखती है। पुलिस का काम तो जनता को गुण्डों से बचाना है। इसलिए पुलिस द्वारा जनता को गुण्डों से बचाया जाना चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है। इस ओर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो गुण्डागर्दी बढ़ती जाएगी।

प्रजातन्त्र का शासन बड़े प्रान्तों में तो लागू है। लेकिन जो क श्रेणी के राज्य थे आज भी उनमें अप्रजातान्त्रिक ढंग से काम चल रहा है। उनमें भी शासन की ऐसी व्यवस्था हो कि वहां पर चुनी हुई परिषद् या लेजिस्लेचर हो। मेरा अनुरोध है कि आप जिस प्रकार मुनासिब समझें वहां भी प्रजातांत्रिक ढंग से शासन चलाने की व्यवस्था करें ताकि वहां के लोग भी महसूस करें कि हम स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिक हैं।

हमारे यहां जो डाकू समस्या है वह ज्यादातर भिण्ड, मुरैना, छतरपुर, बिजावर और चरखारी की तरफ है। उस समस्या को हल करने का एक ही उपाय है। उस क्षेत्र के बुंदेले ठाकुर राजाओं की फौजों में काम करते थे और जागीरें भी पाए हुए थे। उनको अब फौज से निकाल दिया गया है और उनकी जागीरें जब्त कर ली गयी हैं। उनमें कुछ लोग परदानशीन भी हैं। जब उनको खाने पीने की तकलीफ होती है तो उनको डकैती की शरण लेनी पड़ती है। इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने लड़कों को स्कूलों में भेज सकें। तो मेरा सुझाव है कि इनके लड़कों को और अन्य गरीबों के लड़कों को फीस में और खर्च में कुछ रियायत करके स्कूलों में भेजा जाए ताकि वे पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनें और देश की सेवा कर सकें। अभी तो घर बैठे बैठे उनके मन में डकैती करने की भावना ही पैदा होती है।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई के समय में भी जो सिपाही छांटे जाते हैं उसकी व्यवस्था हमारे क्षेत्र में नहीं है। वहां कोई केन्द्र नहीं है। मैं चाहता हूं कि वहां केन्द्र बनाया जाए और वहां के योग्य नवयुवकों को फौज में ले लिया जाए। वे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आशा है आप इस ओर ध्यान देंगे।

†**श्री बाल कृष्ण वासनिक** (गोंडिया) : सभी विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाये हैं कि सरकार ने आपातकालीन अधिकारों का दुरुपयोग किया है।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

उनका कथन है कि सरकार इन अधिकारों का राजनैतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर रही है। किन्तु किसी ने भी कोई ठोस उदाहरण नहीं दिया। मुस्लिम लीग के नेता ने एक उदाहरण दिया जिसमें एक कांग्रेसी के घर की या कांग्रेस सम्बन्धी एक संस्था की तलाशी का उल्लेख किया था। तब तो यह उदाहरण सरकार के औचित्यपूर्ण व्यवहार का उदाहरण है।

मुझे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नतियां रक्षित करने की नीति बनाई गई है। किन्तु रेलवे का मन्त्री बदलने पर बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसी नीति का स्थगन कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के इस रमण के पक्ष में निर्णय दिया है किन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि न केवल श्रेणी ३ और ४ में ही नहीं बल्कि श्रेणी १ और २ में भी पदोन्नतियां रक्षित करनी चाहियें।

नौकरियों के आरक्षण में भी गड़बड़ होती है और मंत्रियों के पदों का इन जातियों के लिये आरक्षण तो कोई महत्व नहीं रखता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बाल कृष्ण वासनिक]

१६६१ की जनगणना से पता लगता है कि अनुसूचित जाति के लोगों की गिनती कम हो गई है जिससे अनुसूचित जातियों में आतंक की भावना फैली हुई है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : मैं माननीय सदस्य की गलत धारणा को दूर करना चाहती हूं। वास्तव में उनकी गणना कम नहीं की गई बल्कि बहुत से अनुसूचित जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है जिससे उनकी गिनती कम हो गई है।

†**श्री बाल कृष्ण वासनिक** : अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जातियों की तो गणना की जाती है किन्तु उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जाति के लोगों को न गिनने से उनकी गिनती कम हो गई है। इस प्रकार उनकी संख्या कम करने का प्रयत्न किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है तो क्या उनके अभाव पूरे हो गये हैं जिनके कारण उन्हें संविधान में संरक्षण दिया गया था।

एक जाति के थोड़े से लोगों ने ही धर्म परिवर्तन किया है उससे तो जनसंख्या में इतना परिवर्तन नहीं होना चाहिये था।

नागरिकता के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि कनखोजी जैसा देशभक्त वर्षों से नागरिकता पाने के लिए प्रयत्नशील है किन्तु उसे नागरिकता प्रदान नहीं की गई। उसने विदेशों में रह कर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त वह भारत आया कि एक स्वतन्त्र नागरिक की तरह जीवन बितायेगा किन्तु आश्चर्य है कि सरकार ने उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई।

श्री दलजीत सिंह (उना): सभापति महोदया, मिनिस्टरी आफ होम अफेयर्स मुबारक़बाद की मुस्तहक़ है क्योंकि इमरजेंसी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यह ग़लत बात है कि इमरजेंसी को किसी पार्टी के खिलाफ़ इस्तैमाल किया गया है हालांकि मुल्क में जो हालात हैं वह इस बात का तकाज़ा करते हैं कि इस इमरजेंसी में सख्ती से अमल किया जाय।

जहां तक होम मिनिस्ट्री की दूसरी जिम्मेदारियां हैं वहां उन्होंने हिन्दुस्तान और नेपाल के ताल्लुकात खुशगवार बनाने में बहुत अहम काम किया है जिसके लिए कि मन्त्री महोदय मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं।

यह ठीक है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की बहबूदी के लिए सरकार की तरफ जो प्रोग्राम्स पहली पांच साला योजना और दूसरी पांच साला योजना में बनाये गये थे उनमें काफ़ी रकमें खर्च की गई हैं। लेकिन उसका नतीजा उतना अच्छा नहीं निकला, जितना कि निकलना चाहिये था। मैं समझता हूं कि इसकी वजह यह है कि जो बहुत सी रकमें एलाट की गई हैं, उनमें से कई नाजायज़ ख़र्च भी होंगी। इसके अलावा इस मन्त्रालय के कामों में अफ़सरान ने भी पूरा पूरा तआवुन नहीं दिया। सरकार की तरफ से कुछ प्राइवेट अदारों को भी रुपया दिया जाता है, लेकिन उसका भी कोई अच्छा अंजाम या फल नहीं हुआ।

मेरी राय में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लैंडलैस टिलर्ज को जमीनें देने की जो योजना है, वह भी कारामद साबित नहीं हुई है। उस की वजह यह है कि एक तो जो ज़मीन लेकर दी जाती है वह ज्यादा कीमत में आती है और दूसरे जो ज़मीन मिलती है, वह काश्त करने लायक नहीं होती है। इस बारे में मिनिस्ट्री से मेरा सुझाव यह है कि रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेट्स को जो फालतु

†मूल अंग्रेजी में

जमीन दी गई है या दी जा रही है, गृह मिनिस्ट्री वह तमाम जमीन लेकर हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स जातियों में तकसीम करे, ताकि उन को कुछ फायदा हो सके। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री ने जो जमीन राज्य सरकारों को दी है, वह तकरीबन पांच या छः रुपए फी एकड़ के हिसाब से दी गई है, लेकिन राज्य सरकारें उस जमीन को नीलाम कर के देती हैं और इस प्रकार वे उसी जमीन का ४०० या ५०० रुपए फी एकड़ लेती हैं। अगर वह जमीन रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री से सीधी लेकर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को दी जाये, तो यह योजना कारामद हो सकती है।

मैं समझता हूं कि इन बातों के अलावा आज सिविल डिफेंस का काम निहायत अहम और जरूरी है, क्योंकि आजकल जो जंग लड़ी जाती है, वह पहली जंगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब तक हमारा अन्दरूनी महाज मजबूत न हो, हमारे खेतों और कारखानों में पूरी पूरी पैदावार न हो और जंग या ख़तरे के मौके पर शहरी आबादी में किसी किस्म की घबराहट पैदा न हो, तब तक आजकल की जंग कामयाबी के साथ नहीं लड़ी जा सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि अपने सिविल डिफेंस को मजबूत किया जाये। जंग के दौरान में दुश्मन मुख़तलिफ़ तरीके अख्त्यार करता है और अपने जासूसों और एजेण्टों के जरिये ऐसी कार्यवाहियां करता है, जिससे लोगों में घबराहट पैदा हो। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि अपने मुल्क के सिविल डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाये, ताकि हमारा मुल्क एक किस्म का मजबूत गढ़ बन जाए और दुश्मन को इस बात का मौका न मिले कि वह लोगों में किसी किस्म की घबराहट पैदा कर सके।

आज पंजाब को एक बहादुर चीफ़ मिनिस्टर मिला हुआ है जिस से इस इमर्जेन्सी में और सिविल डिफ़ेंस के सिलसिले में पंजाब ने सब से ज्यादा अहम पार्ट अदा किया है। जहां तक रुपये का ताल्लुक है, पंजाब ने साढ़े पांच करोड़ रुपये इकट्ठे कर के नेशनल डिफ़ेंस फ़ण्ड में दिये हैं। इस के अलावा पंजाब ने पौने दो लाख (१७२२·५००) ग्राम के करीब सोना दिया है, जो कि नेहरू जी के वजन से दुगना है और चांदी श्रीमती इंदिरा गांधी के वजन के बराबर दी है। इसके अलावा पंजाब ने ४०० बोतल खून प्रति दिन देने का और बीस लाख नौजवानों को ट्रेनिंग देने का प्रयोग बनाया है।

यह ट्रेनिंग देने के लिए पंजाब सरकार ने सैंटर से राइफलों और एयर-गन्ज की मांग की है, लेकिन अभी तक वे दी नहीं गई हैं। पंजाब सरकार ने ट्रेनिंग देने का जो प्रोग्राम बनाया है उसमें सिर्फ थानों में या जिन लोगों के पास बन्दूकें हैं, उनसे ले कर लोगों को सिखलाई दी जा रही है। मैं सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि पंजाब सरकार ने राइफलों और एयर-गन्ज की जो मांग की है, उस को पूरा कर दिया जाये, क्योंकि एयर-गन्ज और राइफलों के बगैर ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी मांग की है कि अगर एयर-गन्ज बाहर से मंगवा कर नहीं दी जा सकतीं, तो चंडीगढ़ के नजदीक जो नया कारखाना पजौर बना है, उस में इन को बनाने की इजाजत दी जाये। लेकिन कई महीने गुजरने के बावजूद अभी तक उस तजवीज पर विचार ही हो रहा है और कोई फाइनल डिसिजन नहीं किया गया। अगर उन को इस बात की इजाजत दी जाये, तो वे सिखलाई के लिये एयर-गन्ज और दूसरा सामान आप बना सकेंगे।

आज यह नहीं कहा जा सकता कि आगे चल कर कैसे हालात पैदा हों और जंग कब शुरू हो जाये। परन्तु चीन ने पाकिस्तान से जो मुआहिदा किया है, उस से साफ जाहिर है कि दोनों मुल्कों ने आपस में एक गठजोड़ किया है, आपस में कोई फैसला किया है। इसलिये सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब के बीस लाख लोगों को ट्रेनिंग देने के सम्बन्ध में पंजाब सरकार

[श्री दलजीत सिंह]

को पूरी इमदाद शीघ्र दी जानी चाहिये। अगर पाकिस्तान ने इस मुल्क के लिये कोई खतरा पैदा किया और मुल्क को किसी इम्तहान में डाल दिया, तो पंजाब सरकार और पंजाब के नौजवानों की तरफ मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस इम्तहान में पंजाब हमेशा की तरह पूरा उतरेगा। पंजाब के तमाम नौजवान मुल्क की हिफाजत और सिविल डिफेंस के लिये अपने आप को पेश करते हैं। इस के अलावा सामान पैदा करने के जो अदारे हैं, उन्होंने भी यह पेशकश की है कि डिफेंस और सिविल डिफेंस के लिये जिस सामान की जरूरत पड़े, उस को वे बनाने के लिये तैयार हैं।

इन शब्दों के साथ मैं मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन और आप का धन्यवाद करता हूं।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : श्री वासनिक ने महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों की कमी का जो उल्लेख किया है, मैं उसे ही लेना चाहता हूं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

अनुसूचित जातियों की गणना करने वाला यदि विशेष "सूचना" सम्बन्धी खाने की पूर्ति नहीं करता तो उन लोगों को अनुसूचित जातियों में नहीं गिना जाता। इसी कारण १९६१ की जनगणना में उन की संख्या में कमी हो गई है। माननीय मंत्री को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। यदि वहां जांच के लिये गणना की जाये तो मुझे विश्वास है कि मेरा आरोप प्रमाणित हो जायेगा। विशेष रूप से महाराष्ट्र में इन जातियों के प्रति बहुत अन्याय हुआ है।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् प्रारम्भ में मैं अपने मित्र और सहयोगी श्री दातार के दुःखद निधन पर अत्यन्त शोक प्रकट करता हूं। इस विषय में पहले ही सभा में उल्लेख किया जा चुका है और मैं इस पर अधिक समय लेना नहीं चाहता। तथापि मैं यह और कहना चाहूंगा कि वह एक शांत और विनीत नेता तथा कार्यकर्ता थे; साथ ही वह एक सफल संसद्विज्ञ भी थे। इन सब के अतिरिक्त, श्रीमान, वह एक सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी अपने को वर्ग, राजनीति अथवा विवादों के जंजाल में नहीं फंसाया। मैं पुनः अपना मनःस्ताप प्रकट करता हूं। ऐसे प्रिय सहयोगी के विछोह से मैं वास्तव में दुखी हूं।

श्रीमान्, गृह-कार्य मंत्रालय की, और कभी कभी मेरी जो सराहना की गई उसके लिये मैं सभा के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं। मुझे हर्ष है कि कुछ सदस्यों ने सराहना करते समय कुछ संकोच का प्रदर्शन किया है। मैं उसका समर्थक ही हूं क्योंकि आत्मतृप्ति की भावना न होना अच्छा ही है। मैं हमारी कमियों और सीमाओं को भली भांति जानता हूं। तथापि, श्रीमान्, इस पर १२ घंटे तक चर्चा हुई है और उन सभी भाषणों और उन में उल्लिखित बातों का उत्तर देना मेरे लिये अत्यन्त कठिन है।

कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर मैं निश्चय ही अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। वह हैं : आपातकाल का प्रश्न, भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग, जेल में निरुद्धों के साथ व्यवहार, भ्रष्टाचार, सेवायें, पिछड़े वर्ग, साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीय एकता। इनके अतिरिक्त भी और कुछ बातें हैं जिन पर मैं, यदि अवकाश मिला तो, बोलूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत प्रतिरक्षा नियमों के प्रयोग के विषय में बहुत सी बातें कही गई हैं और व्यंगात्मक विषय है कि इस मामले में साम्यवादी दल के सदस्यों और श्री रंगा में सहयोग हो गया है। किन्तु ब्यौरे में जाने से पूर्व मैं, विशेषतया विरोधी दल के सदस्यों से, चाहूंगा कि वह अपने हृदय पर हाथ रख कर यह कहें कि क्या आपातकालीन अधिकारों का वास्तव में दुरुपयोग किया गया है और क्या कभी न्याय का गंभीर दुर्वहन किया गया है? यह हो सकता है कि कहीं भूलें हो गयी हों।

यह भली भांति विदित है कि किसी भी राजनैतिक दल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी दल को अपना कार्य अथवा कार्यकलाप बन्द करने के लिये नहीं कहा गया और न ही इसे अवैध घोषित किया गया। जहां तक मैं समझता हूं इस आपातकाल में भाषणों और लेखों के विषय में पूर्ण स्वतन्त्रता रही है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : हमारी सभा को भंग करने के विषय में क्या स्पष्टीकरण है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यदि माननीय सदस्य धैर्य रखेंगे तो मैं, यदि समय मिला तो, सब बातों का उल्लेख करूंगा। वास्तव में जब माननीय सदस्या पीठासीन थीं तब मुझे कुछ संकोच था कि जब वह पीठासीन हैं, तब मैं उन के द्वारा पूछी गई बातों का उत्तर किस प्रकार दे सकूंगा।

साम्यवादी दल के सम्बन्ध में हम ने उसके साथ एक दल के रूप में व्यवहार नहीं किया है। हम ने अवश्य ही साम्यवादी दल के कुछ ऐसे सदस्यों के साथ व्यवहार किया है जिन के विचार ऐसे थे जो हमारे मत में राष्ट्र की सुरक्षा के लिये खतरनाक थे।

जहां तक निरुद्धों का और उनको छोड़े जाने का प्रश्न है सभा को भली भांति विदित है कि नियमों के अन्तर्गत पुनर्विलोकन का कार्य ६ माह बाद किया जायेगा। हम ने नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया और राज्य सरकारों ने स्वयं इस अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर ली है। वास्तव में केरल सरकार साम्यवादी दल के एक महत्वपूर्ण नेता को उनकी गिरफ्तारी के, मैं समझता हूं, १० अथवा १५ दिन बाद ही छोड़ देने के लिये सहमत हो गई थी।

†**डा० रानेन सेन** (कलकत्ता–पूर्व) : क्योंकि वह रुग्ण थे।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : नहीं, वह रुग्ण नहीं थे। वह पूर्णतः स्वस्थ थे।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुजा) : किन्तु केरल सरकार के गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं कहा था कि उन्हें रुग्ण होने के कारण छोड़ना पड़ा था।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य ऐसा प्रश्न न पूछें क्योंकि उन्होंने मेरा अभिप्राय नहीं समझा है। वह नहीं जानते कि मैं किसका उल्लेख कर रहा हूं। मैं यहां उनका नाम लेना नहीं चाहता। किन्तु मैं उन से यह कह सकता हूं कि जैसे ही उनके मित्र जेल से मुक्त हो कर घर पहुंचे उन्होंने मुझ टेलीफोन करने की सौजन्यता दिखाई। वह पूर्णतः स्वस्थ थे। इस के अतिरिक्त स्वयं दिल्ली में समस्त साम्यवादी निरुद्ध लगभग १ माह पश्चात् छोड़ दिये गये थ। हाल ही में केरल सरकार ने जिसके विरुद्ध श्री वासुदेवन नायर ने इतना कुछ कहा समस्त निरुद्धों को छोड़ दिया है। वस्तुतः यह अन्य राज्यों से अग्रणी रही है। साम्यवादी दल के कुछ सदस्यों के कार्य-कलापों के उपरांत भी केरल सरकार ने सब निरुद्धों को छोड़ दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : सारी राज्य सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर रहीं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : उन्हें अपने मुख्य मंत्री को प्रेरित करना चाहिये ।

†**श्री दाजी** : यदि गृह-कार्य मंत्री ऐसा नहीं कर सकते तो मैं किस प्रकार कर सकता हूं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं और आशा है कि माननीय सदस्य भी अपना कर्तव्य करेंगे ।

कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अब निरुद्धों की संख्या चार अथवा पांच से अधिक नहीं है । कहीं-कहीं यह संख्या १० है । किन्तु कहीं यह संख्या अधिक भी है । यद्यपि मैं ठीक आंकड़े नहीं दे सकता, तथापि यह कहना चाहूंगा कि ३०० से अधिक व्यक्ति छोड़े जा चुके हैं । कई निरुद्ध, लगभग २४ या २५ पेरोल[1] पर छोड़े जा चुके हैं । इन परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि केवल केन्द्र ने ही नहीं अपितु राज्य सरकारों ने भी सहानुभूति और उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है, यदि मैं इन शब्दों का प्रयोग कर सकूं तो ।

आसाम और पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में स्थिति पूर्णतः भिन्न है । मैं समझता हूं कि सभा इस बात से सहमत हो जायेगी कि आसाम और पश्चिमी बंगाल उसी प्रवर्ग में नहीं आते जिसमें देश के अन्य राज्य । मैं ने इस विषय में आसाम और पश्चिमी बंगाल दोनों की सरकारों से वार्ता की थी और मैं यह स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत हूं कि वह निरुद्धों की रिहाई का आदेश देने के अत्यन्त विरुद्ध हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : क्या वह कम से कम उन मामलों का पुनर्विलोकन करेंगे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं पश्चिमी बंगाल की स्थिति के विषय में कुछ देर बाद बोलूंगा । मैं केवल माननीय सदस्यों से यही प्रार्थना करूंगा कि वे न तो मेरे भाषण में हस्तक्षेप करें और न ही अधीर हों । वह यदि चाहें तो, अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त होने पर भाषण के अन्त में प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हें माननीय सदस्यों को यह छट देनी चाहिये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे अत्यन्त खेद है । इसीलिये मैंने कहा था कि अध्यक्ष की अनुमति से ही ऐसा किया जा सकता है ।

श्री वासुदेवन नायर को उन निरुद्धों के संबंध में सरकार की आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है ; किन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने साम्यवादी दल के विगत इतिहास और कार्य-वाहियों का, जब से हमने स्वतंत्रता संग्राम आरम्भ किया है, उल्लेख किया । मैं १९२०–२१ से साम्यवादी दल के इतिहास अथवा उसकी भूमिका का वर्णन करना नहीं चाहता । दुर्भाग्य-वश साम्यवादी दल, विशेषतः राजनैतिक मामलों में, त्रुटिपूर्ण निर्णयों पर पहुंचने में दक्ष है । १९२० के उपरान्त एक बार ही नहीं अपितु कई बार साम्यवादी दल ने त्रुटियां की हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : किन्तु फिर भी, दुर्भाग्यवश, यह बनी रही ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हां, बनी रही । कृपया मुझे उन सब बातों का स्मरण न दिलावें । यह ब्रिटिश सरकार की सहायता से जीवित रही जब कि हम ब्रिटिश सरकार से

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Parole.

संघर्ष कर रहे थे। गत युद्ध के समय जब ब्रिटिश शासनकाल में हम जीवन और मृत्यु के संघर्ष में से गुजर रहे थे, तब साम्यवादी दल ने अपना पुनर्गठन किया, और ब्रिटिश सरकार की सहायता से ही शक्तिशाली बना। मुझे यह कहते हुये अत्यन्त खेद है। **(अन्तर्बाधायें)**

†**कुछ माननीय सदस्य** : शर्म, शर्म ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें वाद-विवाद को शांतिपूर्वक सुनना चाहिये ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इसलिये मैं माननीय सदस्यों से शांत रहने का अनुरोध करूंगा और मैं यथाशक्ति निष्पक्ष रहूंगा। क्या इस विषय में मैंने कोई त्रुटिपूर्ण बात कही है ?

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : अध्यक्ष महोदय, ये हमें पकड़वाने की कोशिश किया करते थे १९४२ की मूवमेंट में।

†**कुछ माननीय सदस्य**: शर्म, शर्म ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं साम्यवादी दल द्वारा महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक राजनैतिक मामलों में लिये गये त्रुटिपूर्ण निर्णयों का ही उल्लेख कर रहा था । दुर्भाग्य से साम्यवादी दल ने जनता की अभिलाषाओं और महत्वकांक्षाओं के अनुरूप कभी भी कार्य नहीं किया है। जैसा कि मैंने कहा है, मैं राजनैतिक बातों का ही उल्लेख कर रहा हूं। इस विषय में साम्यवादी दल हमेशा ही चूकता रहा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इससे आपको हर्षित होना चाहिये ; इसमें आपको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं किंचितमात्र भी भयभीत नहीं हूं। मैं केवल यही कहना चाहता था कि साम्यवादी दल ने भिन्न प्रकार से कार्य किया है और भिन्न प्रकार से ही सोचा है। जब हम स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रहे थे तब भी साम्यवादी दल का यही विचार था कि गांधी जी प्रतिक्रियावादी हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जाये और महत्वपूर्ण विषयों पर उन पर विश्वास नहीं किया जाये।

फिर भी, साथ ही, चीन के आक्रमण के बाद साम्यवादी दल ने जो कुछ किया वह सराहनीय है। मैं समझता हूं प्रथम बार ही साम्यवादी दल ने ठीक निर्णय लिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बार-बार बीच में न बोला जाय।

†**श्री नाथ पाई** : इतिहास का परिशोधन किया जा रहा है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : साम्यवादी दल की अधिकृत नीति और उनका संकल्प वर्तमान अवस्था में पूर्णतः संतोषप्रद और निर्दोष है। इससे पूर्व भी मैंने उसका उल्लेख किया था और इसकी सराहना की थी। किन्तु दुर्भाग्य से, यद्यपि वह इसे कहा जाना पसन्द नहीं करेंगे तथापि मैं इसे अवश्य कहना चाहूंगा—साम्यवादी भी दो भागों में विभक्त हैं : एक वाममार्गी और दूसरे दक्षिणमार्गी। मैं नहीं जानता कि क्या वे अपने को इन नामों से पुकारते हैं अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रानेन सैन** : कांग्रेस में कितने गुट हैं ?

†**श्रीमती विमला देवी** (एलुरू) : दस।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : तथापि क्योंकि हमें सर्वदा वाममार्गी और दक्षिणमार्गी की उपाधि से विभूषित किया जाता है मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि कांग्रेस में भी वाममार्गी और दक्षिणमार्गीयों के दो दल हैं। मैं हर्षित हूं कि साम्यवादी दल में यह दोनों शाखायें विद्यमान हैं।

ऐसा घटित हुआ है कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के भाषण को भी साम्यवादी दल के मुख-पत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है। वस्तुतः श्री रेणु चक्रवर्ती ने अपने दृष्टिकोण को स्तष्टरूप से अभिव्यक्त करने में जिस साहस का परिचय दिया है उसके लिये मुझे उसका अभिनन्दन करना चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : गृह कार्य मन्त्रालय की मांगों पर हुआ वाद-विवाद पूर्णरूप से साम्यवादी दल मुखपत्र में आगामी सप्ताह प्रकाशित होगा।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हो सकता है यह उसमें प्रकाशित हो जाये। किन्तु मैं कलकत्ता माननीय सदस्या के भाषण देने के एक या दो दिन पूर्व अथवा उसी दिन पहुंचा था। मुझे विस्मय हुआ कि साम्यवादी दल के मुखपत्र के अतिरिक्त उनका भाषण कलकत्ता के अन्य सभी पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

मुझे कहा गया है कि वाममार्गी दल ने दक्षिणमार्गी दल के प्रति जो अब सत्तारूढ़ है, असहयोग और शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया है। इसकी कुमंत्रणा से स्वाधीनता प्रेस में 'सील' लगा दी गई, दल का कोष और पत्र हटा लिये गये तथा नये दक्षिणपंथियों का कार्य-संचालन लगभग असंभव कर दिया।

मुझे खेद है कि कुछ यूरोपीय राष्ट्रों में भारत के साम्यवादी दल के कुछ सदस्यों को विरुद्ध करने के संबंध में बहुत चिन्ता व्यक्त की गई है। मुझे अत्यन्त दुःख है कि उनके सम्मुख तथ्यों का उचित रूप में चित्रण नहीं किया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि इसका उचित चित्रण किया जाय तो भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में उन लोगों के मस्तिष्क में ऐसी मिथ्या धारणायें न रहें।

श्री वासुदेवन नायर ने मुझ से पूछा था कि क्या भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन अन्य लोगों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई है ? उन लोगों के अतिरिक्त जिन्हें राजनैतिक कारणों से बन्दी बनाया गया था भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत ८४६ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर अभियोग चलाया गया। इन ८४६ व्यक्तियों में से ६८५ व्यक्तियों के विरुद्ध युद्ध प्रयत्नों में बाधा डालने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिये अभियोग चलाया गया। लगभग १०० व्यक्तियों को माल संचित करने और चोर बाजारी के अपराध में गिरफ्तार किया गया। पश्चिमी बंगाल में १३८० व्यक्तियों के विरुद्ध मनाफाखोरी के लिये अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की गई।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या किसी को निरुद्ध किया गया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने अभी कहा था मैं वास्तविक आंकड़े तो नहीं दे सकता, किन्तु ६८५ व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग चलाया जा रहा है और कुछ को निरुद्ध किया गया है । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकारें इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि वह मुनाफाखोरी को रोकने और मूल्य रेखा को स्थिर रखने के संबंध में यथासम्भव प्रयत्न करेंगी।

इसके बाद समाचार पत्रों का प्रश्न आता है। सैद्धांतिक रूप से हम समाचार-पत्रों को अधिकाधिक स्वतंत्रता देते आये हैं। हमने किसी भी समाचार पत्र का प्रकाशन बन्द नहीं किया तथापि, हमारे स्पष्ट परामर्श और मेरी व्यक्तिगत अपील के उपरान्त भी कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिनमें कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता आ पड़ी थी। अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन की स्थायी समिति के सदस्यों ने मुझसे भेंट की थी, और मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके द्वारा गठित समिति का हृदय से स्वागत करूंगा और सरकार अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन की स्थायी समिति से परामर्श लिये बिना किसी भी पत्र के विरुद्ध किसी भी विषय में कोई कार्यवाही नहीं करेगी। यदि उस समिति ने परामर्श दिया अथवा सहामत हो गई तभी कोई कार्यवाही की जायेगी।

हमने अभी तक ४ पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही की है और उन सभी मामलों में अखिल-भारतीय समाचार-पत्र सम्मेलन की स्थायी समिति ने अपनी सहमति दे दी है। वस्तुतः जब हमारे लन्दन स्थित आयुक्त, श्री छागला यहां आये थे तब उन्होंने कहा था कि लंदन में हमारी इन पत्रों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की काफ़ी आलोचना की गई थी। जब मैंने उन्हें इससे संबंधित प्रक्रिया के विषय में समझाया और उनसे विशेष रूप से यह कहा कि सरकार जब तक अखिल भारतीय समाचार-पत्र संपादक सभा की स्थायी समिति से परामर्श नहीं कर लेती तब तक वह इस विषय में कोई कदम नहीं उठाती तब वह पूर्णतः सन्तुष्ट हो गये। उन्होंने कहा, "लंदन में इस विषय में किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं" अर्थात इस बात का कि इसका निर्णय समाचारपत्रों के प्रतिनिधि ही करते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इन उद्धरणों की जांच कर ली गई थी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं श्री कामत से धैर्य रखने की प्रार्थना करता हूं। उनकी बात मेरे ध्यान में है।

श्री कामत ने कुछ उद्धरणों का, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे और जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई, उल्लेख किया था। उन्होंने उस समाचार का उल्लेख किया था जो श्रीमती इन्दरा गांधी के विषय में प्रकाशित हुआ था। जहां तक मेरा प्रश्न है मैं नहीं कह सकता कि इस उद्धरण को उस पत्र के प्रति लगाये गये आरोपों और लेख्य में सम्मिलित किया जाता अथवा नहीं। किन्तु चाहे यह अभियोज्य हो अथवा नहीं। मैं कह सकता हूं कि यह अशिष्ट था अथवा मैं यह कहूंगा कि यह सामान्य स्तर से बहुत गिरा हुआ था। मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार का निर्देश करना अशोभनीय था। मैं इस विषय का उल्लेख आचार विचार के आधार पर तथा शिष्टाचार और सौजन्यता के दृष्टिकोण से, जिनका हमें जीवन में पालन करना पड़ता है कर रहा हूं। यह पृथक विषय है कि यह विधि द्वारा अभियोज्य है अथवा नहीं, किन्तु क्या यह वांछनीय अथवा उचित नहीं कि समाचार पत्र व्यक्तियों के प्रति निर्देश करते हुए किसी उचित स्तर का ध्यान रखें ? तथापि मैं श्री कामत से कह सकता हूं कि इस विशेष उद्धरण पर ही उस समाचार पत्र के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई थी।

श्रीमान् मैं आपकी अनुमति से उस पत्र में प्रकाशित कुछ उद्धरण पढ़ कर सुनाऊंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासुदेवन नायर** : वह कौनसा पत्र था ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : आर्गेनाइज़र ।

इसकी मुख्य पंक्ति ही इस प्रकार की थी :

"तेजपुर की कहानी"

"सबसे पहले भागने वाली डेथ ब्रिग्रेड ही थी । ८ सितम्बर, रेखा पर जोर देना राष्ट्र की प्रतिष्ठा का नहीं अपना मुंह छिपाने का एक यनीय भुलावा है । बेचारे गांधी जी ! वह इस समय जीवित होते । वह देखते कि इस अहिंसा की भूमि में हिंसा के अधिक प्रभावी अस्त्र प्राप्त करने की क्षमता के लिये स्वर्ण पर अधिमान दिया जा रहा है । सरकार विषाद युक्त बातें करती है, वीरता के साथ पराजित होती है । इसने जनता को बहुत बुरी तरह निराश किया है"

एक अन्य पत्र में यह प्रकाशित हुआ था :

"जल्दी ही नेफा समाप्त हो जायेगा । हमें लद्दाख से भी जब चीन चाहे खदेड़ दिया जायेगा क्यों कि हम भारत और चीन के बीच चल रहे अघोषित युद्ध में हार रहे हैं "।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपूर) : यह कौन सा पत्र है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हमने ४ पत्रों, आर्गेनाइज़र, हिन्दुस्तान, पांचजन्य और करेंट के विरुद्ध कार्यवाही की है । मैं उन पत्रों में से उद्धरण दे रहा हूं । मैं अधिक समय नन्हीं लूंगा , किन्तु आपकी अनुमति से तीन या चार पंक्तियां और पढ़ कर सुनाऊंगा । इस पत्र में कहा गया है ;

"वह . . .

अर्थात् सरकार ।

"वह अपनी सामाजिक तथा राजनीतिक ख्याति और आत्मस्तुति के विषय में हमारे कुवस्त्रसज्जित और कुशस्त्रसज्जित सैनिकों की सामूहिक हत्या से अधिक चिंतित हैं । यदि राजनीतिज्ञ अपनी पद्धति में सुधार नहीं कर लेते तो इस बात की संभावना है कि सेना और सच्चे देशभक्त राष्ट्र की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे ।"

†**श्री त्यागी** : यह एक सच्ची मंत्रणा थी ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह सेना को विद्रोह करने के लिये खुले रूप से उभाड़ना था ।

†**श्री त्यागी** : नहीं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हां, ऐसा कहा गया है कि हमारी सेना में जिसकी ख्याति दुनियां में सर्वोच्च है इतना रोष व्याप्त है । मैं हर एक बात को पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता क्यों कि यदि उस समाचार पत्र में ऐसा कहा गया है तो इन बातों की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है । अत्यन्त खेद का विषय है कि इस पत्र में ऐसा कहा गया । यह सम्पादकीय लेख में था । यह मात्र समाचार ही नहीं है ।

इस लिये माननीय सदस्य .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : इस पर केवल चेतावनी ही दी गई है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**। हां, इस पत्र के सम्बन्ध में और बात है, किन्तु दूसरे पत्रों के सम्बन्ध में चेतावनी ही दी गयी थी ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : क्या साम्यवादी दल ने इन पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये अभ्यावेदन दिया था ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया । हमने स्वयं इन पर कार्यवाही की थी । वास्तव में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि हमने चेतावनी देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया हमने राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार की नीति अपनाने के विषय में अर्थात् राज्य प्रेस मंत्रणा समिति स्थापित करने के विषय में कहा था । पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही करते समय वह इस समिति से मंत्रणा ले सकते हैं ।

पिछले कुछ महीनों में सरकार ने यही किया है और मैं सदन से पूछना चाहूंगा कि जो कुछ हमने किया है वह उचित था या नहीं और क्या हम सीमा के पार चले गये थे ? आप की अनुमति से मैं यह भी बताना चाहूंगा कि विरोधी पक्ष के दलों ने अपना उत्तरदायित्व किस तरह पूरा किया है ? यह बहुत दुर्भाग्य की बात है । मैं जानता हूं कि साम्यवादी दल के कुछ सदस्यों के विचा बिल्कुल भिन्न हैं । किन्तु उन के भाषणों या पुस्तिकाओं में कभी कभी जो कुछ छपता है, उस से बहुत आश्चर्य होता है । मैं एक पुस्तिका से जो कि बंगाली में है, कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, इस से जाहिर होता है कि साम्यवादी दल के कुछ सदस्य कैसे सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं :

> "केन्द्रीय सरकार ने भारत प्रतिरक्षा नियम पारित किये और आपातकाल की घोषणा बड़ी जल्दी में की है और प्रधान मंत्री ने यह संकेत किया है कि आपातकाल कम से कम पांच वर्ष जारी रहेगा । भारत प्रतिरक्षा नियम और सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां साथ साथ शुरू की गई हैं । श्रमिकों, किसानों और प्रजातन्त्र आंदोलन के अन्य कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया है और जनमत को दबा दिया गया है । दूसरी ओर राज्य के नेता दिन रात चिल्ला रहे हैं खून दो, धन दो और सोना दो । रेडियों पर किराये के अभिनेताओं द्वारा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा पर नाटक कराये जाते हैं । और सरकारी आकाशवाणी बेहोशी की हालत में है । देश के जीवन का गला दबाया जा रहा है । शुद्ध सैनिक तानाशाही इस समय भारत में सम्भव नहीं है क्यों कि लोगों में प्रजातन्त्रीय चेतना है और आंदोलन जोरदार है । अतः प्रजातन्त्र के नाम पर श्री नेहरू को आगे रख कर एक आंशिक सैनिक शासन कायम करने का प्रयत्न किया जा रहा है । तथापि अनिर्धारित सीमा को निर्धारित स्वीकार करके चीन को आक्रामक कहा गया है और भारत के नक्शे साथ ही उस की सीमा को कई बार परिवर्तित किया गया है ।"

†**श्रीमती रेणु चक्रवत्री** : यह पत्र कौन सा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह बंगाली में है — एक कथा है । इस का अंग्रेजी अनुवाद हो सकता है : लेट पीपल थिंक बोल्डर ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम जानना चाहते हैं कि क्या यह पश्चिम बंगाल प्रबन्धक समिति या भारत के साम्यवादी दल का प्रकाशन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने पहले ही कहा है कि मैं उन माननीय सदस्यों पर आरोप नहीं लगाना चाहता जिन्होंने साम्यवादी दल द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों को अपनाया है। किन्तु उस के सदस्य ऐसे भी हैं जिन के विचार बिल्कुल भिन्न हैं। इस लिये मैंने इन में भेद किया है।

†**डा० रानेन सेन** : पश्चिम बंगाल में साम्यवादी दल के किसी विभाग ने इसे प्रकाशित नहीं किया ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : उचित यह है कि हमें इस पत्र के प्रकाशक या लेखक का नाम बताया जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम जानना चाहते हैं कि प्रकाशक और लेखक कौन हैं और इसे कौन से मुद्रणालय में छापा गया है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**। मैं सब जानकारी विस्तार से दे दूंगा ।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : औचित्य प्रश्न के हेतु। यदि किसी पत्र से उद्धरण दिये जायें, तो उसे समापटल पर रखा जाना चाहिये। क्या इस पत्र को रखा जायेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं आवश्यक जानकारी नहीं दूंगा।

राजनीतिक दलों का उल्लेख करते हुए मैं एक शब्द जनसंघ के बारे में कहना चाहूंगा। इस का रास्ता भी सीधा नहीं रहा है। जब भी उस के सदस्यों को मौका मिला है उन्हों ने वर्तमान स्थिति से फायदा उठाना चाहा है। उस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो भाषण दिये हैं वे सरकार की आलोचना में बहुत साम्प्रदायिकता से भरे हुए और उत्तेजनात्मक हैं। सरकार की और उस की नीतियों की कड़ी से कड़ी आलोचना करने का उन्हें अधिकार है, किन्तु कम से कम यह खयाल तो रखना चाहिए कि यह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध न जाये।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** मैं मानता हूं कि हमारे लोगों द्वारा कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की जा रही है, किन्तु मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय हित के विरुद्ध क्या कहा गया है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं केवल दो पंक्तियां पढ़ूंगा जिस से प्रकट होगा कि कैसे भाषण किये जा रहे हैं :

> "मुसलमान कभी भारत के साथ नहीं हो सकते। नेहरू नासिर और अरब वालों के पीछे लग कर समय खराब कर रहा है। उसे चाहिये कि हमारा जो दोस्त देश है, इज़राइल, उस से सहायता लें।"

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : पाकिस्तान के मुसलमान के वास्ते कहा है या हिन्दुस्तान के मुसलमान के वास्ते कहा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : पाकिस्तान के मुसलमान कहां साथ आ जायेंगे। यह तो हिन्दुस्तान के मुसलमानों का सवाल है। मैं और नहीं पढ़ूंगा। उन की भाषा बहुत खराब है और मैं इसे पढ़ कर सदन का वातावरण खराब नहीं करना चाहता।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हाल में लखनऊ में जो प्रदर्शनी हुई थी उस से मुझे बहुत दुःख हुआ है। यह सच है कि प्रदर्शनी सीधे तौर पर जनसंघ द्वारा नहीं की गई थी ; इस में अन्य पक्ष भी

---

†मूल अंग्रेजी में

थे । जब यह प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, तो 'मां की पुकार' का छोटा सा कक्ष बनाने का इरादा नहीं था । जो तस्वीरें उस में दिखाई गई थीं, वे बहुत ठेस पहुंचाने वाली थीं । यदि मुझे अधिकार होता, तो मैं प्रदर्शनी के आयोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करता, क्योंकि बात यह नहीं कि कक्ष में प्रधान मंत्री सम्बन्धी कुछ बातें थीं, बल्कि जो कुछ वहां दिखाया गया था, उससे देश हतोत्साहित होता था और युद्ध की तैयारियों में बाधा पड़ती थी ।

†**श्री उ० मू० त्रिवदी** : क्या वह पत्र पटल पर रखा जायेगा, ताकि हम जान सकें कि क्या 'मां की पुकार' कक्ष में कोई ऐसी चीज़ थी जिन के आधार पर यह आलोचना की जा सके ।

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य जनसंघ के नेता हैं, वे अपने दल के सदस्यों से कह सकते हैं कि वे उन्हें वे तस्वीरें दिखायें ।

मुझे श्री कामत को भी यह बताना है कि उन के दल के एक सदस्य ने अपने भाषण में कहा था कि प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री दोनों को गोली से उड़ा दिया जाये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : किस ने ऐसा कहा था । यह एक, बहुत गम्भीर आरोप है । मैं भी कांग्रेस दल के सदस्यों के विरुद्ध बिना नाम के आरोप लगा सकता हूं । उदाहरणतया एक कांग्रेस सदस्य ने कहा है कि देश में सभी विरोधी दलों को नष्ट कर दिया जाये और देश में कोई विरोधी पक्ष न रहे ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : माननीय मंत्री को बताना चाहिये कि वह व्यक्ति कौन था, जिस ने ऐसा वक्तव्य दिया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में माननीय मंत्री को वह पत्र या प्रमाण पटल पर रखने चाहियें या माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये, क्योंकि किसी पक्ष के विरुद्ध जो भी आरोप लगाया गया है उसे झुठलाया जा रहा है ।

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : किन्तु क्या मैं यह कह सकता हूं कि मंत्रियों के विरुद्ध हर प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ऐसे आरोप लगाने से पहले क्या अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं । किन्तु मैं इस मामले में, जिस का मैं ने अभी उल्लेख किया है, माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा । किन्तु माननीय सदस्य इतने उतावले क्यों होते हैं । श्री कामत, श्री नाथ पाई या श्री हेम बरुआ या श्री द्विवेदी ऐसी बात भले न करें, किन्तु और कार्यकर्ता हैं जो हर प्रकार के भाषण देते हैं . . .

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्हों ने कहा है कि हमारे दल के एक सदस्य ने एक वक्तव्य दिया है । क्या मेरे लिए यह ठीक नहीं है कि मैं आप से कहूं कि आप मेरी सहायता के लिये आयें ? नहीं तो उन्हें आरोप वापस ले लेना चाहिये ।

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : मैंने शुरू में श्री कामत को कहा था कि उन के दल के एक सदस्य ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है और मैं अपनी बात पर कायम हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** यह नागरिक अधिकारों का प्रश्न है और ये आरोप इस प्रकार नहीं लगाये जाने चाहियें ।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : माननीय मंत्री ने एक अस्पष्ट आरोप लगाया है । वे बता नहीं सकते कि वह व्यक्ति कौन था और उस ने कब और कहां ऐसा वक्तव्य दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आज़ाद** (भागलपुर) : यह उन के दल द्वारा कहा गया था । हमारे राज्य के विभिन्न भागों में दल के अधिकारियों ने बैठकें की हैं और वहां ऐसी बातें कही हैं ---(**अन्तर्वाधा**)

†**श्री योगन्द्र झा** (मधुबनी) : हमारे प्रान्त में कांग्रेसी कांग्रेसियों की हत्या के षड्यंत्र रचते हैं और यहां पर हमारे खिलाफ बोलते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय गृह मंत्री ने अभी कहा है कि वे उन के द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में उन्हें संतुष्ट करने के लिए तैयार होंगे । यदि उन से मिलने और बात करने के बाद, सदस्य किसी चीज़ की ओर मेरा ध्यान दिलाना चाहें, अर्थात् वे आरोप निराधार हैं तो मैं अवश्य सुनूंगा ।

†**श्री हेम बरूआ** : यह एक औचित्य प्रश्न है । मेरा निवदन है कि जब तक किसी मंत्री महोदय के पास तथ्य न हों, और चुनौती मिलने पर वह उसे सदन के समक्ष अथवा सभा पटल पर न रख सकता हो, तो उसे किसी दल अथवा व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाने चाहियें और यह बात केवल मंत्रियों पर ही नहीं सदस्यों पर भी लागू होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले में मैं कोई भेदभाव नहीं करता, यह बात सब पर लागू होती है । सदस्यों पर भी और मंत्रियों पर भी । मैं ने माननीय गृह-कार्य मंत्री को कह दिया था कि यह बात आप पर भी लागू होती है ।

जब कोई आरोप लगाये जायेंगे तो मैं यह देखूंगा कि उन का कुछ आधार है अथवा उस के लिए कोई सबूत पेश किये जा सकते हैं वैसे तो यह सिद्धान्त सभी सदस्यों पर लागू होता है, परन्तु फिर भी मैं तो यह भी कहूंगा कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व बहुत अधिक है । उन्हें कोई निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिये ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : माननीय मंत्री को उन लोगों के नाम बता देने चाहियें जिन के विरुद्ध यह आरोप है ताकि दल के आधार पर भी उस पर कोई कार्यवाही की जाय ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवदी** : जब भी कोई सदस्य अथवा मंत्री कोई आरोप लगाये उन्हें तथ्यों को सभा पटल पर रखना चाहिये । उसे सिद्ध किया जाना चाहिये यदि उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता तो उसे वापिस लिया जाना चाहिये । क्योंकि उन के पास सबूत नहीं, अतः उन्हें वक्तव्य वापिस लेना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी कुछ समय पूर्व में एक माननीय सदस्य से कहा था कि यदि आप ने कुछ कहना है अथवा आप छानबीन कर कुछ लाये हैं तो आप को उस का सबूत देना होगा । माननीय मंत्री को भी कहा था कि उन्हें अपने आरोपों के पक्ष वक्तव्य मेरे पास भेजना चाहिये । मुझे भी इस बात की छानबीन करनी चाहिए कि मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उस का कुछ औचित्य है कि नहीं । गृह कार्य मंत्रालय के मामले में मंत्री महोदय से केवल इतना ही कहा जायेगा कि वह सबूत पेश करें ।

श्री त्रिवेदी का कहना भी ठीक है जो भी आदमी मंत्री महोदय के दिमाग में हो उस का नाम ले देना चाहिए । हो सकता है कि दल उस के कृत्य का उत्तरदायित्व लेने को तत्पर न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : हम और कुछ नहीं कहना चाहते, केवल इतना बता दिया जाये कि कहा किस ने था। अखबारों वालों को कहा जाय कि इसे अखबारों में न दे।

†**श्री हेम बरूआ** : यह औचित्य प्रश्न है। हमारे दल के सदस्य पर एक गम्भीर आरोप है कि वह प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री को गोली से उड़ाना चाहता है। यह एक गम्भीर बात है और सम्भवतः यह आरोप बिलकुल निराधार है। यदि गृह-कार्य मंत्री के पास कोई तथ्य नहीं है तो यह सारा किस्सा कार्यवाही से निकाल देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : गृह-कार्य मंत्री ने श्री द्विवेदी को निमंत्रण दिया है। वह मंत्री महोदय से मिलें, यदि वह फिर भी सन्तुष्ट न हो तो मेरे पास आ सकते हैं, फिर देखेंगे कि इसे कैसे लिया जाय।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे खेद है कि मैं ने कुछ समय ले लिया। स्वतंत्र पार्टी के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता था। मेरे कथन से यदि उन्हें दुःख हुआ है तो इस का मुझे खेद है। परन्तु तथ्य यह है कि मेरे तास सभी जानकारी है, परन्तु मैं उसे सभा पटल पर रख नहीं सकता। वह गोपनीय है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस से बहुत से सन्देह उत्पन्न होने की गुंजाइश है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे तो बोलने ही नहीं दिया गया। यदि मुझे एक दो वाक्य बोलने दिये जाते तो शायद मामला स्पष्ट हो जाता। अब मैं दूसरी बातें करता हूं।

सदन में भ्रष्टाचार की बातें की गयी हैं। श्री कामत ने इस विषय पर बहुत ही जोरदार भाषण दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश में भ्रष्टाचार है और हमने उसका पूरा मुकाबला करना है। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि इस मामले पर आलोचन की जाय, परन्तु मुझे इस बात से बहुत दुःख हुआ कि श्री कामत इस सदन का मुकाबला अंग्रेजों के जमाने से करने लगे। इससे देश का कोई गौरव नहीं होता और न ही किसी देशवासी को इससे लाभ पहुंचने की संभावना है। इस बारे में मेरा निवेदन इतना ही है कि यद्यपि भ्रष्टाचार का पूरी ताकत से मुकाबला किया जायेगा, परन्तु सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकती कि इसको दूर करने के लिये भ्रष्ट व्यक्तियों को कोड़े लगाये जायें। कोड़े लगाने से तो मौत की सजा कम भयावह है।

सदन की जानकारी के लिये मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि विशेष पुलिस संस्थान और सतर्कता विभाग ने पिछले पांच वर्षों में ४२००० सरकारी कर्मचारी पकड़े हैं। इनमें राजपत्रित अधिकारियों की संख्या २००० है। पांच छः हजार व्यक्तियों को पदच्युत कर दिया गया, कइयों को सेवा निवृत्त किया गया है और बहुतों की पद अवनति कर दी गयी है। राज्य सरकारों ने भी विशेष पुलिस संस्थान के पद चिन्हों पर चल कर कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

मेरे विचार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये चार चीजें आवश्यक हैं। पुलिस संस्थानों को जांच की आजादी दी जाय। इसी तरह का कार्य राज्य सरकारों को भी करना चाहिये। मंत्री अथवा मुख्य मंत्री को हस्तक्षेप केवल उस समय ही करना चाहिये जब कि बहुत ही जरूरी हो। पुलिस संस्थानों ने बड़े-बड़े महत्वपूर्ण मामलों का पता लगाया है। अतः हमने इन संस्थानों को काफी स्वतंत्रता से काम करने की आजादी दी है। मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार एक केन्द्रीय 'जांच पड़ताल ब्यूरों' भी स्थापित करने का विचार रखती है। यह संस्था शीघ्र ही अपना कार्य करना आरम्भ कर देगी। वास्तव में इसका कार्य आज ही आरम्भ हो जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

वह केन्द्रीय ब्यूरो राज्य सरकारों के सहयोग से कार्य करेगा। राज्यों के विरुद्ध जो भी कार्य होगा उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया जायेगा और राज्य सरकारों के परामर्श से ही कार्यवाही की जायेगी।

सन्तानम् समिति के बारे में तो माननीय सदस्यों को पता ही है। उच्च अधिकार प्राप्त सतर्कता आयोग के निर्माण के लिये हम सन्तानम समिति की सिफारिशों पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे। यह आयोग विभिन्न मंत्रालयों के भ्रष्टाचार के मामलों पर विचार करेगी।

मंत्रियों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में श्री कामत ने कुछ बातें कही हैं। कहा गया है कि कलकत्ते की एक फर्म की किताबों में कुछ दर्ज मदों से उत्पन्न होने वाले कुछ मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों को दबा दिया जायेगा। तथ्य यह है कि प्रधान मंत्री ने यह फैसला किया है कि सारी की सारी जानकारी परामर्श के लिये महा न्यायवादी, श्री दफ्तरी को सौंप दी जाय। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बात की अनुमति दे कि सारे मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय। यह सन्देह दूर हो जाना चाहिये कि मामले को इधर उधर कर दिया जायेगा। मुझे काफी शिक्षा मिल चुकी है अब आगे से मुझे काफी सचेत रहना है।

यह मेरी उत्कट आकांक्षा है कि विभिन्न सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों में काफी ताल मेल है। उनके सबंध अच्छे हो। कर्मचारी लोग जनता की भावना की इतनी चिंता नहीं करते। जनता के प्रतिनिधियों की ताकत जनता होती है। यह ठीक है कि कर्मचारियों को वफादारी और ईमानदारी से सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करना होता है। मुझे इस बात का खेद है कि खंड विकास अधिकारी कई बार विभागीय रूप से काम करते हैं, जबकि उनसे आशा की जाती है कि वे उस क्षेत्र के लोगों के बीच में जाकर काम करें।

एक और बात भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि "खिचड़ी परिषदों" का आपात काल से कोई संबंध नहीं। उन्हें तो तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिये। यह ठीक है कि हमने आपात काल के कारण यह मामला स्थगित कर दिया था, परन्तु अब इनकी स्थापना जरूरी है। मेरे विचार में स्वतंत्रता के बाद तीन चीजों ने देश के संगठन को कायम रखा है। सेना, प्रशासनिक सेवायें तथा संगठित और सुव्यवस्थित राजनीतिक दल।

इन महत्वपूर्ण बातों ने देश को दृढ़ बनाये रखा है और हमने अन्य राष्ट्रों की तुलना में अच्छा कार्य किया है। मैं दूसरे देशों से तुलना करना नहीं चाहता; किन्तु सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसलिये जहां सेना को नियंत्रण में रखना और चूकों पर दृढ़ता से कार्यवाही करना आवश्यक है वहां यह भी आवश्यक है कि उनका होसला बनाये रखा जाये। उनका हौसला बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें मन की बात अभिव्यक्त करने से न रोका जाये। कम से कम महत्वपूर्ण मामलों में उनकी विचार अभिव्यक्ति से कोचित होने की आवश्यकता नहीं और उन्हें सर्वथा बाध्य भी नहीं किया जाये। मैं मंत्रियों की बात कर रहा हूं और किसी की नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि यदि सेना का हौसला बनाये रखना है तो उन्हें विभि विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिये। यह मंत्री का कार्य है कि अधिकारियों के उन दृष्टिकोणों को स्वीकार करे अथवा नहीं। यदि उन्हें कार्य करने के लिये बाध्य किया गया तो

उनका हौसला मन्द हो जायेगा, प्रशासन के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी और अन्ततः, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जनता को कष्ट उठाना होगा।

हमें भारत प्रशासन सेवा और भारत पुलिस सेवा के नये भरती किये गये अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बहुत अधिक बल देते हैं। जैसा कि सभा को विदित है सब से अधिक महत्वपूर्ण संस्थायें मसूरी की अकादमी और आबू स्थित भारतीय पुलिस ट्रेनिंग कालेज है। इन संस्थाओं के कार्य और वर्तमान प्रशासन में सुधार की दृष्टि से कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि सेना का दृष्टिकोण बदलने के लिये प्रशिक्षण संस्थायें और पुनरध्ययन पाठ्यक्रम सर्वोत्तम साधन हैं।

सीमा की सुरक्षा के विषय में उल्लेख किया गया है। उसके विषय में भी, खेद है, कि मैं अधिक नहीं कह सकता ; क्योंकि यह वांछनीय भी नहीं होगा। तथापि, मैं कह सकता हूं कि केन्द्र और राज्य सरकार दोनों में, पुलिस के बल को पर्याप्त रूप से सबल बनाया है। पुलिस बल से मेरा तात्पर्य राज्यों के विशेष सशस्त्र पुलिस बल से है। हम उन्हें समुचित रूप से प्रशिक्षित और सज्जित करने के लिये उत्सुक हैं। मैं यह और कहना चाहता हूं कि देश के विभिन्न भागों में, और विशेषतः दुर्गम क्षेत्र में, नियुक्त विशेष पुलिस दस्तों ने वास्तव में बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था, हमने यह निश्चय कर लिया है कि केन्द्रीय रक्षित पुलिस के एक पृथक पुलिस महानिरीक्षक होंगे जो सीमावर्ती क्षेत्रों, वहां की व्यवस्था और वहां नियुक्त बल से निकट सम्पर्क बनाये रखेंगे।

सीमा की सुरक्षा पर बोलते हुये कुछ माननीय सदस्यों ने पाकिस्तानियों द्वारा अनधिकार सीमा प्रवेश के बारे में भी उल्लेख किया था। मैंने इस बात का सभा में कई बार उल्लेख किया है। तथापि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि १९४७ से १९५२ तक कोई पारपत्र अथवा दृष्टांक की पद्धति लागू नहीं की गई थी। उस काल में लोग आसाम, त्रिपुरा और अन्य क्षेत्रों में आते रहे हैं। इसके बाद भी लोग धीरे धीरे आसाम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में आते रहे हैं। वह क्षेत्र भी ऐसा है कि दोनों राष्ट्रों के बीच में निरन्तर लोग आते जाते रहते हैं। आर्थिक कारणों ने भी लोगों को पूर्वी बंगाल से आसाम में आने के लिये बाध्य किया है। कारण कुछ भी हो यह बात ठीक है कि अवैध रूप से प्रवेश करने की इस समस्या का समाधान किया जाये। मुझे हर्ष है कि श्री मुहम्मद इस्माइल ने जो मुस्लिम लीग के नेता हैं, बाहर से आये हुये इन व्यक्तियों के निष्क्रमण के विचार का पूर्ण रूप से अनुमोदन और समर्थन किया है। वास्तवमें उन्होंने कहा है कि इस संकट को दूर किया जाना आवश्यक है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था ; वाक्य का नहीं। इन बातों के बावजूद भी हमने इस विषय में शिथिलता से कार्य किया है। त्रिपुरा में जो पग उठाये गये थे उनसे त्रिपुरा और आसाम में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों के हृदय में एक प्रकार के भय का संचार किया है। उनमें से बहुतों ने त्रिपुरा और कुछ ने आसाम छोड़ दिया है, यद्यपि उन्हें छोड़ने की सूचना नहीं दी गई थी। उनमें से बहुतों ने वह स्थान छोड़ दिया था। वस्तुतः १२,००० व्यक्तियों ने सूचना पाये बिना ही आसाम छोड़ दिया था। शेष को सूचना दी गई थी। वह भी एक वर्ष के लगभग कालावधि में, दो माह में ही नहीं। आसाम सरकार अथवा त्रिपुरा प्रशासन द्वारा उठाये गये पग पर पाकिस्तान में काफी हो-हल्ला मचा था और ऐसा कहा गया था कि भारतीय मुस्लिमों को भारत से बाहर खदेड़ा जा रहा है।

†श्री अ० चं० गुहा (बारसाट) : क्या श्री माननीय मन्त्री विदित है कि इसके पश्चात् पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किये गये थे और फलस्वरूप वह आसाम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल की ओर आ रहे हैं ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री: यह सत्य है। जैसा कि मैंने कहा है पाकिस्तान समाचारपत्रों में इस प्रकार की खबरें छपी हैं कि इस बात से कि हम उन मुस्लिमों को भी जो अवैध रूप से इधर नहीं आये हैं, बाहर खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पाकिस्तान की जनता में बहुत रोष उत्पन्न हो गया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, हो सकता है कि कुछ मामले अपवादस्वरूप हों, कि आसाम सरकार और त्रिपुरा प्रशासन ने इस बात को पूर्ण सावधानी बरती थी कि केवल उन्हीं लोगों को निष्कासित किया जाये जो हाल ही में पश्चिमी बंगाल, आसाम अथवा त्रिपुरा में आये हैं। उन्हें निष्कासित किया गया। फिर भी काफी विरोध प्रकट किया गया तथापि अभी मैं इस विषय के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही वार्ता में पाकिस्तान सरकार ने यह सुझाया है कि इस विषय पर भी परस्पर वार्ता कर ली जाये। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं कि आवश्यक अभियान उचित रूप से और परस्पर समझौते से किया जाये। किन्तु किसी भी अवस्था में हमारा कर्तव्य स्पष्ट है। हम एक भी भारतीय मुस्लिम को भारत से बाहर नहीं भेजेंगे। उसकी आवश्यक सुरक्षा का हर प्रकार से प्रबन्ध होगा। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को बाहर भेजे जाने से पहले उच्च स्तर पर सुनाई हो। इस विषय में कार्यवाही केवल पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार के स्तर पर ही नहीं की जायेगी। हम यही चाहते हैं कि उच्च स्तर के अधिकारी उसकी बात सुनें और तब अन्तिम निर्णय किया जाये। वस्तुतः हमने कुछ व्यक्तियों के निष्कासन के सम्बन्ध में जांच की थी। एक मुस्लिम वकील भी जांच के समय उपस्थित था। उसने भी त्रिपुरा के प्राधिकारियों द्वारा किये गये कार्य का समर्थन किया।

†श्री बसुमतारी (गोलपाड़ा) : जब ४५,००० व्यक्तियों में से ४१,००० को भेजा गया था तब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी; किन्तु अब जब ३ लाख में से केवल १२,००० को भेजा जा रहा है तब इसकी प्रतिक्रिया की जा रही है।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : श्री बसुमतारी को मुझ से अधिक इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि जब त्रिपुरा से निष्कासन किया गया था तब, वस्तुतः, त्रिपुरा और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र पर कुछ उपद्रव हुआ था। पाकिस्तान की ओर से बहुत से व्यक्तियों ने नदी पार कर के भारतीय प्रदेश में आने का प्रयास किया था। कई बातें हुईं। इसका प्रभाव त्रिपुरा और आसाम दोनों स्थानों पर हुआ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री इस समय उपस्थित नहीं है। उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये थे। उन्होंने ४ लाख के आंकड़े बताये थे, किन्तु यह ४ लाख व्यक्ति पूर्वी बंगाल से आये हुये हिन्दू हैं, मुस्लिम नहीं।

जहां तक निरुद्धों का प्रश्न है मैं इस विषय में पुनः जांच करने के लिये सहमत हूं। मैंने बिहार और पश्चिमी बंगाल सरकारों के प्रतिवेदन पढ़े हैं। त्रिपुरा जेल में स्थान की कमी होने के कारण वहां के निरुद्धों को बिहार लाया गया था।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आसाम में भी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हां, जैसा कि मैंने कहा है कि त्रिपुरा से आये हुये निरुद्धों के प्रति बिहार सरकार के नियम लागू हैं। निस्सन्देह वहां प्रथम और द्वितीय श्रेणियां हैं। मैंने 'मेनु' में भी देखा था। उन्हें दिये जाने वाले भोजन में बहुत कम अन्तर है। फिर भी मैं पुनः इन चीजों की जांच करने के लिये प्रस्तुत हू, क्योंकि सरकार का प्रयोजन केवल यही है कि इन महानुभावों को जेल की चहार दीवारी के भीतर ही बन्द रखा जाये, और कुछ नहीं। हम उन पर किसी प्रकार की सख्ती नहीं कर सकते।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या उन सब राजनैतिक बन्दियों के लिये जिन्हें बिना मुकद्दमा चलाये बन्दी बना लिया गया है एक ही श्रेणी नहीं होनी चाहिये ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं माननीय सदस्या से पूर्णतः सहमत हूं, किन्तु मुझे आशंका इसी बात की है कि यदि उन्हें कभी जेल में जाना पड़ा तो वह पृथक् स्थान पर रहना ही पसन्द करेंगी।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मुझे हमेशा दूसरों की चिन्ता रहती है, अपनी नहीं।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : सामान्यतया मैं उनसे सहमत हूं, किन्तु उन्हें विदित है कि राज्य सरकारों के अपने पृथक् जेल सम्बन्धी नियम हैं। सम्भव हुआ तो हम उनसे इस विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः मैंने पहले ही ऐसा कर लिया है। किन्तु मैं फिर इस विषय पर अग्रेतर विचार करने और उनसे चर्चा करने के लिये तैयार हूँ।

जहां तक परिवार भत्ते आदि का सम्बन्ध है, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसी सूचनायें मिली हैं जिनसे यह विदित होता कि कई हालतों में परिवार भत्ता मजूर कर लिया गया है, किन्तु कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें इस ओर ध्यान तक नहीं दिया गया। इन बातों की भी जांच की आवश्यकता है।

भाषा के प्रश्न पर भी, हिन्दी और इंग्लिश दोनों पर काफी वार्ता हुई है। मैं विधेयक के सभा में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उस विषय पर कुछ कहना नहीं चाहता। माननीय सदस्यों से मेरी यही विनती है कि वह चाहे हिन्दी का समर्थन करें अथवा इंग्लिश का, अतिवादी दृष्टिकोण न अपनायें। किन्तु मैं सभा से यह कहना चाहता हूं कि मैं विधेयक को यथासम्भव शीघ्र इसी सत्र में पुरस्थापित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इसी सत्र में विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। मेरी तीव्र इच्छा है कि विधेयक पारित कर दिया जाये।

मैं समझता हूं डी० एम० के० के सदस्य श्री सेझियान ने यह कहा था कि विधेयक को प्रस्तुत करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है। मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि उन्होंने ऐसी आलोचना क्यों की। वस्तुतः इंग्लिश जनवरी १९६५ तक जारी रहेगी। इसलिये कुछ विलम्ब हो तब भी किसी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चय ही मुझे हर्ष है कि डी० एम० के० के हिन्दी के विरोध के उपरान्त भी उनके बच्चे हिन्दी पढ़ रहे हैं। यह अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इसकी आलोचना नहीं करता।

†श्री कन्डप्पन (तिरुचगोड़) : बिना लादे हुये भी हम कई भाषाओं को पढ़ सकते हैं।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने भी यही कहा है कि आपके विरोध के उपरान्त भी आपके बच्चे हिन्दी पढ़ रहे हैं और यह एक अच्छी बात है।

मैं एक बात पर और प्रकाश डालूंगा। उन्होंने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी की परीक्षायें उत्तीर्ण करने के लिये लगभग बाध्य किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। यह सत्य है कि उन्हें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, किन्तु यह किसी भी प्रकार उनकी नियुक्ति, पदवृद्धि अथवा अन्य किसी विषय में बाधा उत्पन्न नहीं करता । उन्होंने प्रधान मन्त्री का उल्लेख करके कहा कि हम कुछ कार्य उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कर रहे हैं । प्रधान मन्त्री का कथन यह है कि :

> "सेवाओं की बात लीजिये । यदि वह हिन्दी नहीं भी जानता तो भी वह उस स्थिति तक आने के योग्य है, अर्थात् नियुक्ति के समय कोई शर्त नहीं होनी चाहिये । किन्तु मैं निश्चय ही यह चाहूंगा कि वह हिन्दी पढ़ें ।"

यह प्रधान मन्त्री ने स्वयं लोकसभा में कहा है इसलिये धीरे-धीरे और शनैः शनैः हम सेवा नियुक्ति कर्मचारियों को हिन्दी सिखाना चाहते हैं । उन्हें इसे सीखने का प्रयास करना चाहिये, किन्तु यह किसी भी प्रकार उनकी नियुक्ति अथवा पदवृद्धि इत्यादि के लिये बाधा उत्पन्न नहीं करती ।

मैं संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहूंगा । वह विधेयक भी प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जा चुका है । दिल्ली से निर्वाचित संसद् सदस्यों में से जिनमें श्री खन्ना भी हैं, कुछ ने यह सुझाव दिया था कि जब तक मन्त्रालय, अथवा मैं, दिल्ली से निर्वाचित ससद् सदस्यों से इस विषय में चर्चा न कर लूं तब तक मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूं । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा । जो कुछ मुझे कहना है वह मैं विधेयक के प्रवर समिति से वापिस आने के बाद उस पर चर्चा होते समय ही कहूंगा ।

पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में मेरे सहयोगी ने पहले ही अपने भाषण में प्रकाश डाला है । मुझे विपक्षी दल के सदस्यों के एक या दो भाषणों को सुन कर अत्यन्त आश्चर्य हुआ जिनमें यह कहा गया था कि अस्पृश्यता को हटाने के लिये कुछ भी कार्य नहीं किया गया है । मैं यही कहूंगा कि ऐसा कहना असत्य है । यह सच है कि कुछ भागों में अथवा सुदूर क्षेत्रों में उन गांवों में जहां संचार व्यवस्था नहीं है । अब भी अस्पृश्यता विद्यमान है । किन्तु यह कहना कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ सत्य नहीं है । मैं कभी सोचता हूं कि यह गांधीजी का एक कार्य था जिसमें उनका सन्देश तेजी के साथ ले जाया गया था । यदि ऐसा एक व्यक्ति भी बच रहा जिसे अछूत कहा जाये तो निस्सन्देह भारत का मस्तक लज्जा से नष्ट हो जायेगा ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए जो स्थान आरक्षित रखे गये थे उनको पूरा नहीं भरा गया । इसके कई कारण हैं । किन्तु इस का मुख्य कारण यह था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये इन वर्गों के लड़कों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं था । हमारे द्वारा स्थापित दोनों संस्थायें उपयोगी कार्य कर रही है और गत २ वर्षों से परीक्षा का परिणाम काफी संतोषजनक रहा है । १९६२ में भारत प्रशासन सेवा में की गई ९९ नियुक्तियों में से अनुसूचित जाति और आदिम जातियों के २६ लड़के थे । यह संख्या २६ प्रतिशत है । इस वर्ष भी भारत प्रशासन सेवा और भारत पुलिस सेवा के लिये लिये गये १०५ लड़कों में से १९ लड़के इन वर्गों के है । मुझे विश्वास है कि इन वर्गों में जिस प्रकार शिक्षा का प्रसार हो रहा है उसे देखते हुये अवश्य ही आमूल परिवर्तन हो जायेगा । इन दोनों वर्गों के लगभग प्रत्येक लड़के को जो उच्चशिक्षा प्राप्त कर रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है । सभा को इसके आंकड़े रुचि कर प्रतीत होंगे और इसलिये में उनका उल्लेख करना चाहूंगा । १९४८-४९ में अनुसूचित जाति के कुल ६४७ छात्र उच्चशिक्षा प्राप्त कर रहे थे । १९६१-६२ में यह संख्या ७५ गना बढ़ कर ४८,००० हो गई । इनको छात्र वृत्तियों पर व्यय इस काल में बढ़ कर

२.५ करोड़ रुपया हो गया। अनुसूचित आदिम जातियों के संबंध में संख्या ८४ से बढ़ कर ८,००० हो गई और व्यय ४६,००० रुपये से बढ़ कर ४०,००,००० रुपये हो गया। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह पर्याप्त है, अथवा हम इससे संतुष्ट हो जायें। किन्तु इससे यह पता चलता है कि प्रगति हो रही है, किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि प्रगति की गति में तेज़ी लाई जाये। जो कुछ अभी तक किया गया है उससे अधिक करने की आवश्यकता है।

देव बन्द की जांच के संबंध में श्री इस्माइल और अन्य सदस्यों ने उल्लेख किया है। उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस जांच के मूल में साम्प्रदायिक भावना नहीं है और इसमें मुस्लिम-विरोधी भावना का लेश भी नहीं है। मैं गत ३० अथवा ३५ वर्षों से देव बन्द के दारुल उलूम के विषय में जानता हूं। मैं उस संस्था में भी गया हूं। यह देश में एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है और हम इसका सम्मान करते हैं। वस्तुतः इसके संस्थापक अब वहां नहीं हैं। मैं उनके साथ जेल में रहा हूं। उनके प्रति हमारे हृदय में असीम सम्मान है। इसलिये हम इस बात की संभावना भी नहीं कर सकते कि उसके विरुद्ध इसलिये पग उठाया जाये कि वहां मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं। मैं ब्यौरे में जाना नहीं चाहता किन्तु मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि यह पूर्णरूपेण विदेशी मुद्रा का विषय था और इसलिये मंत्रालय ने इसकी जांच करना उचित समझा। मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि कुछ समय पूर्व कुछ गलतियां भी की गई थीं। किन्तु फिर भी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। वास्तव में संबंधित व्यक्ति को बुलाया गया था, अधिकारियों ने उससे बात की थी और उससे कहा था कि यह कार्य वांछनीय नहीं है और इसलिये इसे बन्द किया जाना चाहिये। हाल ही में फिर वही कार्य कई बार किया गया और पूर्ण रूप से उसी आधार पर यह जांच की गई थी। मैं केवल माननीय सदस्य से यही कहूंगा कि वह इस घटना का संबंध धर्म अथवा संप्रदाय से संबंधित करने का प्रयास न करें। इसमें साम्प्रदायिकता का लेश भी नहीं।

डा० अणे ने विदर्भ आंदोलन और राजनैतिक बंदियों को रिहाई का उल्लेख किया था। मैं सभा से और उनसे कहना चाहूंगा कि मैंने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस विषय में अत्यन्त साहनुभूति पूर्वक विचार करेंगे उन्होंने कहा था कि वह शीघ्र ही इस विषय पर विचार करेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने त्रिपुरा के किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित एक समाचार का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि उस पत्र के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। मैं सभा का समय लेना नहीं चाहता, किन्तु जो कुछ पत्र में प्रकाशित हुआ है, यदि वह उसे पढ़ कर सुनायें तो यह स्पष्ट हो जायेगा। श्री सिन्हा त्रिपुरा की राज्यक्षेत्रीय परिषद् के उत्तरदायित्वपूर्ण सभापति पद पर हैं। यदि पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि श्री सिन्हा ने यह कहा है कि वह त्रिपुरा में रहने वाले सारे आदिवासियों को गिरफ्तार करेंगे अथवा करवायेंगे और उन्हें सबक सिखायेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आदिवासियों पर उनका क्या प्रभाव हुआ होगा। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और कोई अन्य इस बात पर कैसे आपत्ति उठा सकते हैं कि इस विषय में उनका उल्लेख किया गया। स्वाभाविक था कि हमने उनसे पूछा था कि उन्होंने क्या कहा था और उन्होंने जो कुछ कहा था वह हमें बताया था। इन परिस्थितियों में त्रिपुरा के आदिवासियों के बीच व्याप्त कटु भावनाओं को देखते हुये, यह स्वाभाविक था कि राज्यक्षेत्रीय परिषद के सभापति इसका प्रतिवाद करने की इच्छा करते। यदि बिना प्रमाण एकत्र किये ही ऐसी बातें प्रकाशित हो जाती हैं तो क्या करना होगा?

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सरकार ने किस प्रकार इसका प्रमाणीकरण किया । जिस व्यक्ति ने अनुत्तरदायी वक्तव्य दिया उसी से आपने पूछा। क्या कार्य करने का यह तरीका है?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पत्र में यह प्रकाशित हुआ था :

"त्रिपुरा के सारे आदिवासी साम्यवादियों के दूत हैं, मैं सारे आदिवासियों को उनके बच्चों और बच्चियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। शेष को मैं जूतों की ठोकर मार कर सही रास्ते पर लाऊंगा। मैं आदिवासियों से सचेत रहने का अनुरोध करता हूं। श्री सिन्हा का यह वक्तव्य पूर्णरूप से साम्प्रदायिक प्रचार है।"

कल्पना कीजिये कि इस प्रकार का भाषण त्रिपुरा राज्यक्षेत्रीय परिषद के सभापति ने दिया था। यह स्वयं ही असत्य मालूम देता है ।

मुझे खेद है कि मैं अन्य बातों विशेषतया आपातकाल के विषय में नहीं बोल सका। यह सत्य है कि सरकारी कर्मचारियों और विभागों में अधिक अविलम्बनीयता की भावना होना आवश्यक है। मुझे आशा है कि इस विषय में मुझे सभा की अनुमति प्राप्त होगी, और मैं भी बिना अच्छी प्रकार विचार किये ऐसा नहीं कर सकता, कि मैं उन अधिकारियों का, जिनका गत कुछ माहों में आपातकाल से सीधा सम्बन्ध था, अभिनन्दन करूं। मैं केवल उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनका आपातकाल से सीधा सम्बन्ध था। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि वह छुट्टियां नहीं मनाते, यहां तक कि रविवार को भी नहीं। उन्होंने कार्यालय में अतिरिक्त समय तक कार्य किया। मेरी तीव्र इच्छा है कि यह भावना बनी रहे क्योंकि हम अब भी कठिन समय से गुजर रहे हैं और यह आपतकाल और अविलम्बनीयता की भावना अब भी विद्यमान रहनी चाहिये। यह आपातकाल किसी निषेधात्मक प्रयोजन के लिये, लोगों को निरुद्ध करने अथवा लोगों को मुक्त रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने से रोकने के लिये ही नहीं है। यह पूर्णतया हमारी प्रजातंत्रीय भावना के विरुद्ध होगा। जैसा कि मैंने कहा है राजनैतिक दलों को संयम से कार्य करना है। सरकार को भी संयम से काम लेना है और यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस आपातकाल का प्रयोग वास्तव में सरकार द्वारा देश की प्रतिरक्षा के हेतु शक्ति बढ़ाने के लिये दृढ़ और कारगर तैयारी करने, उत्पादन बढ़ाने और देश की शक्ति बढ़ाने वाले अन्य कार्यों के लिये किया जाये।

यह आपातकाल निश्चय ही एक रचनात्मक पहलू है।

भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं जैसा कि मैं अभी कह रहा था आपातकाल के प्रति जनता द्वारा की गई शानदार प्रतिक्रिया का उल्लेख करूंगा। देश ने निस्संदेह एकता की भावना प्रदर्शित की है जिसकी प्रशंसा सारे विश्व ने की है।

हमें उस भावना को कायम रखना चाहिए। इस के लिये राष्ट्र में अनुशासन और सभी लोगों में बिलकुल एकता होनी चाहिए। भाषा, सीमा और नदियों के कारण भेदभाव पैदा होते हैं। हाल में ही माननीय सदस्यों ने देखा है कि नदियों के पानी के सम्बन्ध में आन्ध्र, मैसूर और कुछ अन्य राज्यों में किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हुईं। उसी

†मूल अंग्रेजी में

प्रकार रिहांद बांध के बारे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मतभेद था। खेद है कि हर कोई अपने दृष्टिकोण को ठीक समझता है। इस तरह से एकता कैसे रह सकती है। किसी प्राधिकार, जिस के शब्द अन्तिम हों, तो निर्णय को मानने की रजामन्दी भी चाहिए।

सीधी कार्रवाई से फूट पैदा होती है और बहुत सी कटुता उत्पन्न होती है। कभी कभी ऐसी धमकियां दोहराना खेद प्रद है। कहां सीधी कार्यवाही करनी चाहिए इस पर विचार देश के बुद्धिमान लोगों को करना चाहिए। फिर हम सबको उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

राजनीतिज्ञों को अनुशासन के मामले में बहुत जागरूक रहना चाहिये। इस समय अच्छे बुरे व्यक्ति किसी प्रकार की सहायता लेने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से उचित कार्यवाही करना बहुत कठिन हो जाता है। हमारा इस में काफी उत्तरदायित्व है। सभी राजनैतिक दलों को किसी भी मामले पर अच्छी तरह से विचार करने की कोशिश करनी चाहिये और किसी भी मामले का समर्थन करने से पूर्व अपने आप को उस मामले के औचित्य पर विश्वस्त कर लेना चाहिए।

जिन मामलों की जांच की जा रही है उन के सम्बन्ध में एक पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया कि वे चाहते हैं कि संसद् सदस्य जांच के समय हों और देखें कि जांच ठीक प्रकार से हो रही है। तब संसद् सदस्य तसवीर की दूसरी ओर देख सकेंगे। यह सुझाव अच्छा है। मैं संसद् सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जो कोई जांच के समय देखना चाहें देखें कि पुलिस का सिपाही अपना काम ठीक प्रकार से कर रहा है, क्योंकि इस से हमें भी तसल्ली होगी।

प्रत्येक चीज़ इस बात पर निर्भर है कि हम किस प्रकार की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं। निःसन्देह क्रांतिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है और यदि सम्भव हो तो ऐसा भी क्रांतिकारी तरीकों से होना चाहिये। हमारी क्रान्ति शीघ्र और काफी परिवर्तन करने वाली होनी चाहिए। इस के लिए संतुलन की भावना उत्पन्न करना आवश्यक है। मैं अपने आप को, सभा के सभी सदस्यों को और उन द्वारा सारे राष्ट्र से अनुरोध करता हूं कि वे आपसी सभी झगड़ों को दूर कर के संतुलन अथवा आन्तरिक शान्ति की भावना उत्पन्न करें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं ने एक औचित्य और विशेषाधिकार का मामला उठाया था। मंत्रिमंडल के सचिव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण दिए जाने से पूर्व उस में से कुछ बातें कहीं। यह उचित नहीं क्योंकि संसद् सदस्यों को अभिभाषण सुनाए जाने तक यह एक गुप्त अभिलेख होता है। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि जो बातें सचिव ने कहीं थीं इस में कोई अनुचित बात नहीं है। क्या गृह-कार्य मंत्री इस मामले के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने कहा था कि वे सभी बातें नहीं कह सके हैं। आशा है कि वे इस पहलू की ओर ध्यान देंगे।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : अभी क्यों नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे माननीय सदस्य को अपनी राय भेज दें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह तो औचित्य प्रश्न है, विशेषाधिकार का प्रश्न है। उस गुप्त अभिलेख से पढ़ना जिस की जानकारी का अधिकार सब से पहले संसद् को है बहुत अनुचित बात है और प्रधान मंत्री कहते हैं कि अनुचित बात नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र किधर जायगा। माननीय गृह-कार्य मंत्री इस बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब बैठ जाएं ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने मेरी कई बातों का उत्तर नहीं दिया है । वे इस बात को भी ठीक प्रकार से नहीं सिद्ध कर सके कि भारत प्रतिरक्षा नियमों का उचित रूप से पालन हुआ है । अब उन्हों ने राज्यों पर आरोप लगाया है । गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में निर्णय ऊंचे स्तर पर किया गया था । केन्द्र को आश्वासन देना चाहिए कि निकट भविष्य में कैदियों को मुक्त कर दिया जायगा ।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : निवृत्ति आयु को ५५ से ५८ तक करने के साथ यह शर्त क्यों लगा दी है कि नियुक्त करने वाले प्राधिकारी की मर्जी है कि वे अधिकार को ५५ की आयु पर निवृत्ति दे दें या बाद में । दूसरे भारत प्रतिरक्षा नियम के अनुचित इस्तेमाल के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं उन की जांच की जानी चाहिए ।

†अध्यक्ष महोदय : इस बात का उन्हों ने आश्वासन दे दिया है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्हों ने ऐसा नहीं कहा है ।

श्री मुजफ्फर हुसैन (मुरादाबाद) : मैं होम मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करूंगा कि उन्हों ने जो तकरीरें हुई उन का बड़ी तफसील से जवाब दिया । जहां तक आम मुसलमानों का ताल्लुक है आप ने आसाम में आने वाले मुसलमानों के मुताल्लिक जो इस्माईल साहब ने कहा उस को सराहा और उन के नजरिए की ताईद की । जहां तक देवबन्द वालों का ताल्लुक है, चूंकि उन का आप के साथ जिन्दगी भर का साथ रहा है, इसलिए आप उन का दामन भी बचा गए । लेकिन जो मैं ने अपने मजहब के मुताल्लिक सवाल किया था उस का आप ने कोई जवाब नहीं दिया, मसलन बकराईद की छुट्टी के बारे में, और जो पंजाब के मुताल्लिक कहा गया .

अध्यक्ष महोदय : यह छुट्टी की बात या दूसरी ऐसी बातें खतो किताबत से तै की जा सकती हैं ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : शिड्यूल्ड कास्ट वालों के मुताल्लिक तो वह फरमा सकते थे, और दूसरी बातों के बारे में आप फैसला कर सकते थे, लेकिन जब मेरे सवाल की बात आती है तो कहा जाता है कि इस को खतो किताबत से तै किया जा सकता था । दूसरे मामलों को भी तो खतो किताबत से तै किया जा सकता था ।

अध्यक्ष महोदय : अब तो आप इल्जाम लगाने लग गये । आप तशरीफ रखें ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : मेरी बात तो सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप तशरीफ रखें । आप को इस बात पर कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए कि जो आप ने छुट्टी के बाबत कहा था उस का कोई जवाब नहीं दिया गया । वह कोई पालिसी की बात नहीं है । वह इस के बारे में कैसे जवाब दे सकते हैं । जहां तक छुट्टी का सवाल है शायद इस के लिए कैबिनेट बैठ कर फैसला करती है । तो यह नहीं हो सकता कि इसी वक्त आप ने उस के बारे में कहा और उस का इसी वक्त जवाब दे दिया जाय ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : यह तो कहा जा सकता है कि उस पर गौर किया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कहा है कि जिन बातों का जवाब नहीं दिया गया है उन सब पर गौर किया जायगा। हर चीज का यहां दो घंटे में जवाब देना मुश्किल है। और भी चीजें रह गयी हैं जिन का जवाब नहीं दिया जा सका।

श्री मुजफ्फर हुसैन : इस का मतलब यह हुआ कि साढ़े ६ लाख की अकिलयत कोई हैसियत ही नहीं रखती। उस के बारे में यह जवाब भी नहीं दिया जा सकता कि उस पर गौर किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय। मैं आप को एक बार तकरीर करने की इजाजत दे चुका हूं, अब दुसरी तकरीर की इजाजत कैसे दे सकता हूं।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मैं ने एक प्रश्न उठाया था कि पिछड़े वर्ग आयोग ने अपना प्रतिवेदन १९५५ में दिया था। संविधान में एक लाजिमी व्यवस्था है कि वह प्रतिवेदन सदन के पटल पर रक्खा जायगा और जब कोई चीज सदन के पटल पर आ जाती है तो उस पर चर्चा चलेगी, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा अब तक क्यों नहीं हुआ और मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस सेशन में उस पर चर्चा चलाई जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जवाब दे दें।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : बस और नहीं। उन्हों ने अपनी बात कह दी थी।

†**श्री सोनावने** : कोई उत्तर नहीं मिला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री से हर बात के उत्तर की आशा नहीं की जा सकती।

†**श्री सोनावने** : ये तो अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे सभी बातों का कैसे उत्तर दे सकते हैं ? चार घंटे में भी नहीं दे सकते।

†**श्री सोनावने** : इन मामलों के सम्बन्ध में सरकार को उत्तर देना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वे अब बैठ जायेंगे। माननीय मंत्री।

†**श्री मुहम्मद ताहिर** (किशनगंज) : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जब मैं ने उन को इजाजत नहीं दी तो आप को कैसे दे सकता हूं ? आप तो उन के बाद खड़े हुए हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जहां तक मिसेज रेणु चक्रवर्ती का .

†**श्री वासुदेवन नायर** : कृपया अंग्रेजी में बोलिए।

अध्यक्ष महोदय : जिन्हों ने अंग्रेजी में पूछा है उन को अंग्रेजी में कहिये और जिन्हों ने हिन्दी में पूछा है उन को हिन्दी में जवाब दीजिए।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का बड़ा व्यापक प्रश्न है। मैं इस का उत्तर शीघ्र नहीं दे सकता। विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थिति है। पश्चिम बंगाल और आसाम की स्थिति

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लालबहादुर शास्त्री]

अन्य राज्यों से भिन्न है। जिन राज्यों में जल्दी कैदियों को छोड़ा जा रहा है वहां से स्थिति भिन्न है। कुछ मुख्य मंत्रियों ने मुझे बताया कि वे अन्य व्यक्तियों को शीघ्र ही छोड़ देंगे, परन्तु सामान्य नीति के सम्बन्ध में निर्णय करना कठिन है। यह बात ठीक है कि केन्द्र ने इस बात का निर्णय किया था कि इस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए परन्तु किनको और कितनी देर के लिए पकड़ना चाहिए यह मामला राज्यों के हाथ में रहने दिया था।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह निर्णय किया गया था कि उन कम्युनिस्ट दल के सदस्यों के विरुद्ध जो कम्युनिस्ट दल के राष्ट्रीय परिषद् के संकल्प से सहमत नहीं हैं राज्य सरकारें भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती थीं।

†श्री दाजी : यदि कैदी ये लिख कर दे दें कि वे कम्युनिस्ट दल की राष्ट्रीय नीति से सहमत हैं तो क्या इस से भी आप की तसल्ली हो जायेगी ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह मामला तो राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। जब उनकी तसल्ली हो गई है तो उन्होंने कैदियों को छोड़ दिया है या उन्हें आवश्यक सुविधायें दे दी हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : चूंकि आप इन बहुत महत्वपूर्ण मामलों में कोई निर्णय नहीं ले रहे इसलिए हम विरोध में सदन त्याग करते हैं।

(इस समय श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन त्याग किया)

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अन्य प्रश्नों के उत्तर दें।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : निवृत्ति की आयु के सम्बन्ध में सरकार का यह निर्णय है कि जब किसी अधिकारी की आयु ५५ वर्ष के लगभग हो जाय तो उसके काम के बारे में कागज देखे जायें और यदि डाक्टरी तौर पर वह ठीक है और उसके विरुद्ध कुछ बात नहीं है तो उसे ५८ वर्ष तक नौकरी पर रहने दिया जायेगा। मैंने गृह सचिव को सलाह दी है कि यदि एक बार किसी व्यक्ति का सेवा का समय बढ़ा दिया जाय तो एक वर्ष तक उसे बिल्कुल शान्ति से काम करने दिया जाय। इस सम्बन्ध में हम कोई कठिनाई नहीं होने देंगे।

पिछड़े वर्गों के आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में मुझे पुनः मामले की जांच करनी होगी। कुछ वर्ष पूर्व इस सम्बन्ध में निर्णय किया गया था और सरकार ने निर्णय किया था। मुझे पुनः मामले की जांच करने दी जाय। फिर मैं बताऊंगा कि स्थिति क्या है और क्या यह सभा पटल पर रखी जायेगी या नहीं। मैं मामले की जांच करूंगा और जैसे आप उचित समझें या आपको बता दूंगा और आप माननीय सदस्यों को बता देंगे या मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा।

श्री राम सेवक यादव : कमेटी की तो ठीक बात है कि बतलायेंगे लेकिन फिलहाल क्या उस पर चर्चा चलाने का इरादा है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पहले हम देख लें कि उसका क्या फैसला हुआ फिर उसके मुताबिक हम करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मुजफ्फर हुसैन ने बकर ईद के अवकाश के बारे में कुछ कहा। यह छुट्टी है।

जहां तक छुट्टियों की बात है यह बात सही है कि हमारे यहां सब धर्म वालों की छुट्टियां इधर काफी घटाई गई हैं हिन्दुओं की तो बहुत ज्यादा घटाई गई हैं। हमने ऐसा रक्खा है कि जिस मजहब का खास कोई त्योहार हो और उस मजहब वाले अगर चाहें तो वह उस दिन छुट्टी ले सकते हैं। अगर कोई जैन हो और जैनियों का कोई त्योहार पड़ता हो और वह चाहे तो उस दिन रैस्ट्रिक्टेड हौलीडे ले सकता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अभी तक जैनियों को पूरी छुट्टी नहीं मिलती है।

श्री मुजफ्फर हुसैन (मुरादाबाद): मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि हम लोगों के ५–६ त्योहार ऐसे पड़ते हैं जो कि हमारे मजहब में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं बकराईद, मुहर्रम, रबीउलअव्वल रजब, शबरात और ईद, यह छै त्योहार हमारे ऐसे हैं जिनके लिये आम सरकारी छुट्टी होनी चाहिये। जहां यह मैं अपने मजहब के लिये कहता हूं वहां मैं यह भी चाहता हूं कि जो त्योहार दूसरे मजहब वालों के लिये जरूरी और अहमियत रखते हों उनकी भी आप छुट्टी बरकरार रखें। ऐसी छुट्टियां जो कि इतनी जरूरी न हों और इतनी अहमियत न रखती हों उनको अगर आप घटा भी दें तो कोई ऐतराज नहीं करेगा।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कायदे के मुताबिक छुट्टियां क्लोज्ड हौलीडेज की शक्ल में रक्खी गई हैं और कुछ रैस्ट्रिक्टेड हौलीडेज रक्खी हैं और यह इंतजाम सभी धर्म वालों के लिये लागू होता है लेकिन अगर माननीय सदस्य इस पर भी और कुछ समझना चाहेंगे तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरे मामले के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस मामले का माननीय प्रधान मंत्री ने उत्तर दे दिया है।

†श्री हरि विष्णु कामत : उनका उत्तर संतोषजनक नहीं था। इसीलिये मैंने यह मामला यह उठाया।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मेरे लिये उसके बारे में कुछ कहना कठिन है।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या माननीय गृह-कार्य मंत्री माननीय प्रधान मंत्री से सहमत हैं, यदि हैं तो बहुत खेद की बात है।

†अध्यक्ष महोदय : जो माननीय प्रधान मंत्री ने लिखा है उस पर उन्हें आलोचना करने के लिये भी कहना चाहिये।

अब क्या कोई चाहता है कि मैं कोई कटौती प्रस्ताव अलग से सभा के सामने रखूं? नहीं। अतः मैं सभी कटौती प्रस्ताव इकट्ठे मतदान के लिये रखूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिय रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
५०	गृह-कार्य मंत्रालय	४,०७,०८,०००
५१	मंत्रिमंडल	४१,६६,०००
५२	क्षेत्रीय परिषद	२,२२,०००
५३	न्याय प्रशासन	२,७७,०००
५४	पुलिस	१४,८१,४२,०००
५५	जनगणना	८५,७१,०००
५६	आंकड़े	१,७४,८२,०००
५७	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां व भत्ते	४,०२,०००
५८	दिल्ली	१७,२१,७६,०००
५९	हिमाचल प्रदेश	१०,१२,४७,०००
६०	अन्देमान व निकोबर द्वीप समूह	२,७०,७३,०००
६१	मनीपुर	४,१४,४६,०००
६२	त्रिपुरा	७,६०,७९,०००
६३	लक्कद्वीप, मिनिकोय व अमीन द्वीप द्वीपसमूह	२५,१६,०००
६४	गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२,८८,५८,०००
१३१	गृह कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	६७,२४,०००

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय

वर्ष १९६३–६४ के लिये निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०१	निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय	८२,१२,०००
१०२	सरकारी निर्माण-कार्य	११,६२,६६,०००
१०३	लेखनसामग्री और छपाई	८,६३,०२,०००
१०४	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	७,६६,८५,०००
१०५	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	७१,०८,०००
१४४	सरकारी निर्माण-कार्य पर पूंजी परिव्यय	७,२७,८३,०००
१४५	दिल्ली पूंजी परिव्यय	७,२२ ३३,०००
१४६	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	८,३२,६०,०००

†डा० रानेन सेन (कलकत्ता—पूर्व) सरकार का यह कहना दुर्भाग्य पूर्ण है कि पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के सम्बन्ध में कुछ समस्याओं को अभी हल नहीं किया जा सका।

पहले ८००० परिवारों का प्रश्न है जो कि गैर सरकारी मकानों में हैं उनको सक्षम प्राधिकारी में शामिल कर रखा है। वे परिवार मांगी गई क्षतिपूर्ति धन राशियों का भुगतान नहीं कर पायेंगे। अतः उन्हें मकान छोड़ कर जाना पड़ेगा।

दूसरे ८,००० और भी परिवार हैं जो झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके पुनर्वास का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त १००० और परिवार हैं जो कि पश्चिमी बंगाल के शहरों और कस्बों की पटड़ियों पर रहते हैं। सरकार उनके पुनर्वास के बारे में कुछ नहीं कर रही है उन्हें दण्डकारण्य भेजने के लिये भी नहीं तैयार हैं।

१४७ ऐसी बस्तियां हैं यहां शरणार्थी अपने आप बैठे हुए हैं उन में १३३ बस्तियों को आंशिक रूप से विनियमित कर दिया गया है वहां शरणार्थियों को भूमि भी नहीं दी गई है। भारत सरकार की सहानुभूति न होने के कारण हजारों परिवार नुकसान उठा रहे हैं।

शरणार्थियों के लिये कस्बों की योजनायें और कृषकों के लिये पुनर्वास योजनाय बनाई जाती हैं और उनका त्याग किया जाता है

इन सब समस्याओं को शेष समस्यायें नहीं समझना चाहिये इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से सहानुभूति नहीं रही है।

दण्डकारण्य परियोजना के बारे में ठीक प्रकार से प्रगति नहीं हुई है केवल १०२ गांव स्थापित किये गये हैं और उनमें भी ५०—१०० मील का अन्तर है क्या इस तरह से उन व्यक्तियों में सामाजिक अथवा सामुदायिक जीवन हो सकता है।

†निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): ऐसा नहीं है।

†डा० रानेन सेन: उन्हें कम भूमि दी जा रही है उन्हें दी जाने वाली भूमि और ऋणों में वृद्धि करनी चाहिये। जल संभरण, चिकित्सा सम्बंधी सुविधायें भी ठीक नहीं हैं पाठशालाओं की संख्या भी बढ़नी चाहिये। स्कूलों में माध्यम बंगाली होना चाहिये वहां पर नया सामाजिक जीवन पैदा किया जाना चाहिये। शिक्षा, चिकिसालय सम्बन्धी सुविधाएं दी जानी चाहियें। आशा है कि वहां ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायेगी कि शरणार्थी अधिक संख्या में वहां जाने के लिये तैयार होंगे।

स्यालदाह के शरणार्थियों की कठिनाइयों पर विशेष रूप से ध्यान करना चाहिये।

भारत में नागरिक क्षेत्र में ५० लाख घरों की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में २८० लाख मकानों की कमी है। इस सम्बन्ध में सरकार का काम असन्तोषजनक रहा है। योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि भी नहीं खर्च हो सकी है।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुये]

कलकत्ता में ६—७ लाख लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। गन्दी बस्तियों से निकाले गए लोगों के लिये जो नये मकान बनाये गए हैं उनके किराये बहुत अधिक हैं। निम्न आय, मध्यम आय वर्ग-निर्माण तथा ग्रामों में गृह-निर्माण की स्थिति बिल्कुल असन्तोषजनक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० रानेन सेन]

दिल्ली में लगभग ९ करोड़ रुपयों की लागत से बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। ऐसी इमारतों से बचत करके औद्योगिक निर्माण योजना में धन लगाना चाहिये।

दिल्ली से लगभग १९ कार्यालयों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप १००० से अधिक कर्मचारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सरकार को इनका ध्यान रखना चाहिये।

द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के काम के अनुसार मजूरी पाने वाले कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर तो माना गया है, परन्तु उन्हें सभी उनको अपेक्षित लाभ नहीं दिए गए हैं।

†सभापति महोदय : माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : मैं तो ४५ मिनट या एक घंटा लूंगा।

†सभापति महोदय : दोनों मंत्री एक घंटा लगे।

†श्री मेहरचन्द खन्ना : बहुत अच्छा।

श्री शिवचरण गुप्त (देहली सदर) : देहली से कुछ कार्यालय स्थानान्तिरित करने की बाब नीति उचित है इस से दफ्तरों के लये और रहने के लिये स्थान में कुछ आसानी हो जायेगी।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय भूमि के अधिग्रहण तथा विकास के लिए उत्तरदायी है और स्वास्थ्य मंत्रालय पर नगर योजना निर्माण का उत्तरदायित्व है। इस व्यवस्था से भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो कर सरकारी कार्य में विघ्न उत्पन्न होने की संभावना है।

विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत ३९,९७२ मकान बनाये गये हैं। ये आवश्यकताओं से बहुत कम हैं।

औद्योगीकरण के कारण बहुत लोग नगरों को आ रहे हैं। इस कारण नगरों में मकानों की समस्या गम्भीर होती जा रही है। अतः वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत वित्तीय स्थिति का ध्यान करते हुए एक निश्चित नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है।

देहली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए काफी मकानों की आवश्यकता है। उनकी आवश्यकता शीघ्र पूरी होने की सम्भावना नहीं है।

ऐसा अनुमान है कि देहली में हमें प्रति वर्ष २०,००० मकानों की आवश्यकता है। अभी १,४०,००० मकानों की कमी है। इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।

गन्दी बस्तियां साफ करने का कार्यक्रम १९३७ में बना था और हम ने झुग्गी-झोंपड़ी योजना भी बनाई; फिर भी हम इस काम में आवश्यकता से बहुत पीछे हैं। अतः कोई ठोस काम करने की जरूरत है, अन्यथा दिल्ली की हालत बहुत खराब हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनधिकृत निर्माण की बड़ी शिकायतें आती हैं, परन्तु जब तक दिल्ली में रहने के लिये आने वाले लोगों के लिये रहने को मकान नहीं होंगे, क्या वे लोग भूमि पर बिना छत्र के रह सकेंगे ? अतः हमें कुछ करना चाहिये।

इस समय दिल्ली में कम आय वर्ग के लोगों के लिये मकान बना कर किराये पर नहीं दिये गये हैं, केवल गन्दी बस्तियों के लोगों के लिये और औद्योगिक कर्मचारियों के लिये कुछ योजनाएं बनी हैं।

राजधानी में दरियागंज जैसे अर्ध विकसित क्षेत्रों में किराये बड़े अधिक हैं, इतने अधिक कि निर्माण लागत चार वर्षों के किराये से भी कम होती है।

अब केन्द्रीय सरकार, दिल्ली नगर निगम, प्रशासन तथा विकास प्राधिकार सब पृथक् पृथक् काम कर रहे हैं। जब तक ये सब संगठित हो कर एक आवास बोर्ड नहीं बनाया जाता, जिसके पास पर्याप्त धन हो, जो ऋण ले सके, भूमि अधिग्रहण कर सके तथा मकान बनाने का सामान ले सके और भूमि का विकास आदि कर सके, तब तक दिल्ली में आवास समस्या हल नहीं हो सकती।

मैं इन मांगों का समर्थन करते हुए अपील करूंगा कि दिल्ली का आयोजित विकास किया जाये और योजना को निश्चित रूप से कार्यान्वित करके राजधानी की समस्याओं को हल किया जाये।

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१०२	२	डा० रानेन सेन	छंटनी किये हुए मालियों को पुनः नौकरी पर रखना, वायरमेन आदि के वेतन पुनः निश्चित रखना, इत्यादि	१०० रुपये
१०३	३	डा० रानेन सेन	सरकारी प्रेस नई दिल्ली के कर्मचारियों को मिंटो रोड में क्वार्टर देना, इत्यादि	१०० रुपये
१०४	४	डा० रानेन सेन	पूर्वी बंगाल से विस्थापितों को पश्चिम बंगाल में बसाने में असफल रहना, इत्यादि	१०० रुपये
१४६	६	डा० रानेन सेन	आवास योजनाओं की असफलता	१०० रुपये

†**सभापति महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : वाशिंगटन में एक आदमी के पास घर नहीं था। वह सड़कों पर सोया करता था और वहां सर्दी तेज होने के कारण सर्दियां प्रारम्भ होने से पहले ही अपराध

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

करके जेल चला जाता ताकि उसे वहां सर्दी में आराम मिल सके। एक वर्ष उस ने कई अपराध किये किन्तु वह जेल नहीं भेजा गया। अन्त में उस ने चर्च के बाहर खड़े हो कर प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे जेल भेज दिया जाये। पुलिस वाले नेउसे शराबी समझ कर जेल में डाल दिया।

माननीय मंत्री ने दिल्ली में जितनी इमारतें बनवाई हैं उन में जेलखाना सर्वोत्तम है। किन्तु वह बेकार लोगों के लिये मकान बनाने में असफल रहे हैं। उन्हें लोगों के आराम के लिये कुछ जेलें और बना देनी चाहियें।

जब मैं मंत्री था तो माननीय मंत्री मुझे भूमि के भाव घटाने के लिये प्रेरित किया करते थे तभी यहां १० रुपये प्रति वर्ग भूमि बेची जा सकी थी। अब मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं कि यह वही मेहरचन्द खन्ना हैं। यहां इतने अधिक दामों के बारे में उन्होंने उत्तर दिया था कि भाव ठीक हैं। १०–१५ वर्ष पहले जो भूमि २०–२५ रुपये गज थी उस के दाम ४००–५०० तक भी माननीय मंत्री के मतानुसार अधिक नहीं। दिल्ली में भूमि के भाव और किराये इतने अधिक बढ़ने की जिम्मेवारी सरकार पर है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

दिल्ली में ५४,००० एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई थी, जिस में दिल्ली जैसा एक और नगर बसाया जा सकता है। इस भूमि को सरकार ने न तो विकसित ही किया है और न ही प्लाट काटे हैं। इस कारण भूमि की अत्यधिक कमी हो गई है। यहां प्रति वर्ष एक लाख लोग आते हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी सब को मकान नहीं मिले। अतः मैं कहूंगा कि सरकार की आवास नीति दिल्ली में सर्वथा असफल रही है।

मध्यम आय या अल्प आय वाला व्यक्ति दिल्ली में मकान नहीं बना सकता, क्योंकि दाम इतने तेज हो गये हैं सरकार की गलत नीति के कारण। गृह-कार्य मंत्री अपने तथा श्री खन्ना के मंत्रालय को इस के लिये उत्तरदायी न मान कर वृहत योजना तथा पड़ौसी राज्यों से परामर्श करने की बात कहा करते हैं।

मनुष्य की चार प्रमुख आवश्यकताओं में मकान अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। अतः मैं आशा करता हूं कि वह अपनी नीति को सुधार कर दिल्ली की जनता को मकान बनाने की मूल आवश्यकता की पूर्ति करने से वंचित नहीं रखेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री यशपाल सिंह। प्रत्येक सदस्य १० मिनट का समय लें।

श्री कछवाय (देवास) : पंद्रह मिनट दिये जायें।

श्री यशपाल सिंह (करना) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग ७८ करोड़ रुपये सालाना ख़र्च करते हैं। इस रुपये को बचा कर अगर ग़रीब लोगों की झोंपड़ियों के लिए लगाया जाये, तो हम पांच हज़ार झोंपड़ी-झुग्गी वालों को रोज़ाना बसा सकते हैं। तीन करोड़ रुपये हम स्टाफ़ पर ख़र्च करते हैं और लगभग १८० लाख रुपये सालाना हम रिपेयर्ज़ पर ख़र्च करते हैं। हम देखते हैं कि मकानात गन्दे और कमज़ोर बनाये जाते हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि मकानात

†मूल अंग्रेजी में

आज बनते हैं और एक महीने बाद कमज़ोर होने और गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर ये १८० लाख रुपये बचा कर झोंपड़ी-झुग्गी वालों के लिए लगाये जायें, तो पांच हज़ार आदमियों को हम रोज़ाना बसा सकते हैं। १९५८ में हमारे यशस्वी मंत्री जी ने झोंपड़ी-झुग्गी वालों से यह वादा किया था कि जहां पर जिस की झोंपड़ी-झुग्गी है, उस को एक हज़ार रुपया दिया जायेगा, ५०० रुपये लोन दिया जायेगा और ५०० रुपये सबसिडी दी जायेगी, और किसी को हटाया नहीं जायेगा। लेकिन आज यह हालत है कि उन लोगों पर ज्यादतियां की जाती हैं और हज़ारों आदमी होमलैस किये जाते हैं, जिन के लिए शैल्टर नहीं है। जो सरकार शैल्टर न दे सके, वह सरकार कहलाने की अधिकारी नहीं है।

आज पी० डब्ल्यू० डी० का हाल यह है कि लोगों ने पी० डब्ल्यू० डी० को "प्लंडर विदाउट डेंजर" कहना शुरू कर दिया है, यानी कोई रोक-टोक नहीं है, चाहे जैसे लूट-मार करते जाओ। आज सरकार को यह देखना चाहिए कि ग़रीब आदमी कितने तंग हैं और उन को राहत पहुंचाना आज सरकार का पहला काम है। यह मसला हल हो सकता है। मैं यह नहीं मानता हूं कि हमारे लिए कोई अलग सांचा था। मैं यह नहीं मानता हूं कि भगवान् के दरबार में हिन्दुस्तानियों के लिए कोई अलग सांचा था। मैं यह नहीं मानता हूं कि भगवान् ने जब अमरीका के लोग बनाये, तो उन को बहादुर और अक्लमंद बना दिया और इंडिया के लोगों को काठ के उल्लू और कमज़ोर बना दिया। इस दिक्कत को हम ने खुद पैदा किया है।

मैं रीहैबिलिटेशन मिनिस्टर साहब की कद्र करता हूं। जिस बहादुरी के साथ उन्होंने शरणार्थी समस्या को हल किया है, वह हिन्दुस्तान के इतिहास में अंकित रहेगी। हम लोग ख़ैर-ख्वाह हैं। हम लोग मुख़ालिफ़ नहीं हैं। "मुख़ालिफ़" लफ्ज़ इंग्लैंड का दिया हुआ है। हम रास्ता बताने वाले हैं।

दोस्त आं बाशद कि मुआयबे दोस्त
हम चो आईना रोबरू गोयद।

अर्थात् सच्चा मित्र वही है, जो कि अपने दोस्त के अवगुणों को शीशे की तरह साफ़ कर के सामने रख दे।

हमारी नीति में लिखा है :

पुरुषाः बहवो राजन् सततं प्रियवादिनः
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः।

सच्चा दोस्त वह है, जो कि अपने दोस्त को नेक राह दिखाये, सिर्फ़ मीठी बातें न कहे।

ये दिक्कतें हल की जा सकती हैं। पांच हज़ार आदमी रोज़ बस सकते हैं। बड़े बड़े महलों की आज ज़रूरत नहीं है। रशा ने इस दुनिया में स्पूटनिक-एज को ला कर खड़ा कर दिया है, लेकिन रशा में कभी तीन-, चार- या पांच-मंज़िला मकान नहीं बनाये गये। उन्होंने देखा कि २८ करोड़ की हमारी ग़रीब आबादी छोटे मकानात बनाने से बस सकती है। हिन्दुस्तान में उल्टा हिसाब है। यहां पर एक एक मिनिस्टर की कोठी ऐसी है, जिस में पांच पांच हज़ार आदमी बस सकते हैं। जब गांधी जी भंगी बस्ती में रह सकते थे, जब वह एक झोंपड़ी में रह सकते थ, जब वह एक लंगोटी बांध कर बकिंघम पैलेस में, गोल मेज़ कांफरेंस में, सम्मिलिहो सकतेतह थे, तो कोई वजह नहीं है कि उन के अनुयायी, ये वज़ीर लोग, छोटे छोटे मकानों में न रहें? जब बम्बई का एक मज़दूर, मिरजकर, बम्बई का मेयर बना, तो उस ने यह वादा किया कि

[श्री यशपाल सिंह]

जिस मकान में मैं मेयर बनने से पहले रहता था, उसी में मैं रहूंगा । लेकिन हमारे मिनिस्टरों ने यह आदर्श नहीं अपनाया । जिस कोठी में पांच हज़ार आदमी बस सकते हैं, उस में अकेले एक मिनिस्टर रहते हैं । इस तरह से देश का भला कैसे हो सकता है ?

जो सरकार प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, शैल्टर नहीं दे सकती, जिस सरकार के रहते हुये चार इंच भमि भी नहीं मिल सकती, वह सरकार अपने आपको सरकार नहीं कह सकती है । उसको सरकार कहना सरकार नाम का उपहास करना है । यह तो बहुत छोटा सा काम है, जिसको करने के लिये बाहर के किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है । इस देश में खोसला साहब, विश्वेश्वरय्या साहब के बेटे, जो कि एच० एम० टी० में बैठे हुये हैं, प्रोफेसर सिंह, कुंवर बलवीर सिंह और श्री घनानन्द पांडे, रुड़की यूनिवर्सिटी जिन्होंने रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को चला कर दिखाया था, जैसे इंजीनियर बैठे हुये हैं । सरकार उनको बुला कर एक कमेटी बिठाये और उन से परामर्श ले । आज लाखों आदमी घर से बेघर फिरते हैं, एक शहर में लाखों आदमी सड़कों पर चिपट चिपट कर रातें काटते हैं, यह सरकार के लिये सब से बड़ा अभिशाप है । क्या सरकार समझती है कि उन लोगों में कोई देशभक्ति जाग सकती है या पेट्रियाटिज्म पैदा हो सकती है ?

बुभुक्षितैः व्याकरणं न भुज्यते
पिपासितैः काव्य रसो न पीयते ।

अर्थात् भूखे लोग व्याकरण नहीं खा सकते और प्यासों की प्यास काव्य रस से नहीं बुझ सकती । ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि भूखे, शैल्टरलैस और होमलैस लोगों में देशभक्ति पैदा हो जाये ।

मैं कहना चाहता हूं कि रीहैबिलिटेशन मिनिस्टर साहब, माननीय श्री मेहरचन्द खन्ना, ने जिस बहादुरी के साथ काम किया है, वह बहादुरी हिन्दुस्तान के इतिहास में अंकित रहेगी । उन्होंने शरणार्थी समस्या को सुलझा कर दिखाया है । दण्डकारण्य के मामले में हजारों लाखों मुखालिफों ने यह कोशिश की कि यह मिनिस्टर फेल हो जायें । वह फेल नहीं हुये । वह अपनी बहादुरी और बेमिसाल अक्लमन्दी से आगे बढ़े । लेकिन इसके साथ ही मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार चल रही है, उस तरह से वह आगे नहीं चल सकेगी । जिस सरकार के नीचे लाखों आदमी एक शहर में होमलैस हों, वह सरकार आगे नहीं चल सकेगी ।

मैं अपने मुताल्लिक नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क के लाखों आदमियों का नुमायंदा साउथ ऐवेन्यू के जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में पानी नहीं है । जिस साउथ ऐवेन्यू में एम० पीज० रहते हैं, वहां पर सवेरे-शाम थोड़ा पानी आ जाता है, लेकिन दोपहर और रात को पानी नहीं मिलता है । जिन को ला मेकर्ज़, कांस्टीट्यूशन के गार्डियन्ज और विधि के निर्माता कहा जाता है, उनके घरों में पीने के लिये पानी नहीं मिलता है, दूध की बात तो दरकिनार रही । जिस देश में दूध घी के दरया बहते थे, उस देश के ला मेकर्ज़ पानी के लिये तरस गये हैं । जो व्यक्ति लाखों आदमियों का नुमायंदा है, उसके पास बीस, पचास, सौ आदमी आते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता है, एक मील तक पानी नहीं मिलता है । यह सरकार की इनएफिशेंसी है और इस इनएफिशेंसी को दूर करना चाहिये ।

दिल्ली में झोंपड़ी-झुग्गी वालों का मसला तो इसलिये हल नहीं होता है कि एक एक आदमी के पास इतनी बड़ी बड़ी कोठी है, जिसमें दस हजार आदमी बस सकते हैं, जिस में घुड़दौर हो सकती है, जिसमें पोलो खेली जा सकती है, जिसमें बागात लग सकते हैं । उन कोठियों को घटा कर

गरीबों का इन्तजाम किया जाना चाहिये। अगर दिल्ली में एक भी झौंपड़ी-झुग्गी वाला परेशना है, तो यह सरकार अपने आपको सरकार कहने की मुस्तहक नहीं है। जनता ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। छोटे लोगों को पहले बसाना चाहिये। अगर गांधीजी के आदर्श के अनुसार रहा जाये, तो ये लोग खुद ही यह मसला हल कर सकते हैं।

जो लोन दिया जाता है, वह एप्लाई करने वाले के पास छः महीने के बाद पहुंचता है। छः महीने में तो सरकार मकान बना कर दे सकती है। अगर वह मकान बना कर दे, तो किसी तरह का भ्रष्टाचार और करप्शन नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार इसलिये होता है कि लोन के तौर पर जो एक हजार रुपये मंजूर होते हैं, उनको देने के लिये बीस जगह हैं और प्रार्थी को उन रुपयों को लेने के लिये बीस जगह जाना पड़ता है। इसके अलावा रुपया हैसियत के अगेंस्ट दिया जाता है। मैं समझता हूं कि हैसियत के अगेंस्ट नहीं, बल्कि जरूरत के मुताबिक रुपया दिया जाना चाहिये। हैसियत के अगेंस्ट तो साहूकार भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। यह कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जिस को हल न किया जा सके।

अगर यह काम इस सरकार के बस में नहीं है, तो एक बनिये का बेटा इस काम को कर सकता है। बनियों ने राज चलाये हैं और बनिये राज चलायेंगे। अगर सरकार एक बनिय के बेटे को बुला कर उसके सुपुर्द यह काम करे, तो एक साल में वह इस मसले को हल कर देगा। हमारा काम तलवार चलाने का है, हमारा काम इन्तजाम करने का नहीं है। हमारा काम लड़ने का है, हमारा काम प्रबन्ध करने का नहीं है। अगर सरकार नाकारा है, तो वह किसी बनिये के बेटे को यह काम सौंप दे। एक शख्स यह सारा इन्तजाम कर सकता है।

अगर एक साल में यह इन्तजाम न हुआ, तो झौंपड़ी-झुग्गी वालों का मसला इतना जबर्दस्त मसला बन जायेगा कि सारे हिन्दुस्तान में कोहराम मच जायेगा और शोर-शराबा मच जायेगा। जिस स्पिरिट के साथ माननीय रीहैबिलिटेशन मिनिस्टर साहब ने इलैक्शन लड़ा था और इलैक्शन के दौरान झौंपड़ी-झुग्गी वालों को अपना भाई, मित्र और प्रेमी बनाया था और उनके साथ सीने से सीना मिलाया था, उसी स्पिरिट के साथ वह इस मसले को हल करें। जब झौंपड़ी-झुग्गी वालों का मसला हल होगा, तो सारा राष्ट्र अपना प्रतिविम्ब देखेगा और यह अनुभव करेगा कि जो मिनिस्टर झौंपड़ी-झुग्गी वालों के मसले को हल कर सकता है और लाखों शरणार्थियों और बेघरों को घरबार दे सकता है, वाकई उसका यश अमर रहेगा।

हम हमेशा उन के खैर-ख्वाह हैं, हमेशा उनके हितैषी हैं। हम उन को गलत राय नहीं देंगे। जो लोग चिकनी चुपड़ी बात करेंगे, उनकी कोई जरूरत है। हमको कोई जरूरत नहीं है। हम को किसी परमिट, लाइसेंस या एजेंसी की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ देश की सेवा करने आये हैं। इसलिये हम नेक राय देंगे। मेरा कहना है कि देहात में जाकर देखा जाये कि वहाँ पर कितने आदमी होमलैस हैं, कितने आदमी तड़पते हैं, कितने आदमी रातें बैठ बैठ कर काटते हैं। सिर्फ दिल्ली शहर में पचास हजार आदमी ऐसे हैं, जो दिसम्बर और जनवरी की बर्फीली रातों को बैठ बैठ कर काटते हैं। देहात में आज भी चालीस फीसदी आदमी ऐसे हैं, जिन के रहने का कोई ठीक इन्तजाम नहीं है। उनके रहने का इन्तजाम करने के लिये एक योजना बनाई जाये। सारे हिन्दुस्तान की आपकी रिसपाँसिबिलिटी है, अकेली दिल्ली शहर की नहीं है। मजदूरों की, किसानों की, गरीबों की, बेघरबार लागों की, हैल्पलैस लागों की जो जरूरियात हैं, उनका अगर आप इंतजाम करेंगे, तो आपका राज्य फलेगा, फूलेगा और अगर गरीब आदमी घर से बेघर रहेंगे तो वे कभी इन्सान नहीं हो सकते हैं।

ये कानून बनाने वाले लोग जो हैं, इन बेचारों में आरिजिनैलिटी कहाँ रह सकी है। उन्हें पानी राशन का मिलता है और दूध चार दिन बासी मिलता है। अगर कहीं ऊपर ये रिफ्रेशमेंट के लिये

[श्री यशपाल सिंह]

चले जायें तो डालडा और कोटोजम में बने हुये और सड़े हुये समोसे इनको खाने के लिये मिलते हैं। इनकी ओरिजिनैलिटी को नष्ट किया जा रहा है। आपको इनके लिये आवास का, पानी का तथा दूसरे जो इंतजाम हैं, वे करने पड़ेंगे। ये भूखे नंगे नहीं हैं। लाखों की तादाद में जनता ने इनको चुन कर भेजा है। लाखों रुपया उसने इन पर खर्च किया है। आप पांच सौ किराया मांगेंगे तो वह भी जनता आपको दे देगी। लेकिन ये सड़ कर, घुट कर मर जायें, इसको वह बरदाश्त नहीं कर सकती है। न इनके लिये पानी का इंतजाम है और न रहने का ठीक तरह से इंतजाम है। कहीं ये अपना आफिस कायम नहीं कर सकते हैं और न ही कहीं अपने प्राइवेट सैक्रेटरी को बिठा सकते हैं। अगर यही इनकी स्थिति रही है तो ये यहां पर सिवाये गाली देने के और नुक्ताचीनी करने के कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इनसे कंस्ट्रक्टिव सजैशन लेनी है, कंस्ट्रक्टिव सुझाव लेने हैं तो आपको इनके पानी का इंतजाम करना होगा, मकान का इंतजाम करना होगा, जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वह ऊंचा कर देना होगा। आज जो इनको मकान दिये गये हैं वे एक रिप्रिजेंटेटिव के रहने लायक नहीं हैं, ला मेकर्ज के लायक नहीं हैं, कांस्टीट्यूशनलिस्ट्स के लायक नहीं हैं। उनमें बीस तीस आदमी एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, घुट कर मर जाते हैं। सैकड़ों एम० पीज० ऐसे हैं जोकि मकान की तंगी की वजह से, उन में कम जगह होने की वजह से अपने परिवारों को यहां नहीं लाते हैं। उनका इंतजाम किया जाये। गरीबों का इंतजाम किया जाये, किसानों का इंतजाम किया जाये, मजदूरों का इंतजाम किया जाये। जब ऐसा किया जायेगा तो हमारा राष्ट्र फलेगा, फूलेगा और आपको यश मिलेगा। जिनके पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं जिनमें घुड़दौड़ तक हो सकती है, उनकी कोठियां घटाई जाये और अगर ऐसा किया जाता है तो देश का इंतजाम आसानी से हो जायेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री आफ वर्क्स, हाउसिंग एंड रिहैबिलिटेशन की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इसकी छपाई सुन्दर और डिजाइन भी अच्छा है। लेकिन इसकी बातें ऐसी नहीं हैं जो सफाई की हों। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन का कुछ पता ही नहीं चलता। इनको क्यों लिख दिया गया है, समझ में नहीं आता है। इनका जैसे जैसे मैं बोलूंगा जिक्र करूंगा।

पहली बात तो जो आफिसिस दिल्ली से बाहर ले जाये जा रहे हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। कुछ और माननीय सदस्यों ने भी इसका जिक्र किया है। इन आफिसिस को बाहर कहां भेजा जायेगा, इसका कुछ भी पता नहीं है। पहले बताया गया था कि शिमला या नागपुर में इनको भेजा जायेगा। मैं देखता हूं कि न तो शिमला में और न ही नागपुर में स्पेस है, खाली जगह है। न दफ्तरों के लिये है और न ही कर्मचारियों के लिये।

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : डलहौजी भेज दो।

श्री द्वा० ना० तिवारी : आफिसिस के लिए तो आप जगह किराये पर ले लेंगे लेकिन जो कर्मचारी जायेंगे, वे कहां रहेंगे। यहां पर उन्होंने किसी तरह से खोज खाज कर जगह किराये पर ले ली है और अब आप फिर से उनको विस्थापित करने जा रहे हैं। आपको चाहिये था कि आप वहां पर भी उनके लिए कोई जगह का कोई प्रबन्ध कर देते। जब आप उनके लिए कोई प्रबन्ध नहीं करेंगे तो उनको पगड़ी देकर जगह किराये पर लेनी पड़ेगी, किराये बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे और बहुत तकलीफ होगी और उनका गुजारा नहीं चल सकेगा। आपको इन सब चीजों पर विचार कर लेना चाहिये था।

आपके यहां एफिशेंसी की क्या हालत है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। जिस तरीके से काम होता है, वह मेरी समझ में तो आता नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि नए मकान बनते हैं और एक महीने के बाद उन में रिपेयर होना शुरू हो जाता है। क्या यही एफिशेंसी है। मैं भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं २१ या २२ जनवरी को पार्लियामेंट का सेशन एटेंड करने के लिए आया था। जब मैं यहां से गया तो सामान बन्द कर गया था और बाहर ताला लगवा गया था। वापिसी पर मैं उसी कुंजी से दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन ताला नहीं खुल पा रहा था। यह कोई बारह बजे दिन की बात है। मैंने तब इन्क्वायरी आफिस को खबर दी और कहा कि ताला खुलवा दो। चार बजे तक वहां से मुझे कोई इनफार्मेशन नहीं आई। उन्होंने कहा कि अभी आदमी भेज रहे हैं। लेकिन कोई नहीं आया। छः बजे मैंने पुनः कहा और आठ बजे तक देखा कोई नहीं आया । इसके बाद यहां पर पार्लियामेंट में जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उनको फोन किया। यहां से जवाब आया कि साहब यह नहीं खुल सकता है । मैंने कहा कि अगर खुल नहीं सकता है तो मेहरबानी करके इजाजत दीजिये कि मैं इसको तोड़ दूं । जाड़े का मौसम है और मैं बिना कमरे के नहीं रह सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। जाड़े का मौसम था, मैं कमरे के बाहर तो रह नहीं सकता था। कपड़े भी सब अन्दर थे। क्या उस ठंड में मैं मर जाता बिना कमरे और कपड़ों के। मैंने खन्ना साहब के फोन किया। वह वहां नहीं थे। मैंने इसके बाद डिप्टी मिनिस्टर साहब को फोन किया और उनका दरवाजा खटखटाया। वहां पर वह भी नहीं थे। तब मैंने खन्ना साहब के प्राइवेट सैक्रेटरी से कहा और उन्होंने कहा कि मैं इसका इंतजाम करवा देता हूं। दस बजे रात के आदमी आया और तब जाकर ताला टूटा। जब मैंने डिप्टी मिनिस्टर साहब से इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि लिख कर भेज दीजिये। मैंने लिखा और उसका जो जवाब आया वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं।जो कुछ जवाब में लिख कर दे दिया जाता है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। कि उसी को वे पैरट की तरह से रिपीट कर देते हैं। उनका जो जवाब आया वह एडिंग इंसल्ट टू इंजरी वाला था। उन्होंने कहा कि आपके फोन का जवाब जिस ने दिया वह कोई इरिसपोंसिबल आदमी रहा होगा। आठ बजे रात के इनके आफिस में कोई इरिसपोंसिबल आदमी हो सकता है, यह जान कर मुझे ताज्जुब होता है। वह कहते हैं कि नौ दस बजे रात के कोई इरिसपांसिबल आदमी रहा होगा।

श्री त्यागी: मतलब यह है कि कोई नान-आफिशल होगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : रात को आठ नौ बजे अगर कोई नान-आफिशल आदमी होता तो उसको पकड़ लिया जाता और जेल में बन्द कर दिया जाता। आफिस का ही कोई आदमी था। मैं समझता हूं कि असिस्टेंट इंजीनियर वह था। आवाज से तो मैं पहचानता नहीं था लेकिन ऐसा मालूम पड़ता था कि असिस्टेंट इंजीनियर वह था।

एक और इंस्टैंस मैं देना चाहता हूं। मैंने कहा कि हैज को ठीक करवा दीजिये । वह खराब हो गई थी। मैंने कहा कि सामने हैज ठीक लग जाए तो अच्छा होगा । उनका आदमी आया और पेड़ इत्यादि जो लगे हुए थे, उनको भी काट कर उनकी लकड़ी वह ले कर चलता बना। यह लकड़ी वह मुझे ही दे सकता था और इसके दस पंद्रह रुपये ले सकता था। लेकिन इसको काट कर और मकान को बेपर्दा करके वह चलता बना। मझे अफसोस यह नहीं है कि नाजायज इस तरह से लकड़ी का इस्तेमाल उसने किया।

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

अफसोस इस बात का है कि आपके डिपार्टमैंट में इस तरह की एफिशेंसी है आपके काम करने का जो तरीका है वह गलत है। जब कम्प्लेंट की जाती है तो हमेशा ही जो जवाब आपको लिख कर दिया जाता है उसको हमारे पास भेज देते है।

एक नमूना और मैं आपके सममने पेश करना चाहता हूं। आप एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमट करते जा रहे है। आपने लिखा है कि काम में जो डिले होती है, उसको आप प्रोसीजर को ठीक करके दूर करने की कोशिश कर रहे है। आपने बताया है कि कुछ दिन पहले एक प्रासीजर चलाया गया था। पहले यह प्रोसीजर था कि प्लान बनता था एस्टीमेट बनता था और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको सैंक्शन करती थी और उसके बाद सैंक्शन इशू होता था। इससे डिले हो जाती थी। लेकिन जो सिस्टम अभी चालू किया गया है, उससे कम देरी होती है। पचासों बरस से आपका डिपार्टमेंट है। एक्सपेरिमेंट आप बराबर करते आ रहे हैं। आपको कोई ऐसा प्रोसीजर अपनाना चाहिये जिससे आपका काम जल्दी हो सके। आपकी जो हाउसिंग स्कीम है, उसको मैंने देखा है। आप ने कहा है कि १३९ करोड़ रुपये आप अभी तक खर्च कर चुके है। आजादी मिले पंद्रह बरस हो गए है। दस करोड़ रुपया ही आपने हर साल खर्च किया है। आप एस्टीमेट जल्दी नहीं बना पाते है, प्लान जल्दी नहीं बना पाते है। आपको चाहिये कि आप कोई सिम्पल प्रोसीजर एडाप्ट करें ताकि प्लान और एस्टीमेट वगैरह जल्दी बन सकें और जो राहत आप लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, वह लोगों को पहुंच सके और जो रुपया एलाट होता है वह खर्च हो सके।

आपने एक नैशनल बिल्डिंग कारपोरेशन बनाई है। मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट के मकान बनाने का ठेका लेती है और जल्दी उनको बना देती है। मैं यह समझा था कि अगर ठेकेदार पंद्रह बीस परसेंट प्राफिट लेता है तो यह दस या पांच परसेंट जरूर प्राफिट लेती होगी। पर हम यह देख रहे हैं कि १ लाख २५ हजार रु० का घाटा हो गया।

श्री मेहर चन्द खन्ना: पहले साल में।

श्री द्वा० ना० तिवारी: दो साल में घाटा हो गया। जब कंट्रैक्टर को दिया जाता है तो पहले साल में ही उसको १ लाख रु० में १० या २० हजार रु० का फायदा हो जाता है और अगले साल में वह बन जाता है। लेकिन चूंकि आपके डिपार्टमेंट की बात है इस लिये घाटा होने लगा।

श्री त्यागी: मुनाफा नहीं खा सकते न?

श्री द्वा० ना० तिवारी: इस की तरफ भी आप को देखना चाहिये कि अगर कंट्रैक्टर के मुकाबले आप सस्ता काम करें और अच्छा करें तब तो ठीक है, लेकिन अगर उस से भी मंहगा काम हो और देरी भी उससे ज्यादा हो, साथ घाटा भी हो तो उस को इस तरह से बनाने से फायदा ही क्या हुआ?

श्री त्यागी: मैटीरियल सस्ता नहीं इस्तेमाल करते है।

श्री द्वा० ना०तिवारी: आप ने हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री बनाई। वह नफा कर रही है। वह बहुत जल्दी में मकान बनाती है, लेकिन मैं चाहता था कि उस के लिये हमारे पास कुछ इन्फार्मेशन होती कि कितना सस्ता मकान बनता है और वह कितना टिकाऊ होता है। साथ ही उस का प्रचार सब जगहों में होता कि दूसरे लोग भी उस को जान सकते।

मैं जानना चाहता हूं कि इस का कोई प्रबन्ध आप के यहां है या नहीं। इस रिपोर्ट से तो कुछ पता नहीं चलता। इस का टाइम बहुत अच्छा है। गेट अप भी अच्छा है, लेकिन जो सब्स्टेंस इस में दिया हुआ है उससे कुछ पता असलियत का नहीं चलता कि उस से फायदा है या नहीं। आप को देखना चाहिये था कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के जरिये मकान बनावाने में कितना खर्च होता है और ट्रैडिशनल टाइप उन से बनवाने से कितना खर्च होता है और कितने बनाये जा सकते हैं। ईंट बनाने की जो फैक्ट्री आप ने बनाई है उस को आम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इन सब चीजों को दिखाने से गांव वालों की भी फायदा हो सकता है और अरबन एरियाज़ को भी फायदा हो सकता है। लेकिन जो आप ने पम्फलेटस बनाये हैं उसमें कोई जिक्र नहीं है।

में कुछ रिपेअर्स के बारे में भी कहना चाहता हूं। आप ने लिखा है कि इमर्जेन्सी की वजह से रिपेअर्स का काम बन्द हो गया है। मैं मानता हूं कि उस को बन्द करना चाहिये। वह दो वर्ष पर या तीन वर्ष पर हो, सब ठीक है। लेकिन जिन मकानों में हम लोग रह रहे है, बंगलोज़ में या फ्लेटस में, उन में जब सोते हैं तो छत से गर्द गिरती है। आखिर यह कौन सी एकानमी है कि हम लोग सोये रहें और ऊपर से मिट्टी गिरे? इस में गवर्नमेंट का क्या फायदा है?

श्री मेहर चन्द खन्ना: अगर मेरा बस चले तो आप को न रात में नींद आये और न दिन में।

श्री द्वा० ना० तिवारी: आपकी कुछ तारीफ हो गई है रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में, उस तारीफ को आप खराब मत कीजिये। यह अच्छी बात नहीं है। हमारे खन्ना साहब इस बात में बड़े एक्सपर्ट हैं कि खुद तो अच्छे रहें और दूसरों को बदनाम करें। सारी मिनिस्ट्रियां बनदनाम हो गई उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मिनिस्टर के घर में कितने कितने एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर बिजली खर्च होती है। यहां पर आकर फिगर्स दे दिया जैसे सारी बिजली मिनिस्टर लोग ही खर्च करते हैं। इसलिये आपको ऐसे जवाब देने चाहियें जिस से आप भी बचें और दूसरों को भी बचाइये।

श्री गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे जल्दी वक्त दे दिया वरना अगर और मेम्बर साहबान बोल जाते तो शायद मेरे लिये कहने को कुछ बाकी नहीं रहता।

श्री बागड़ी (हिसार): बहुत बड़ा महकमा है, घबराओ मत।

श्री गु० सिं० मुसाफिर: फिर भी मैं दो एक बातें जरूर कहना चाहता हूं। मिनिस्ट्री ने जो काम किया है या जो उनकी रिपोर्ट है उससे मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंचता कि मिनिस्ट्री ने कुछ काम नहीं किया। काम तो किया है, मगर लोगों को हाउसिंग के बारे में तसल्ली नहीं है। मेरा ख्याल है कि खुद मिनिस्टर साहब को भी शायद इससे तसल्ली न हो क्योंकि यहां खास तौर पर जो दिल्ली में रहने वाले सरकारी मुलाजिम हैं, जो कि रात दिन किसी वक्त भी हर एक ड्यूटी देते हैं, उनको भी मकान नहीं मिल रहे हैं और वे बड़ी मुश्किल में हैं। कई लोगों के मुताल्लिक तो मैं जाती तौर पर कह सकता हूं कि मकान न मिलने की वजह से वह बड़े परेशान हैं।

और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रिफ्यूजी थे और दिल्ली में आकर उन्होंने अपने को रोजगार के जरिये कुछ बना भी लिया और चार पैसे भी कमा लिये, मगर वह भी परेशान हैं मकानों की तंगी की वजह से। आपकी इस रिपोर्ट में हाउसिंग के मुताल्लिक दस आइटेम दिये हुए हैं। सब के बारे में

[श्री गु० सि० मुसाफिर]

तो मैं नहीं कह सकता मगर दो तीन के बारे में तो बिल्कुल साफ बात है कि काम ठीक से नहीं हो रहा है । मसलन इण्डस्ट्रीज के मुताल्लिक मकान वगैरह बनाने के लिये आपने कर्जे दिये । उनमें से कई के मुताल्लिक मुझे पता है कि जो इण्डस्ट्रियल टाउन्स हैं उनमें मकान खाली पड़े हुए हैं, वह यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं । विलेज हाउसिंग प्रोजैक्ट्स के मुताल्लिक मैं मिनिस्ट्री का कोई कुसूर नहीं मानता । कुदरत समझिये या दूसरे किसी ढंग से, यानी इस तरह का कोआर्डिनेशन न होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है । मैं अपनी कांस्टिट्युएंसी की बात करता हूं कि जिन लोगों ने गांवों में कर्जे लेकर मकान बनाये हैं उन मकानों को फ्लड ने गिरा दिया क्योंकि ड्रेनेज वगैरह का इन्तजाम अच्छा नहीं हुआ । फ्लड आया और मकान गिर गये । इससे वह लोग दो किस्मों की मुसीबतों में फंस गये । मकान भी नहीं रहा और कर्जा भी उनके सिर पर उसी तरह बना हुआ है । इसलिये हाउसिंग के मुताल्लिक जो आप की स्कीमें हैं उनको जरा ज्यादा चेक करने की जरूरत है । स्टेट गवर्नमेंटों को इसके मुताल्लिक जरा होशियार करने को जरूरत है कि वे चेक करें कि इन स्कीम्स पर ठीकतरह से काम हो रहा है या नहीं । इस वक्त पर खास तौर से, जबकि इमर्जेंसी है, ध्यान देना चाहिये कि हमारे देश में अब तक जो बड़ी बड़ी बिल्डिगें हैं, जो कि सिर्फ हमारी शान की निशानी हैं, उनमें से जो बन चुकीं वह तो बन चुकीं, उनको गिराया नहीं जा सकता, मगर जब तक इमर्जेंसी रहती है उस वक्त तक बड़ी बड़ी बिल्डिगें बनाने की जो स्कीमें हैं उनको बन्द कर देना चाहिये । अभी हमारे भाई ने यहां पर इशारा किया था कि अगर हमको एक अच्छी नेशन बनना है, अच्छे देशभक्त इन्सान बनना है तो यह चीज अव्वल है कि भले ही हमारे यहां अस्पताल की बिल्डिग या कालेज की बिल्डिग कितनी ही बड़ी हो लेकिन अगर अस्पताल में डाक्टर अच्छा न हो, मरीज के इलाज का इन्तजाम अच्छा न हो तो अव्वल जगह इलाज की होनी चाहिये और दूसरी जगह बिल्डिग की होनी चाहिये ।

दूसरी बात इसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारा दृष्टिकोण सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का है, अगर हमें इस तरफ ध्यान रखना है तो जो हम ठेकेदारों को बढ़ा रहे हैं, जो ठेकेदार सरकारी बिल्डिग बना कर माला माल हो रहे हैं उसको खत्म करके जो रुपया हम ठेकेदारों को दे रहे हैं उसको बचा कर दूसरी हाउसिंग स्कीम्स पर लगायें, जिसमें उसका फायदा जनता को मिले, झुग्गी झोंपड़ी का जो सिलसिला है वह खत्म हो । या कोआपरेटिव सोसायटीज का जो ऐलान सरकार ने किया हुआ है उस पर पूरी तौर पर अमल किया जाय और जो भी सरकारी बिल्डिगें बनती हैं उनको उन सोसायटीज के जरिये बनवाया जाय बजाय इसके यह ठेके बड़े बड़े ठेकेदारों को दिये जायें । जैसा अभी मेरे भाई ने थोड़ा इशारा किया, मैं आपकी वसातत से कहना चाहता हूं, मैं वहां तक तो नहीं जाता, मगर मैं इस हाउस में यकीन का इजहार जरूर करना चाहता हूं कि यह जो हाउसिंग प्राब्लेम है वह रिहैबिलिटेशन प्राब्लेम से ज्यादा नहीं है जिसमें कि हमारे मिनिस्टर साहब को तकलीफ महसूस हो । जैसा अभी श्री अजित प्रसाद जैन ने कहा, जो हमारे मौजूदा मिनिस्टर हैं वह किसी न किसी शक्ल में रहैबिलिटेशन प्राब्लेम से सम्बन्धित रहे । उनकी ऐडवाइस जो थी वह शामिले हाल रही ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वो उसमें तो बहुत तकलीफें थीं । एक बड़ी तकलीफ यह थी कि हमारी स्टेट सैक्यूलर स्टेट थी । इसमें कोई सरटेन्टी नहीं थी कि कौनसी जायदाद को रिफ्यूजीज में बांट सकते हैं क्योंकि सर्टेनली वह कल को रैस्टोर हो सकती है और ऐसा होता भी रहा । पाकिस्तान के और प्राबलम थे, हिन्दुस्तान के और । हिन्दुस्तान सैक्यूलर स्टेट है । यहां हर एक आदमी बिला लिहाज मजहब वह मिल्लत के रह सकता है, वह चला जाए तो वापस आ सकता है और यहां उसको उसकी जायदाद रैस्टोर हो सकती है, और

ऐसा हुआ भी है। तो वह प्राबलम ज्यादा बड़ी प्राबलम थी। मिनिस्टर साहब, उसको आपने हस्ते खेलते, तदब्बुर से हल कर दिया। जिसको कुछ देना था उसको दिया, रात दिन मेहनत की। और जिसे न देना था उसे टालने का हूनर भी आपको ठीक आता है, जिस तरह कि आपने मुझे और हमारे स्पीकर साहब को हंसते खेलते टाल दिया। एक रिफ्यूजी के नाते हमारा हक बनता था लेकिन हमको कोई मकान नहीं दिया। तो मेरा कहना असल में यह है कि जो रिफ्यूजीज का प्राब्लम था वह बहुत ज्यादा एक्यूट था बनिस्बत इस प्राब्लम के। तो जिस तदब्बुर से आपने उसको हल किया उसी तदब्बुर से इसे हल करें।

अभी मेरे भाई ने कहा कि बड़ी बड़ी कोठियों में इतने इतने आदमी बस सकते हैं। इसका भी आपको तजुरबा है। मैंने आपकी पेशावर वाली कोठी भी देखी है और यह कोठी भी देखी है जिसमें आप यहां रहते हैं। तो इस सिलसिले में भी आपको तजुरबा है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन गरीबों का जरूर कोई न कोई इन्तिजाम होना चाहिए। कल परसों मिनिस्टर साहब मैं पानीपत की तरफ गया था तो हमने देखा कि राजघाट के पास ही इतनी झोंपड़ियां बनी हैं। इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके और और जगह बसाना चाहिए।

एक बात और कहूंगा स्पीकर साहब को वसातत से कि यह जो मकानों का मामला दिल्ली में एक्यूट हो रहा है इसके आसान करने का भी एक तरीका है। जिन लोगों ने अनआथाराइज्ड मकान बना लिए हैं, उनके बनाने वाले और उनके खिलाफ एक्शन लेने वाले और फिर उस एक्शन को रोकने वाले और एक कनफ्यूजन सा है कि पता नहीं लगता कि आदमी किसके पास जाए काम के लिए। इसलिए इस चीज को रेग्युलर करना चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, यहां लोगों ने हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायीं। यहां पिछले तीन चार सालों में १७२ कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनीं। उनमें ४७ ऐसी हैं जिन्होंने जमीन हासिल कर ली और उनको वह मिल गयी। १२५ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनका रुपया सिर्फ कलम की एक नोक से दिल्ली प्रशासन ने लाक कर दिया उनको कुछ सूझता नहीं। उनमें कुछ ऐसी सोसाइटियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छी जगह जमीन खरीदी हैं, वहां रुपया खर्च किया है। बड़ी जैन्युइन सोसाइटीज हैं। उन्होंने लाखों रुपया इकट्ठा किया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिल कर ताकि ये लोग जो चार पैसे कमाने लगे हैं अपने लिए घर बना सकें। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसमें काफी काम किया है। लेकिन यह कहना कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ३४ हजार एकड़ जमीन जो उसने ली है उसको अच्छी तरह से डेवेलप कर सकेगा, नामुमकिन है। यह सिर्फ तसल्ली देने की बात है। दरअस्सल इससे कोई फायदा नहीं हो सकता। उन्होंने एक शर्त लगा दी है कि १३-११-५९ के बाद जिन्होंने जमीन खरीदी है उनको वह जमीन नहीं दी जाएगी। मैं समझता हूं कि इस शर्त को उड़ा देना चाहिए। इस बात को हाई लेबिल पर देखना चाहिए कि जिन सोसाइटीज ने जमीन खरीद ली है या जो खरीदने में समर्थ हैं वे कौन कौन हैं और उनमें बुरी और भली की तमीज करनी चाहिए। ऐसी सोसाइटीज को जो काम नहीं कर सकतीं बेशक जमीन न दीजिए। लेकिन जो जैन्युइन सोसाइटीज हैं उनको जमीन देनी चाहिए और जिन्होंने ली हुई है उनकी जमीन रिलीज करनी चाहिए ताकि वे उसे डेवेलप कर सकें। ऐसा करेंगे तो वे एक तरह से मिनिस्ट्री की मदद करेंगी इस मामले में और इस तरीके से यह प्रोब्लम जल्द हल हो सकेगी। इस वक्त जो लोग झोंपड़ियों में रह रहे हैं और जो बहुत तंग हैं उनको जाकर खाली तसल्ली देने के मानी तो इस शेर के मुताबिक होंगे।

तसल्ली दे गये उनको जिन्हें दुश्वार जीना था,
गरज यह थी कि मरना भी उन्हें दुश्वार हो जाए।

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय को इस मंत्रालय का संभरण तथा उत्सर्जन का भार सौंप देने का अर्थ हमें समझ में नहीं आता, जबकि उन के पास अपना काम ही बहुत है। किन्तु फिर भी निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय को बहुत सा काम करना शेष है।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में इस की गतिविधियों के लेखे के साथ १.५ लाख रुपये की बचत निर्माण, तथा आवास विभाग में दिखाई गई है, जो बहुत ही कम है। इस विभाग में फिजुल खर्च बहुत ही अधिक है, अतः बचत की और गुंजाइश है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मा० मंत्री को दो तीन वर्षों के लक्ष्यों और उनकी पूर्ति के आंकड़े बताने चाहियें जिससे हम उनके मंत्रालय के कार्य को आंक सकें।

रिपोर्ट में सरकारी दफ्तरों के स्थान और सरकारी कर्मचारियों के क्वाटरों की कमी का उल्लेख है। मुझे समझ में नहीं आता कि केन्द्र में क्यों इतना केन्द्रीभूत किया जा रहा है। देश में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां सरकारी दफ्तर नहीं और विकास परियोजनाओं को कोई बढ़ावा नहीं मिलता। कुछ सरकारी दफ्तरों को दिल्ली से बाहर भेजने के लिये मा० मंत्री ही उत्तरदायी हैं।

राजधानी नगरों में सरकारी कर्मचारियों की आवास स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अल्प आय वर्ग के लोगों को यदि क्वाटर नहीं मिलते तो वे गन्दी बस्तियों में रहने पर मजबूर होते हैं।

मा० मंत्री का निर्माण की गति बढ़ाने का निश्चय श्लाकनीय है। परन्तु देखना यह है कि वह इस को कहां तक कार्य रूप में परिणत करने में सफल होंगे।

संसद् के सदस्यों के लिये बड़े आवास की बड़ी कमी है। इसमें पक्षपात भी होता है। मा० मंत्री ने यह बात स्वीकार भी की थी कि उपलब्ध प्रतिष्ठ सदस्यों की श्रेणी अलग होती हैं। जिन्हें बड़े मकान दिये जाते हैं। यह स्थिति वड़े आवास की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अतः मा० मंत्री को इस नीति में संशोधन करना चाहिये। कुछ बड़े फ्लैटों का निर्णय किया जाये। मा० मंत्री इस ओर अपना ध्यान दें।

गन्दी बस्तियों की समस्या बड़ी भयंकर होती जा रही है और इसे अतिशीघ्र हल करने की जरूरत है। प्रधान मंत्री ने एक बार बंगलोर में कहा था कि एक ओर गन्दी बस्तियां और दूसरी ओर भव्य भवनों के बीच कितना अवांछित अन्तर है। परन्तु उन की बात को भी कार्यान्वित नहीं किया जाता, यह दुख की बात है। अतः इस महान समस्या को हल किया जाना चाहिये। यह मानवीय दृष्टि से भी बड़ा महान कार्य होगा।

निस्सन्देह यह समस्या बहुत बड़ी है, प्रन्तु मैं कहूंगा कि इस की ओर उचित ध्यान भी नहीं दिया गया और न ही समुचित उपाय ही किये गये हैं। हम समस्याओं के आगे झुकते जा रहे हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम देश में गन्दी बस्तियों की सफाई करने के लिये क्रान्तिकारी एवं परिवर्तनशील नीति अपनायें। गन्दी बस्तियों की सफाई हमारी सैनिक जिम्मेवारी है और हमें इसको भावी प्रजातंत्र क लिये भी तथा अपने देश के भविष्य के लिये भी हल करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बसवन्त (थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउसिंग और रीहैबिलिटेशन की मांगों के सम्बन्ध में मैं कुछ बातें इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। हाउसिंग के बारे में बम्बई में हाउसिंग बोर्ड ने जो काम किया है, उस को देख कर तो रामायण की याद आ जाती है। जैसे हनुमान जी लक्ष्मण के लिए पहाड़ उठा कर ले गए, वैसे ही हाउसिंग बोर्ड ने आठ साल में दो पहाड़ उठा कर दरया में रखे और उस पर मकान बनाए। इस हाउसिंग बोर्ड ने जो अच्छे काम किये, उन से कुछ कठिनाई भी पैदा हो गई है। बम्बई जैसा बढ़िया नगर भारत में और कोई नहीं है। वहां पर रेल, बस और ट्रक से नौ लाख आदमी प्रतिदिन आते-जाते हैं। जब से हाउसिंग का काम रेल के दोनों तरफ़ चलना शुरू हुआ है और रेल के दोनों तरफ़ मकान बनाए जाने लगे हैं, तब से रेलवे के ऊपर और ज्यादा प्रैशर हो गया है। मेरे पास ३१ दिसम्बर, तक की जो तीन महीने की रिपोर्ट है, उस से प्रकट होता है कि रेलवे पर आने वाले उस प्रैशर की वजह से बम्बई में दो लाख आदमी बिना टिकट सफ़र करने के लिए पकड़े गए। अगर रेल के साथ साथ हाउसिंग बढ़ता जायगा, तो उस का परिणाम यही होगा। दिल्ली शहर में चारों तरफ़ से आ सकते हैं। कलकत्ता में तीन तरफ़ से आ सकते हैं। मद्रास में तीन तरफ़ से आ सकते हैं, लेकिन बम्बई शहर एक चूहे की माफ़िक है। जैसे चूहे कि पूंछ होती है, वैसे ही वहां पर आने के लिए एक ही रास्ता है। बम्बई शहर का मकान बढाने का क्वोटा फुल हो गया है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि दिल्ली में ६०० रुपए गज़ ज़मीन बिक रही है, लेकिन बम्बई में तो ज़मीन के भाव १,००० और १,५०० रुपए तक पहुंच गए हैं। इस से आप बम्बई की कठिनाइयों और प्राबलम्ज़ को महसूव कर सकते हैं। यद्यपि हाउसिंग बोर्ड या हाउसिंग मिनिस्टर का यह काम नहीं है, लेकिन मैं हाउसिंग मिनिस्टर के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब बम्बई की पापुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो रेल के साथ साथ मकान बनाने से रेलवे पर प्रैशर बढ़ता जायगा। अगर बम्बई उरन ब्रिज बन जाए, तो पंद्रह मिनट के फ़ासले पर कई लाख एकड़ ज़मीन हाउसिंग, फ़ैक्ट्रीज़ और आम रहने के लिए मिलने की सुविधा हो जायगी। मैं समझता हूं कि यही प्रोपोज़ल बम्बई हाउसिंग बोर्ड ने यहां भेजा होगा।

जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं, मैं उस के सम्बन्ध में कुछ बातें इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। पश्चिमी पाकिस्तान से जो विस्थापित आए, थाना और कल्याण कैम्प में उन की संख्या करीब करीब डेढ़ लाख तक पहुंच गई है। हाउसिंग मिस्टिर ने पिछले साल अपनी स्पीच में यह कहा था कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों की सारी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। यह बात ठीक है, लेकिन कल्याण कैम्प में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन की तरफ़ मैं हाउसिंग मिनिस्टर का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल्याण कैम्प एक मिलिटरी कैम्प था, जिस में पांच हजार सैनिकों के रहने की व्यवस्था थी। उसी कल्याण कैम्प में एक लाख आदमियों को बसा दिया गया, हालांकि वही कमरे थे और पानी के नलों की वही व्यवस्था थी। अब उल्हासनगर (कल्याण कैम्प) में नगर निगम बना दिए गए हैं। कल्याण कैम्प में शाप्स और बिजिनेस प्लाट्स की कठिनाइयां पंद्रह बरसों से दूर नहीं की जा सकी हैं। उन लोगों ने कई बार महा राष्ट्र हाउसिंग बोर्ड और केन्द्रीय सरकार से इस बारे में लिखा पढ़ी की, मगर शाप्स और लाट्स के बारे में उन की मांगों को नहीं माना गया है। वहां पर स्थिति यह है कि वहां पर लकड़ी के टपरे (खोखे) बने हुए हैं। इस कारण आग लग जाने के भय से वे लोग रात को सो भी नहीं सकते हैं। उन दुकानों में हजारों लाखों रुपयों का माल मता रखा

[श्री बसवन्त]

हुआ है। दो दुकानों के बीच में पांच फीट का फ़ासला भी नहीं है। इसलिए अगर वहां पर आग लग जाए, तो उसको बुझाया भी नहीं जा सकता है। अगर वहां पर कभी आग लग गई, तो विस्थापितों पर बड़ी भारी विपत्ति आयेगी और सारे का सारा कल्याण कैम्प जल जायेगा। इसलिए हाउसिंग मिनिस्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी प्लाट्स दिये जायें। उत्तर देते हुए वह कह सकते हैं कि कल्याण कैम्प में नगर निगम बन गया है और इसलिए पानी का प्रबन्ध वह करेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर लोग टपरों में बैठे हुए हैं, वहां मकान नहीं बने हुए हैं। इसलिए नगर निगम वहां पर कैसे कर लगाए और कैसे उस को वसूल करे। इस लिए अगर वहां पर पानी की उचित व्यवस्था की जाये, तो अच्छा होगा।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हरिजनों और आदिवासियों के लिए हाउसिंग कालोनीज़ बनाने के लिए सुझाव रखे हैं। केन्द्रीय सरकार से आदिवासियों को ७५० रुपये की सबसिडी मिलती है और उसके साथ २५० रुपये का श्रमदान, मेहनत उनको करना पड़ता है। मगर यह वेल्युएशन तो १९५८ में की गई थी और अब सब चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। इसलिए २५० रुपये का श्रमदान शामिल करके भी उस रकम से आदिवासियों के मकान नहीं बन सकते हैं। इसलिए आज के बाज़ार-भाव के अनुसार उनको सबसिडी देनी चाहिए।

एक डिस्ट्रिक्ट में पच्चीस पच्चीस मकानों की चौदह पंद्रह कालोनीज़ हर साल बनाने के लिए सबसिडी दी जाती है। अगर यह काम इसी गति से चलता रहा, तो आदिवासियों की हाउसिंग की समस्या को हल करने के लिए सौ साल लग जायेंगे। इसलिए अगर सबसिडी की रकम को बढ़ाया जाय और हाउसिंग के कार्य को ज्यादा तेज़ी के साथ करने की व्यवस्था की जाय, तो अच्छा होगा। आदिवासियों के मकान लकड़ी के बने होते हैं। आग लगने से सारे के सारे मकान जल जाते हैं। वही स्थिति हरिजनों की है। उनके लिए जो रकम सबसिडी के लिए रखी हुई है, वह कम है। उसको बढ़ाया जाना चाहिए और बाज़ार-भाव के हिसाब से यह रकम रखनी चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि मेरे इन सुझावों पर विचार किया जायेगा। आपने मुझे जो समय दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं।

†**श्री अ० चं० गुहा** (बारासाट) : इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम क्षेत्र में पुनर्वास समस्या हल हो चुकी है और पूर्वी क्षेत्र में भी प्रायः हल हो गई है। परन्तु स्थिति ऐसी नहीं है।

पूर्वी क्षेत्र के शरणार्थियों के पंजीयन से काम नहीं चलता। जब तक इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता कायम नहीं होती, वहां कोई उन्नति संभव नहीं। इस प्रश्न पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। इस पर गम्भीरता से कार्य होना चाहिये।

दण्डकारण्य में शुरू में शरणार्थी किसी राजनीतिक दल के प्रभावाधीन होने के कारण जाने में हिचकते थे। परन्तु अब वे जाना चाहते हैं तो दण्डकारण्य में उनको लेने में ढील हो रही है।

शुरू से ही दण्डकारण्य-प्राधिकारी परस्पर लड़ते झगड़ते रहे। अब सुना है कि इसका अध्यक्ष श्री सुकुमार सेन उसे छोड़ना चाहता है। इससे पश्चिम बंगाल की जनता को चिन्ता हो गई है। उसके वहां से चले जाने पर वह योजना समाप्त हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री खन्ना को चाहिए कि जिस जोश के साथ उन्होंने यह योजना चलाई थी, अब भी उसी जोश से इसे चलायें । इस परियोजना में गांव १० से १५ मील दूर हैं, और शरणार्थी अपने आप को बनवास में अनुभव करते हैं । सरकार को चाहिए कि गांव पास पास तथा एक दूसरे से मिले हुए हों ।

दण्डकारण्य के अनुसूचित जातियों के शरणार्थियों को भी वही सुविधायें प्रदान की जायें जो देश के अन्य अनुसूचित जाति के लोगों को प्राप्त हैं ।

प्रत्येक गांव में सामुदायिक रेडियो हों ताकि लोग अपने आपको संसार से निकाला हुआ न समझें । हस्पतालों की भी बड़ी जरूरत है ।

सहकार विभाग को वहां सहकारी संस्थाएं स्थापित करनी चाहियें ताकि वहां के लोग अच्छी तरह बस सकें ।

वहां पुनर्वास के लिए भूमि की सफाई होनी जरूरी है । लोगों को वहां भूमि नहीं दी गई और न ही पुनर्वास सहायता की गई है । अतः मंत्रालय को चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि लोगों को वहां से उखड़ना न पड़े, क्योंकि शिविर जीवन का लोगों के जीवन पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है। अतः उनका समुचित पुनर्वास होना चाहिए और उसके लिए सब प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जाय ।

शिविरों से बाहर रहने वाले १० प्रतिशत लोगों को भी वहां शीघ्र बसाने की ओर प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

कुछ छोट व्यापारियों और शिल्पकारों को दण्डकारण्य आने के लिए तैयार रहने को कहा गया था, परन्तु उनको भेजा नहीं गया । समाज के लिए कारीगरों की जरूरत होती है, अतः इनको वहां शीघ्र भेजने का प्रबंध किया जाय ।

जब तक भारत सरकार अल्पसंख्यकों के मामले में पूर्वी पाकिस्तान के साथ कोई पक्का समझौता नहीं करती, वहां से लोग भारत में आते रहेंगे । परन्तु १ अप्रैल, १९५८ के बाद आने वाले लोगों को पुनर्वास सहायता नहीं मिलती । अतः यह प्रश्न सरकार की नीति से संबद्ध व्यापक प्रश्न है । भारत-पाक संबंध अच्छे न होने पर वहां अल्पसंख्यक अरक्षित अनुभव करेंगे और भारत में आते रहेंगे । इसलिए उनके लिए पुनर्वास सहायता बन्द करना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है ।

कलकत्ते में लगभग ८ या ९ लाख शरणार्थी हैं जिनमें से काफी लोग पंजीकृत शरणार्थी नहीं हैं । उनके पुनर्वास की कोई योजना नहीं है । कलकत्ते की यह एक बड़ी समस्या है कि उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है । मैं समझता हूं कि यह मंत्रालय, नहीं तो सरकार इस समस्या को अपने हाथ में ले ले और इन शरणार्थियों को कलकत्ते के आसपास कोई जगह दे । इसी तरह स्यालदाह में भी काफी लोग पड़े हुए हैं । मैं समझता हूं कि उन्हें अन्दमान भेजा जा सकता है । सरकार के लिए यह एक कलंक की बात है कि वे लोग कलकत्ता शहर में स्यालदाह स्टेशन पर इस प्रकार पड़े रहें । कम से कम राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से तो इन्हें शीघ्र अन्यत्र कहीं बसाया जाय ।

दूसरी बात यह कि पहले कन्ट्रोलर आफ प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी एक शिल्पिक व्यक्ति होता था लेकिन पिछली लड़ाई के बाद से यह व्यवस्था बदल दी गई है । आशा है कि मंत्री महोदय पर उस पुरानी व्यवस्था को चालू करेंगे और उस पद पर किसी तकनीकी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे ।

[श्री अ० चं० गुहा]

मकान बनाने की योजना के सम्बन्ध में, कुल १३ लाख बागान मजदूरों के लिए, इस योजना के अधीन सिर्फ ६९० मकान ही बनाये गये हैं। यदि यही प्रगति है, तो हम सभी को इस पर लज्जित होना चाहिए ।

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : डा० रानेन सेन ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में कुछ बातें कहीं थीं। मुझे इस बात की खुशी है कि वे दण्डकारण्य योजना और पूर्व बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं। पुनर्वास की इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाय इस बारे में मैं डा० सेन से अनौपचारिक रूप से बातचीत करना पसन्द करूंगा। मुझे उन की राय प्राप्त करने में खुशी होगी। लेकिन पिछले एक साल तक मुझे उनसे कोई राय नहीं मिली। डा० सेन ने बताया कि उनकी बस्ती पर पर्याप्त धन नहीं खर्च किया जा रहा है। इस पर मैं सभा को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने क्षतिपूर्ति के भुगतान, भूमि का अर्जन और अनधिवासियों की बस्तियों को नियमित करने के लिए अब तक १७६ लाख रुपये मंजूर किए हैं। पिछले बजट वर्ष के पहले दस महीनों में भूमि अर्जन के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ७३ लाख रुपये की रकम दी गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को उदारता से मंजूरी देती रही है। इनके अन्तर्गत लगभग एक हजार लोग आते हैं। मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित अधिकृत परिवारों के लिए भूमि अर्जन के लिए क्षतिपूर्ति अब भी सरकार दे रही है। डा० सेन ने यह भी बताया कि पुनर्वास योग्य-परिवारों के अपीलों के मामले अब भी पड़े हुए हैं लेकिन शायद वे नहीं जानते कि हमने सभी पुनर्वास-योग्य परिवारों को मंजूरी दे दी है, दे रहे हैं और देते रहेंगे ।

डा० सेन ने बताया कि हेरोथांगा और केक्केछाई की बस्तियां एक ढकोसला है। लेकिन यहां पर डा० सेन के दल के कुछ सदस्यों ने विस्थापित व्यक्तियों को दंडकारण्य न भेज कर हेरोथंगा और केक्केछाई में भेजने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार की योजनाओं के लिए हम ने वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की। राज्य सरकार अपने भरसक प्रयत्न भी कर रही है और विस्थापित व्यक्ति वहां जा रहे हैं। इसलिए वे ढकोसला नहीं है। कम से कम मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

डा० सेन ने यह भी कहा था कि विस्थापित व्यक्ति अपने शिविर छोड़ कर कलकत्ते की सड़कों पर घूम रहे हैं। सरकार की नीति यह है कि हमने राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है कि उन लोगों को अपने अपने मूल पुनर्वास स्थल पर जाने दिया जाय और उन्हें यथासंभव नये पुनर्वास लाभ दिये जायेंगे। लेकिन हम उन्हें दंडकारण्य नहीं ले जा सकते क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब भी शिविरों से बाहर ऐसे परिवार हैं जिन्हें दण्डकारण्य ले जाना है। एक ओर तो डा० सेन उन्हें दण्डकारण्य ले जाने के लिये कहते हैं और दूसरी ओर वे दंडकारण्य में जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार नहीं करते ।

दण्डकारण्य योजना विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए और वहां की खेती की जमीन संचार, जलपूर्ति आदि के सामान्य विकास के प्रयोजनों के लिए १९५९ में चालू की गई थी यह ठीक है कि वहां अनेक कठिनाइयां हैं लेकिन वहां के आस पास के क्षेत्रों का विकास करने के लिए दंडकारण्य विकास प्राधिकार भरसक प्रयत्न कर रहा है। जमीन को खेती योग्य बनाने और संचार व्यवस्था का विकास करने आदि के लिए सभी संभव कार्य किए गए हैं।

यह सच नहीं है, जैसा कि डा० सेन और डा० गुहा ने कहा कि गांव सारे क्षेत्र में फैले हुए हैं और वे एक दूसरे से मीलों दूर हैं। पराल कोटे, उमरकोटे और मलकानगिरी नाम के तीन क्षेत्र हैं पहले

†मूल अग्रजा में

दो क्षेत्रों में सभी गांव एक ही जगह हैं। यह सच नहीं है कि एक गांव दूसरे गांव से मीलों दूर है। हमने सड़कें बनायी है। हमारा विचार है कि विस्थापित व्यक्ति सामाजिक जीवन बिताये। वहां के कुछ मध्यवर्ती क्षेत्रों में औषधालय, स्कूल, अस्पताल आदि हैं। हमने वहां ११७ प्राइमरी स्कूल, २ सेकेण्डरी स्कूल और २२ प्रौढ़ स्कूल बनायें हैं। उन सभी स्कूलों में ९,००० छात्र हैं, आवश्यकता के अनुसार हम और भी स्कूल बनायगे। हमने वहां औषधालय और अस्पताल भी बनाये हैं। हम चाहते हैं कि जहां तक संभव हो, चिकित्सा के अभाव में किसी की मृत्यु न हो। यदि ऐसा कोई मामला हुआ हो तो दंडकारण्य विकास प्राधिकार अवश्य उसकी जांच करेगा और इस आशय की किसी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

दंडकारण्य विकास प्राधिकार पर हमने अब तक १५ करोड़ रुपया खर्च किया है और चालू बजट वर्ष में ३.९ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। हम वहां के विस्थापित व्यक्तियों को ३० लाख रुपया पुनर्वास ऋण के रूप में भी दे रहे हैं।

संकट के कारण हमने अपनी सभी योजनाओं में ३३ $^{१}/_{३}$ प्रतिशत की कटौती की है लेकिन दंडकारण्य परियोजना के मामले में वह कटौती केवल २५ प्रतिशत है। इससे यह दिखाई पड़ता है कि सरकार इस दण्डकारण्य योजना को कितना महत्व देती है।

श्री अ० चं० गुहा ने दंडकारण्य के बारे में और श्री सुकुमार सेन के त्यागपत्र के बारे में कुछ बातें कहीं। हमें श्री सुकुमार सेन से सरकारी तौर पर कोई त्यागपत्र नहीं मिला है। लेकिन हमें उनके जैसे योग्य प्रशासक अध्यक्ष के तौर पर मिलने से बड़ा गर्व है। उन्होंने वहां के विस्थापित व्यक्तियों में विश्वास पैदा कर दिया है। उनके प्रयत्नों के कारण ही वहां के विस्थापित व्यक्तियों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इस साल वर्षा न होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई है और विस्थापित व्यक्तियों ने स्वयं ही यह कहा कि वे किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहते और वे काम करना चाहते हैं। तब प्राधिकार ने उनके लिये औद्योगिक केन्द्र चालू कर दिये हैं और वे उन केन्द्रो में मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कलकत्ते के एक दैनिक पत्र में इसी आशय का समाचार था लेकिन याद रख कि वह कोई सरकार की ओर से भेजा गया समाचार नहीं था। दंडकारण्य क्षेत्र छोड़कर एक भी परिवार आज तक नहीं गया है। यह इस बात का द्योतक है कि डा० रानेन सेन ने कुछ समय पहले जो चित्र खींचा है वह गलत है। वहां अब भी ६,५०० परिवार हैं और इस वर्ष और भी परिवार वहां जायेंगे। हमारे सामने एक निश्चित लक्ष्य है कि अमुक हजार एकड़ जमीन को खेती योग्य बनाया जायेगा और अमुक हज़ार परिवारों को वहां ले जाया जायेगा। लेकिन दण्डकारण्य विकास-प्राधिकार की अपनी परिसीमाएं हैं। केवल पैसे से ही समस्या हल नहीं होगी, कुछ दूसरी कठिनाइयां भी हैं और प्राधिकार उन्हें यथासंभव दूर करने का प्रयत्न कर रहा है।

न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूर्वी क्षेत्र के अन्य सभी राज्यों में बाकी आवास समस्या को हल करने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की इस समस्या पर हमने इस साल चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गयी योजनाओं की छानबीन और हमारी चर्चा के आधार पर हम आवास दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र के लिये सहायक के अनुदान के रूप में हमने १५२ लाख रुपये की व्यवस्था की है। उसमें से १०४ लाख रुपया पश्चिम बंगाल को दिया जायेगा। हम पूर्वी क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों को लगभग २०४ लाख रुपये के ऋण और अग्रिम भी दे रहे हैं। इसमें से १७९ लाख रुपया पश्चिम बंगाल के लिये है। यह रकम उस ३० लाख रुपये से अलग है जो दंडकारण्य में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण के रूप में दिया जा रहा है।

आवास की समस्या हल करने के सम्बन्ध में, जब तक कि बाकी काम पूरा नहीं हो जाता तब तक केन्द्र में तत्सम्बन्धी विभाग को बन्द नहीं किया जायेगा। मैं पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों

[श्री अ० चं० गुहा]

के लिये कालकाजी बस्ती के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। तीन साल पहले हमने पूर्व पाकिस्तान से आये दिल्ली में बसे शरणार्थियों के लिये एक बस्ती बनाने का निश्चय किया था। इस योजना के लिये कालकाजी के पास एक जमीन तय की गयी थी। पिछले साल हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए ३५ लाख रुपये मंजूर किये थे। वह काम हो रहा है। वह जमीन लगभग २१८ एकड़ होगी और उसमें लगभग १६०० भूखंड होंगे। भुगतान के तरीके के बारे में सरकार ने यह निश्चय किया है कि आरम्भ में २० प्रतिशत नकद दिया जायेगा और बाकी ७ वार्षिक किस्तों में लिया जायेगा। वह ९९ साल का पट्टा होगा। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे जो भी हो, यह पुनर्वास विभाग बन्द किये जाने से पहले शेष काम पूरा कर दिया जायेगा।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्क्स, हाउसिंग और रिहैबिलिटेशन का मुहकमा एक बहुत अच्छा मुहकमा है क्योंकि इसके द्वारा शरणार्थियों को बसाने का और सब के रहने का अच्छा काम होता है। खन्ना साहब ने विस्थापितों को बसा कर बहुत अच्छा काम किया है। और यह देश का सौभाग्य है कि बाहर से आए हुए लोगों को स्थान दिया गया। पहले पहल मैं वर्क्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

हम अक्सर सुना करते ह कि आप ठेकेदारी सिस्टम को समाप्त करना चाहते हैं। यह ठीक है। लेकिन जो आप डिपार्टमैंटल काम करवाते हैं वह ठेकेदार के काम से भी ज्यादा मंहगा पड़ता है। ठेकेदारी के अन्दर यही कमी है कि वह प्राफिट लेते हैं। लेकिन डिपार्टमैंटल काम करनें में क्या होगा ? बेशक यह होगा कि लेबर की अंटशंट हाजिरी बतलाई जायेगी। फरजी बिल बतलायें जायेंगे। इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और ओवरसियर के बच्चों को खिलाने, लकड़ी फाड़ने, आटा पिसाने और दूसरे घर के काम लेने के लिये मजदूरों की काफी सहूलियत हो जायेगी।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग पढ़ कर जो ओवरसियर्स वगैरह आते हैं तो डायरैक्ट उनको किसी काम पर नहीं भेजना चाहिये बल्कि जैसे एक एल० एल० बी० पढ़े हुए नये वकील को जिस तरह से किसी तजुर्बेकार और पुराने वकील के पास ६ महीने ट्रेनिंग लेनी चाहिये उसी तरह से इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो और चाहे ओवरसियर हो सब को किसी ए० क्लास ठेकेदार के साथ या किसी कम्पनी के साथ ६ महीने की ट्रेनिंग लेनी चाहिये। ट्रेनिंग न हाने के कारण जो चीज सामने आती है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं भी ठेकेदारी करता हूं। एक असिस्टेंट साहब कहीं बाहर से तबदील होकर हमारे कोटा राजस्थान में आये। मेंने एक बिल बनवाया १५,००० रुपये का। उसमें एक रूफिंग का आइटम ६००० रुपये का था। शाम के वक्त मैं उन साहब को वर्क पर चैकिंग कराने के लिये ले गया। जिस रूफ पर वह खड़े होते है उसी पर खड़े होकर मुझ से पूछते हैं कि **वेयर इज दी रूफ** ? मेंने उनसे कहा कि श्रीमान, आखिर आप खड़े किस पर हैं ? छत पर ही तो आप खड़े हैं और मुझ से पूछ रहे हैं कि छत कहां है ? छत पैरों के नीचे खड़ी है जिसके कि ऊपर आप खुद खड़े हुए हैं। अब आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन असिस्टेंट इंजीनियर साहब को इतना भी पता नहीं है कि छत कहां है ? छत पर खड़े होकर पूछते हैं कि छत कहां है ? इसलिये मेरा सुझाव है कि पहले उनको ट्रेनिंग देनी चाहिये क्योंकि कागज पर काम और हुआ करता है और साइट के प्लांस और हुआ करते ह। खाली कागज़ पर प्लान बनाने भर से साइट पर वे काम ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे। इसलिये साइट पर के काम का भी उन्हें तजुर्बा होना चाहिये और इसके लिये जैसा कि मेंने कहा उनको पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिये।

इसी तरह से एक ओवरसियर साहब पंजाब के इंजीनियरिंग कालिज से पास होकर गये। उन्होंने एक बिल को बनाने में चार दस्ते कागज खराब कर दिये। जो पैमाइश की जाती है उसको

कम लेना चाहिये ज्यादा नहीं होना चाहिये, इस तरह से उसने कई अड़ंगे लगा दिये । किस्सा मुख्तसर यह कि चार दस्ते कागज उन साहब ने बिल बनाने में बिगाड़ दिये लेकिन वह ८ दिन तक बिल ही नहीं बन पाया । इसलिये उनको साइट का प्रैक्टिकल ऐक्सपीरिएंस जरूर होना चाहिये ।

काम के लिये ठेकेदार टैंडर देते हैं लेकिन देखना यह चाहिये कि काम की क्वालिटी ठीक हो । आज हम देखते हैं कि काम की क्वालिटी गिर रही है । अभी हमने देखा कि एक छोटे से धक्के के फलस्वरूप रिजर्व बैंक आफ इंडिया की इमारत क्रैक हो गयी । अब इस तरह से लाखों रुपये की इमारतें इस तरह से बनने के कुछ ही दिन बाद क्रैक हो जायें तो यह कितने अफसोस की बात है और इस तरह से रुपये पैसे का कितना नुकसान होता है । इसलिये इस बात को देखने की बड़ी जरूरत है कि काम की क्वालिटी अच्छी हो । प्लांस जितने बनें वे साइट्स को देख कर बनने चाहियें । अब जाहिर है कि दिल्ली का प्लान अगर कोटा में लगाया जायेगा तो कैसे काम बनेगा ? अब यहां तो ईंटों की दीवारें उठती हैं वहां पत्थरों की दीवारें होती हैं । यहां पर तो चार इंच का पार्टीशन उठ सकता है लेकिन पत्थरों का चार इंच का पार्टीशन नहीं उठ सकता है । इसलिये यहां के एस्टिमेट के अन्दर और वहां के एस्टिमेट के अन्दर काफी अन्तर होता है । यहां ९, ९ इंच की और ६, ६ इंच की दीवारें बनती हैं जबकि वहां सवा फुट और डेढ़ डेढ़ फुट की दीवारें बनती हैं इसलिये वहां कीमतें कम हो जाती हैं । इसलिये वहां के टैंडर की यहां के टैंडर से तुलना नहीं करनी चाहिये । वहां के एस्टिमेट की और यहां के एस्टिमेट की तुलना नहीं करनी चाहिये । यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वहां चार हजार रुपया मंजूर हुआ है तो यहां भी उतना देने से काम बन जायेगा ।

अभी कुछ क्वार्टर्स हमारे यहां बनाये गये हैं । उस के अन्दर क्या हुआ ? ६०,००० का तखमीना बना कर भेज दिया और कह दिया कि इतने में बनना चाहिये । अब चूंकि इतने में बन नहीं सकते थे इसलिये उन्होंने कहा कि छज्जे हटा दो, वाटर पाइप हटा दो, रोड का जो वर्क था उसको पक्की सड़क न बना कर मामूली सड़क बना दिया, जैसे तैसे करके मकान खड़े कर दिये । इसलिये मेरा कहना है कि एस्टिमेट रिअल होना चाहिये और वह साइट को देख कर बनाया जाना चाहिये ताकि वह मुनासिब रुपयों के अन्दर तखमीने के मुताबिक करीब करीब बन कर तैयार हो सके ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिये जो मकान बनाये जायें वह ठीक बनाये जायं । अब अंग्रेजों ने तो यह सरकारी मकान यह समझ कर बनाये थे कि उन्हें यहां से जाना ही है इसलिये जैसे तैसे करके ८ बाई ८ का कमरा बना दिया और एक ८ बाई ४ की रसोई बना दी । लेकिन आप लोगों को तो राज्य करना है । आप तो अपना शासन कायम रखना चाहते हैं इसलिये आपको टैम्पोरेरी टाइप के मकान न बना कर अच्छे मकान बनाने चाहियें । इसलिये मेरा कहना है कि उस नक्शे को कैंसिल करके नौकरों के लिये जो क्वार्टर्स बनाये जायें वे कम से कम तीन कमरे के जरूर होने चाहियें । उनमें बरामदा होना चाहियें, लैट्रिन होनी चाहिये और बाकायदा किचन होनी चाहिये । इस तरह के नक्शे के वे मकान होने चाहियें । जब एक मिनिस्टर १४ कमरे वाले मकान में रहता है तो मजदूर के लिये तीन कमरे का मकान तो जरूर ही होना चाहिये । उन मकानों का किराया ३०–३५ रुपये होता है जोकि बहुत ज्यादा है । गवर्नमेंट बतौर किराये के ७ रुपये या १४ रुपये देती है और किराया रखती है उनका ३० और ३५ रुपया । उनका किराया इतना ज्यादा नहीं होना चाहिये और वह कम होना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि गांवों के अन्दर ८० परसेंट आदमी रहते हैं और शहरों के अन्दर २० परसेंट आदमी रहते हैं । जितना एस्टिमेट होता है वह सारा शहर में लगा दिया जाता है । ८० परसेंट पैसा २० परसैंट जनता के ऊपर लगा दिया जाता है और २० परसेंट पैसा ८० परसेंट जनता के वास्ते रक्खा जाता है । मेरा कहना है कि जिस तरह से शहरों के वास्ते मास्टर प्लान

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

तैयार किये जाते हैं, गांवों के लिये भी तैयार किये जाने चाहियें और उन प्लांस के मुताबिक गांवों की बस्तियां बसाई जानी चाहियें.....

श्री यशपाल सिंह : किराया बढ़ना चाहिये। डिफेंस में रुपये की जरूरत है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मेरा कहना है कि जो बेशुमार पैसा विदेशी होटलों पर या आफिसों की शानदार इमारतों के बनने पर खर्च किया जाता है उसमें कुछ कटौती करके झुग्गी झौंपड़ी वालों के लिये मकान बनाने चाहियें। आपने इस काम के लिये जो रकम रक्खी है उसमें मैं देखता हूं कि ५०००० परिवार वालों के लिये आपने ८५२४ प्लाटों की योजना तैयार की है और ३३१६ प्लाट्स आपने अभी तक दिये हैं। इस तरह झुग्गी झौंपड़ी वालों के लिये यह सोलह साल तक की समस्या हो जाती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इनकी समस्या को शीघ्रातिशीघ्र हल करने के लिये कारगर कदम उठाये। जितनी भी गन्दी बस्तियां हैं, मुझे आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि न उनकी सफाई की योजना है, न उन में लाइट की योजना है। इस ओर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिये। यह बड़े अफसोस का मुकाम है कि इतने बड़े शहर में जहां कि नित्य ही विदेशी मेहमान और अन्य बड़े बड़े लोग आते रहते हैं वहां इस तरह की गन्दी बस्तियां मौजूद हों। लेकिन होता यह है कि उन विदेशी मेहमानों को उधर गन्दी बस्तियों की तरफ बिलकुल नहीं ले जाया जाता है और उनको नई दिल्ली की शानदार पक्की सड़कों पर ही घुमाया जाता है। अगर उनको इन गन्दी बस्तियों में घुमाया जाय तो वह वास्तव में देश की असली हालत जान सकेंगे कि यह देश कितना गरीब है।

यहां दिल्ली में किंग्सवे कैम्प में विस्थापित आकर बसे। आपने उनको वहां आते ही कुछ को तो बैरकों में जगह दे दी तो कुछ के लिये टेंट बना दिये और उनमें आकर वह बस गये। आपने वायदा किया कि भाई यह हम तुम लोगों को आरजी जगह दे रहे हैं बाद को हम तुम्हें दुसरी पक्की जगह दे देंगे। लेकिन क्या हुआ? क्लेम बौंड्स मिल गये। अब यह कहा गया कि जब हम आपको जगह एलौट करेंगे तब आप उनको दे देना। हम उनको भरती कर लेंगे।

आपने उनको जगह बना दी और टेंट वाले अपने क्लेम बौंड देकर नई जगहों में रहने लगे। लेकिन जो लोग बैरकों में रह रहे हैं उन्होंने इस वास्ते अपना क्लेम बौंड नहीं दिया कि जब हमें दूसरी जगह कहीं बतलाओगे तो हम उसमें जाने पर दे देंगे। लेकिन आपने अब कम्पलसरी एलौटमैंट करने की सोच ली है। अब दिल्ली के आदमी को अगर आप मद्रास, बम्बई या और कहीं बाहर दूर जाकर एलाटमैंट कर दें तो वह अपनी सर्विस आदि छोड़ कर कैसे जायेगा? अगर इस तरह का कहीं आपने एलाटमैंट किया है तो उसे कैंसिल किया जाना चाहिये। उनके जो क्लेम बौंड हैं उनको रद्दी न किया जाय। इस तरह के रूल्स निकाल लेते हैं कि यह क्लेम बौंड रद्दी समझे जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन बौंडों को रद्दी न समझा जाये।

एक बात मुझे और कहनी थी और वह यह कि आप ने बड़ी हिम्मत के साथ बड़े धैर्य के साथ मिनिस्टरों के बिजली और पानी के होने वाले भारी खर्चे को बतलाया। बिजली पानी की मद में उन का मासिक ख़र्चा आप ने ५००, ७००, ४००, २०० और ३०० रुपये का बताया। यह बड़ी हिम्मत की है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। होता यह है कि नल बिजली के अन्दर डबल फायदा होता है। तनख्वाह चाहे आप और बढ़ा दें, कोई एतराज़ नहीं है। पब्लिक को यह तो पता चल सकता है कि ढाई हज़ार इन को मिलता है लेकिन नल बिजली का अंधा हिसाब है। अगर पांच सौ हुआ तो एक महीने के अन्दर डेढ़ सौ रुपये की लकड़ी बच जाती है।

हीटर वगैरह सब बेदर्दी से जलाये जाते हैं। छः सौ गवर्नमैंट का नुकसान हुआ। जो लकड़ी जलनी थी, वह भी नहीं जली। सालभर की साग सब्जियां, पानी जोकि फ्री होता है, उसकी सहायता से वे पैदा कर लेते हैं। मेरा सुझाव है कि नल बिजली का खर्च बिल्कुल बन्द कर दिया जाना चाहिये और तनख्वाह अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं

अब मैं कोटा राजस्थान के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। वहां पर कुछ विस्थापित बस्तियां बसाई गई हैं वहां न सड़कों का इंतज़ाम है, न लाइट का और न ही नालियों का आप ने उन बिल्डिंग्ज़ की रिपेयर वगैरह सब बन्द कर दी हैं अगर उन को तीन साल तक रिपेयर न की गई तो वे ज़मीन पर आ गिरेंगी रिपेयर्ज़ को, मेंटेनेंस को आपको बन्द नहीं करना चाहिये। और हर साल मकान की रिपेयर होती रहे तो मकान की ज़िन्दगी बढ़ जाती है, वह नया बन जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। मेरा सुझाव है कि मेंटेनेंस वर्क को खत्म नहीं किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा

आज़ादी आई नेताओं के घर में गरीब सब गरीब हुए।
जिन की है मिनिस्टरों से मुहब्बत वे सारे माला माल हुए॥
झुग्गी झोंपड़ियों की हालत देखो रोजाना गिराई जाती हैं।
अफसोस है इस आजादी में इनको न बनाई जाती हैं॥
कई चेचक की बीमारी से मरे और कई के बच्चा पैदा होता है।
लेकिन खन्ना साहब झोंपड़ियों को गिराने में तनिक दर्द न होता है॥
इसी तरह पिछले हफ्ते कई मौतें देखने में आई हैं।
पड़े हुए खुले आसमान में वे दे रहे कांग्रेस को दुहाई हैं॥
दिल्ली की गन्दी बस्ती देखो जहां नरक कुण्ड नजर आता है।
आज़ादी आई या बरबादी यह बच्चा बच्चा गाता है॥
अगर आज़ादी का नारा देते हो तो पहले इन्हें आबाद करो।
छोड़ मुहब्बत बंगलों से झोंपड़ियों की तरफ ध्यान धरो॥
गरीबों के बच्चे देखो टेंटों में पढ़ाये जाते हैं।
मिनिस्टरों के बच्चे देखो पढ़ने के लिए अमरीका जाते हैं॥
मैं नम्र निवेदन करता हूं कि विदेशी होटल व बूचड़ खाने बन्द करो।
अगर चाहते हो आज़ादी तो स्कूलों की तरफ ध्यान धरो॥

श्री मोहन स्वरुप (पीलीभीत) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने ७८ करोड़ रुपये की डिमांड्ज़ पेश हैं। इस मंत्रालय का पहले जो नाम था वह वर्क्स, हाउसिंग एंड सप्लाई था। अब इस का नाम बदल पर वर्क्स, हाउसिंग एंड रिहैबिलिटेशन रख दिया गया।

चूंकि मेरे पास थोड़ा समय है और यह एक महत्वपूर्ण विभाग है इसलिए मैं खास खास बातें ही कहना चाहूंगा। वर्क्स के मुताल्लिक पिछले सालों से शैं बोलता आ रहा हूं। आज मैं अपनी ओर से कुछ न कह कर एक लैटर जोकि ब्लिट्ज़ में एक जूनियर इंजीनियर ने लिखा है २५ अगस्त, १९६२ को, उस को पढ़ कर आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कहा है :—

"आन्ध्र प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को भ्रष्टाचार के कारण प्लन्डर विदाउट ऐक्शन डिपार्टमेन्ट' कहा जाता है। इंजीनियर से लेकर ओवरसीयर तक सभी कर्मचारी

[श्री मोहन स्वरूप]

ठेकेदारों से कई तरीकों से रुपया लेते रहते हैं 'प्रतिशत प्रणाली' के नाम से प्रचलित प्रणाली के कारण सारे विभाग का वातावरण दूषित हो गया है टेन्डर आमंत्रित करने से लेकर ठेकेदारों के बिलों के अन्तिम भुगतान तक रिश्वत दी जाती है, यहां तक कि वे ४० प्रतिशत तक भुगतान कर देते हैं लेकिन ठेकेदार दोषपूर्ण निर्माण, सस्ते माल और सस्ते मजदूर लगा कर अपना घाटा पूरा कर लेते हैं इस बात की सचाई सरकारी निर्माण परियोजनाओं के निरीक्षण से सिद्ध हो जायगी ।"

ये हैदराबाद के असिस्टेंट इंजीनियर हैं अभी आज के अखबार में खबर छपी है कि सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ा है छोटे लोगों को छोड़ कर २२ इंजीनियरों का जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उस में जिक्र है । इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है और न ही कोई सक्रिय कदम इस दिशा में उठाया गया है । इस विभाग के दो मंत्रीगण पहले रह चुके हैं और अब खन्ना साहब तीसरे मंत्री हैं जो इस डिपार्टमेंट में तशरीफ लाये हैं उनके मुताल्लिक अच्छी भावनायें इस हाउस में प्रकट की गई हैं मैं चाहता हूं कि वह इस कुरप्शन को दूर करने की दिशा में सक्रिय कदम उठायें ।

पी० डब्ल्यू० डी० में दुहरा काम होता है एक सैंटर में पी० डब्ल्यू० डी० है और दूसरी सूबों में काम करती हैं जो ग्रांट्स हमारे सामने पेश की गई हैं, उन में बताया गया है कि कुछ काम सी० पी० डब्ल्यू० डी० से हटा लिया गया है मिसाल के तौर पर जो फूड विंग था वह आज की तारीख से इस मिनिस्ट्री से हट जायेगा इसी तरह से पी० एंड टी० का जो काम था, वह पी० एंड टी० में पहुंच जायेगा । ये दोनों जो काम थे, ये हट कर अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चले जायेंगे फूड विंग डिपार्टमेंट के अंदर चला जायेगा और पी० एंड टी० पी० एंड टी० डिपार्टमेंट के अंडर चला जायेगा । इस तरह से दुहरा काम करने की कोशिश की जा रही है । अगर ऐसा सोचा जाता है कि एफिशैंटली काम नहीं आप कर सकते हैं तो इस विभाग को आप तोड़ दें और जो इस विभाग की एक्टिविटीज़ हैं, वे दूसरे विभागों में बांट दी जायें । आज आर्मी वाले अपना काम आप करते हैं, रेलवे वाले जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वे आप करते हैं इसी तरह से जो डिपार्टमेंट्स हैं, वे अपना काम आप कर सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस डिपार्टमेंट को रिआर्गेनाइज़ कीजिये अच्छी तरह से । सभी सूबों में भी इसी तरह से काम का बटवारा हो सकता है और हर विभाग में पी० डब्ल्यू० डी० विभाग कायमकिया जा सकता है । अगर इस सुझाव को मान लिया जाता है तो केन्द्र में एक इंजीनियरिंग संस्था की स्थापना की जा सकती है जो रिसर्च का काम कर सकती है, एडवाज़री बाडी का काम कर सकती है प्रशिक्षण कार्य में सहायता दे और सारे काम को कोआर्डिनेट करे, एडमिनिस्ट्रेटिव सैट अप तैयार करे । अगर इस प्रस्ताव को नहीं माना जाता है तो इसका रिओरियेंटेशन होना चाहिये । मेरा खयाल है कि जितनी पब्लिक वर्क्स की एक्टिविटीज़ हैं, वे नैशनलाइज़ कर दी जानी चाहियें जितनी भी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, सब को नैशनलाइज़ कर दिया जाना चाहिये और नये ढंग से काम किया जाना चाहिये । म्यूनिसिपैलिटीज़ का काम, जिला बोर्डों का काम और ब्लाक स्तर पर जो काम होता है उसको भी इस में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिये । पिरामिड की तरह से इस को संगठित किया जाये ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैड हो, है नीचे घटते घटते गांव के स्तर तक काम हो। यदि ऐसा किया जाता है तो कुरप्शन दूर हो सकती है और एक नई विचारधारा का उदय हो सकता है यह जो मिक्स्ड शैली है काम करने की, इस से बराबर काम में खराबी पैदा होगी और सुधार होने की कोई आशा नहीं की जा सकती है ।

जिस तरह से रेलवे में सलाहकार समिति है, जिस तरह से पी० एंन टी० में सलाहकार समिति है, उसी तरह से वर्क्स में भी सलाहकार समिति की स्थापना की जानी चाहिये । केन्द्रीय स्तर पर, सूबों के स्तरों पर, जिले के स्तर पर, ब्लाक के स्तर पर इन समितियों की स्थापना होनी चाहिये । कामों के सम्बन्ध में इन को सलाह देने का अधिकार होना चाहिये ।

मेरा यह भी सुझाव है कि विजिलेंस सैल की स्थापना की जानी चाहिये । अब भी विजिलेंस का काम होता है । लेकिन टैक्नीकल एक्सपर्टस न होने के कारण काम अच्छा नहीं हो रहा प्रतीत होता है अगर विजिलेंस सैल इस तरह के बनाये जाते हैं तो मेरा सुझाव है कि ये सूबे के स्तर पर और जिले के स्तर पर भी बनाये जायें ताकि काम अच्छा हो सके ।

आप के यहां एक सैम्पल सर्वे डिपार्टमेंट भी होना चाहिये । अगर कोई काम होने वाला हो तो वह डिपार्टमेंट देखेगा कि कितना मसाला लगेगा कितना सामान लगेगा और ज्यों ज्यों काम प्रोग्रेस करेगा वह इस पर वाच रखेगा और देखेगा कि मसाला जो लग रहा है वह ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो मैटीरियल लग रहा है वह स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लग रहा है या नहीं लग रहा है । अगर न लग रहा हो तो उसका इलाज किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि ठीक किस्म का मैटीरयल लगे

ठेकेदारी प्रथा के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है । मैं चाहता हूं कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाये और सारा काम डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले । अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कंस्ट्रकशन सोसाइटीज़ बनें, पब्लिक सैक्टर में तथा प्राइवेट सैक्टर में भी । ये कंस्ट्रकशन सोसाइटीज़ . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण बुधवार को जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, ३ अप्रैल, १९६३/१३ चैत्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १ अप्रैल, १९६३
११ चैत्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३१५३—६८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
६६२	गांवों में प्रति व्यक्ति आय	३१४३—४६
६६३	आयुध कारखाने	३१४६—४७
६६५	आयुध कारखानों में उत्पादन	३१४७—४९
६६४	बर्मा में भारतीय	३१४९—५०
६६६	"विविध भारती"	३१५१—५२
६६८	सीमा पर जवानों का मनोरंजन	३१५२—५३
६६९	हवाई आक्रमण से रक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें	३१५३—५७
६६९-क	'लिंक' पत्रिका को अख़बारी काग़ज़ का आवंटन	३१५७—६०
६७०	नेफा की सैनिक असफलतायें	३१६०—६२
६७१	नौसेना अभ्यास	३१६२—६३
६७२	विधवाओं को पेन्शन	३१६४—६५
६७३	लड़ाकू विमानों का निर्माण	३१६५—६६
६७५	ए० सी० सी० तथा एन० सी० सी०	३१६६—६७
६७६	तीस्ता नदी (सिक्किम) में बाढ़	३१६७—६८
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३१६८—८७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
६६७	कर्मचारी भविष्य निधि में से धन निकालना	३१६८—६९
६७४	आकाशवाणी में देशभक्ति गान	३१६९
६७७	पाकिस्तानी डकैतों द्वारा छापे	३१६९—७०

विषय पृष्ठ

प्रश्नो के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

६७८ सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड . . ३१७०
६७९ कानपुर की कपड़ा मिलों में एक पारी . . . ३१७०–७१
६८१ संयुक्त राष्ट्र महा-सभा ३१७१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३२३ पलाना कोयला क्षेत्र में कल्याण केन्द्र . . . ३१७१
१३२४ आन्ध्र प्रदेश के लोक नृत्यों पर वृत चित्र . . . ३१७१
१३२५ जन संचार के माध्यम का अध्ययन . . . ३१७२
१३२६ इंगलैंड में एक भारतीय छात्र की मृत्यु . . . ३१७२
१३२७ उत्तर प्रदेश के लिये तृतीय योजना के लक्ष्य . . . ३१७२–७३
१३२८ सम्बलपुर में रेडियो ट्रांसमिटर . . . ३१७३
१३२९ ज़िला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड . . . ३१७३
१३३० उड़ीसा के काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध की गई स्त्रियां . ३१७४
१३३१ तेज़पुर में धनराशि का लापता होना . . . ३१७४–७५
१३३२ विश्व पुलिस बल ३१७५
१३३३ आदिम जातियों की भाषाओं में प्रसारण . . . ३१७५–७६
१३३४ दिल्ली छावनी में निर्जलीकरण संयंत्र . . . ३१७६–७७
१३३५ चाल वित्तीय वर्ष में पूंजी निर्माण . . . ३१७७
१३३६ टाटा कोयला खानों के प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना . ३१७७
१३३७ उपभोक्ता सहकारी संस्थायें ३१७७–७८
१३३८ भारत में चीनी ३१७८
१३३९ आकाशवाणी से समाचार प्रसारण. . . . ३१७८–७९
१३४० भारतीय युद्ध बन्दियों के लिए खाद्य-पदार्थों के पार्सल . ३१७९
१३४१ सैनिक ट्रक दुर्घटना ३१७९–८०
१३४२ परभनी में प्रसारण यंत्र ३१८०
१३४३ हेलीकोप्टर उड़ाने का प्रशिक्षण ३१८०
१३४४ आस्ट्रेलिया से सैनिक सहायता ३१८०–८१
१३४५ केरल, लक्कद्वीव और अन्दमान में प्रदर्शनी यूनिट . . ३१८१

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३४६	हिन्दी की फिल्मों को हिन्दी में प्रमाण-पत्र . . .	३१८१
१३४७	चण्डीगढ़ में प्रसारण यंत्र . . .	३१८१
१३४८	आकाशवाणी के केन्द्र . . .	३१८१–८२
१३४९	जम्मू तथा काश्मीर में बनिहाल कार्ट रोड (गाड़ी सड़क) पर रज्जु पथ .	३१८२
१३५०	जम्मू तथा काश्मीर में बनिहाल कार्ट रोड (गाड़ी सड़क) पर यातायात	३१८२
१३५१	राइफल	३१८२–८३
१३५२	मध्य प्रदेश में औद्योगिक उपक्रम. . . .	३१८३
१३५३	सैनिक पदाधिकारियों द्वारा मादक वस्तुओं का प्रयोग	३१८३
१३५४	विदेशों में भारतीय चलचित्रों की लोकप्रियता . .	३१८३–८४
१३५५	टोकियो में भारतीय " चांसरी " की इमारत	३१८४
१३५६	युद्धोत्तर पुनर्निर्माण	३१८४–८५
१३५७	फ्रांस द्वारा अणु बम का विस्फोट	३१८५
१३५८	उड़ीसा राज्य में पंचायत उद्योग	३१८५
१३५९	महानदी पर टिकेरापाड़ा में बांध . . .	३१८६
१३६०	डकौटा विमान दुर्घटना . .	३१८६
१३६१	खान मजदूरों के क्वार्टर	३१८६–८७
१३६२	रामगुण्डम में प्रादेशिक अस्पताल . . .	३१८७
१३६३	कोठागुडम में कोयला खानों के कर्मचारियों के क्वार्टर	३१८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३१८८

श्री० प० वेंकटासुब्बया ने २९ मार्च, १९६३ को नई दिल्ली में हुई भारतीय वायुसेना के कए जेट विमान की कथित दुर्घटना की ओर जिसके फलस्वरूप विमान चालक की मृत्यु हो गई, प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१८८–८९

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

१ (एक) चीन सरकार का दिनांक २४ मार्च, १९६३ का टिप्पण।

विषय पृष्ठ

(दो) भारत सरकार का दिनांक २९ मार्च, १९६३ का उत्तर ।

(२) आसाम में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ३४ पर श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा २० फरवरी, १९६३ को पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य ।

(३) १५ फरवरी, १९६३ को मध्य प्रदेश की जमूना कोयला-खान में हुई घातक दुर्घटना के बारे में मुख्य खान निरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(४) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की वर्तमान सत्र में हुई दूसरी बैठक के कार्यवाही-सारांश . .

अनुदानों की मांगें ३१८९-५

(१) गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं . . .

(२) निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई . .

बुधवार, ३ अप्रैल, १९६३ / १३ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर विचार तथा विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार

GMGIPND—LS III—146 (Ai) LSD—28-5-63—160.

पृष्ठ

अनुदानों की मांगें--जारी

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय--जारी

श्री द्वा० ना० तिवारी ३२२८--३१

श्री गु० सिं० मुसाफिर ३२३१--३३

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ३२३४

श्री बसवंत ३२३५-३६

श्री अ० चं० गुह ३२३६--३८

श्री पू० शे० नास्कर ३२३८--४०

श्री ओंकारलाल बेरवा ३२४०--४३

श्री मोहन स्वरूप ३२४३--४५

दैनिक संक्षेपिका ३२४६--४९